लोक-सभा

वाद-विवाद

Second Lok Sabha

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 29.11.82
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[...ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

अंक १ सोमवार, १४ नवम्बर, १९६० पृष्ठ

२३ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ . . . १—२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२ . . . २३—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . . . ४०—६३

निधन सम्बन्धी उल्लेख ६२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . . . ६२—६३

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . . . ६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ६५—६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ६८—६९

सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य . . . . ६९—७१

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . ७२

मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ७२

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित. . ७२

मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७३—७५

खण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव ७५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ७५—९५

विचार करने का प्रस्ताव ७५—९२

खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव . ९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४

अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा सलिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०२ — २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ — २६१-९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ — २९४-३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में — ३४०-४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में — ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . — ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन — ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में — ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका — ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ — ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . — ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . — ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . — ४६२-६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . — ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . — ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . — ४६३-६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . — ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . — ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . — ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ... ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ... ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ५८१

सभा का कार्य ... ५८१—८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ... ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ... ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९—१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ... ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४
दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७
दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—
(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०
(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२
मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

पृष्ठ

समवाय (संशोधन) विधेयक—
खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६६, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . . . ११११—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य . . . ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४९६ . . . ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ . . . ११७६—८८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ . . . ११८८—१२१९

स्थगन प्रस्ताव—
आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव . . . १२१९—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०—२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
नारियल के तेल और गोले का आयात . . . १२२१—२२

सभा का कार्य . . . १२२२—२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . . . १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बहत्तरवां प्रतिवेदन . . . १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—
(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . . १२३५—३६
(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . . १२३६
(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) . . . १२३६

पृष्ठ

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)—

विचार करने का प्रस्ताव १२४६—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०
२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

———.

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये वाइकाउन्ट

+

†*२१०. {
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री मुरारका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ के अन्त में भारत में सभी विमान मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा हवाई जहाजों की जगह वाइकाउन्ट हवाई जहाज चलाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वाइकाउन्ट खरीदे गये हैं ;

(ग) वे किन किन देशों से खरीदे गये हैं ;

(घ) ये वाइकाउन्ट उन्हीं देशों से क्यों खरीदे गये ;

(ङ) क्या वाइकाउन्ट बेचने के बारे में दूसरे देशों ने प्रस्ताव भेजे थे ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ट्रंक मार्गों पर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात की मांग को पूरा करने और 'स्काईमास्टर' विमानों के स्थान पर चलाने के लिये 'इंन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' का ४ चले हुए (सैकन्ड हैंड) 'वाइकाउन्ट' खरीदने का प्रस्ताव है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1334 (AI)LSD.—1.

(ग) और (घ). सैकन्ड हैंड 'वाइकाउन्ट' बेचने के लिये अमरीका और ब्रिटेन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ङ) सैकन्ड हैंड 'वाइकाउण्ड' बेचने के लिये कई पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या वाइकाउन्ट की यह खरीद इन 'स्काईमास्टरों' के बदले में है और यदि हां, तो 'स्काईमास्टर' की तुलना में वाईकाउन्ट में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए हमें हानि नहीं हो रही है?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि 'वाइकाउन्ट' के मूल्यों के एक भाग के तौर पर हमारे पुराने विमान जैसे 'वाइकिंग', 'हीरन', 'स्काईमास्टर' आदि भी दिये जायें। जहां तक स्थान का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, चार 'वाइकाउन्ट' के खरीदे जाने से इस समय जो कमी पड़ रही है, वह पूरी हो जायेगी।

†**श्री तंगामणि** : इन चार 'वाइकाउन्ट' का क्या क्रय-मूल्य है और यदि वे नये होते तो उनका क्या क्रय-मूल्य होता?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रस्ताव विचाराधीन है और बातचीत चल रही है। इस समय वह जानकारी देना वांछनीय नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : जो कुछ मैं जानना चाहता हूं, वह यह है। उपमंत्री महोदय ने बताया है कि चार 'वाइकाउण्ट' खरीदे गये हैं . . .

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : नहीं, नहीं। विचाराधीन हैं।

†**श्री तंगामणि** : यदि वे इन पुराने विमानों को खरीद रहे हैं, तो नये विमानों से उनके मूल्य की क्या तुलना है?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मूल्य के बारे में बातचीत चल रही है और उस पर विचार किया जायेगा और हमें आशा है कि हमें अनुकूल शर्तें मिलेंगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अन्य देश कौन से हैं। यह कहा गया है कि अमरीका और ब्रिटेन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या इस बारे में अन्य देशों से भी पूछा गया था और क्या उन्होंने भी सैकन्ड हैंड 'वाइकाउण्ट' बेचने का प्रस्ताव किया है?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह किसी देश से पूछने का प्रश्न नहीं है। यह प्रस्ताव का प्रश्न है। प्रत्येक को पता था कि हमें इनकी आवश्यकता है और हमें कई पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : उपमंत्री महोदय ने बताया है कि इन 'वाइकाउण्टों' को 'स्काई-मास्टर' को बदलने के लिये खरीदा जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन 'वाइकाउण्ट' के खरीदने का क्या प्रभाव पड़ेगा . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि ये 'स्काईमास्टर' को बदलने के लिये खरीदे जा रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मैं जान सकता हूं कि रात की हवाई डाक सेवा पर 'वाइकाउण्ट' की खरीद का क्या प्रभाव पड़ेगा जिसमें मुख्यतः 'स्काईमास्टर' का इस्तेमाल किया जाता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य का रात की हवाई डाक सेवा से गहरा सम्बन्ध है क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ी है कि यह रात्रि हवाई डाक सेवा नागपुर के रास्ते होगी । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं . . . .

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : वह अब नागपुर में इतने दिलचस्प नहीं हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या इस रात्रि हवाई डाक सेवा पर कोई असर पड़ेगा या नहीं ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : वह विचाराधीन है । और मैं देखूंगा कि विमान नागपुर भी जाये ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो ।

†**श्री मुरारका** : अब मंत्री महोदय ने बताया कि जो विमान खरीदे जाने हैं, वे पुराने हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कोई सावधानी बरती जा रही है कि वे पुराने 'वाइकाउण्ट' न खरीदे जायें जिन्हें कुछ टेक्निकल या मशीनी खराबी जैसे धातु सम्बन्धी खराबी और अन्य बातों के कारण रद्द कर दिया गया हो और यदि हां, तो इन विमानों को सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कराने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य यह जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम रद्दी माल नहीं खरीदेंगे । हम कोई खरीद करने से पहल विमान की उपयोगिता, इसके काम देने की क्षमता आदि के बारे में पूरा विचार करेंगे ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि हमारे देश से पुराने डकोटा की खरीद का प्रस्ताव है . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो कुछ उन्होंने कहा, वह जानते हैं । माननीय सदस्य जो बात जानना चाहते हैं, वह पूछें ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य देशों ने किस मूल्य का प्रस्ताव किया है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मूल्य के बारे में मैं बता चुका हूं कि इस पर बातचीत चल रही है और इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हाल ही में रूस से इस देश को विमानों का एक दस्ता बेचने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या इस बारे में बातचीत हुई है और यदि बतचीत सफल हुई है तो इन विमानों को किस काम में लगाया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वे डकोटा के स्थान पर लगाये जायेंगे ? यहां पर प्रश्न यह है कि क्या 'डकोटा' को स्थान पर 'वाइकाउण्ट' का प्रयोग किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उस बात पर आ रहा हूं । बात यह है । उपमंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ देशों ने इस देश को 'वाइकाउन्ट' के बारे में प्रस्ताव किये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या 'वाइकाउन्ट' के प्रस्ताव इसलिये प्राप्त हुए हैं कि हम डकोटा के बदले उन्हें लगा सकें प्रश्न यह है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुग्रा : क्या रूस से विमानों का एक दस्ता बेचने का कोई प्रस्ताव है और क्या वे विमान वाइकाउण्ट नहीं ह, तक . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । डा० विजय ग्रानन्द ।

†**डा० विजय ग्रानन्द** : क्या विजयवाड़ा को रात्रि हवाई डाक सेवा फिर लागू करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विमान-पट्टी है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

प्लास्टिक के थैले

†*२११. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पारदर्शी प्लास्टिक के फेंके हुए थैलों के, जिन्हें लोग उठा लेते हैं और अथवा जिन्हें बच्चे खिलौनों के तौर पर काम में लाते हैं, फिर से इस्तेमाल करने के उन खतरों की ओर लिया गया है जिन्हें अभी हाल में जूनागढ़ के श्री पी० सी० नानावती ने १३ सितम्बर, १९६० के "इंडियन एक्सप्रेस" में सम्पादक के नाम पत्र के अन्तर्गत प्रकाशित किया है ;

(ख) क्या इस विषय में कोई अनुसन्धान किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) इन थैलों से खतरों के बारे में, खास कर बच्चों के लिये, सामान्य जनता को सचेत करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) सरकार इन प्लास्टिक के थैलों के परिणामस्वरूप संभावित खतरे के बारे में सामान्य जनता को चेतावनी देने के बारे में पग उठा रही है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि अमरीका में जांच पड़ताल हुई है और इसको बहुत खतरनाक पाया गया है और उन्होंने थैले निर्माताओं को निर्मित थैलों पर ऐसी चेतावनी छापने के आदेश दिये हैं ; और यदि हां, तो क्या भारत सरकार भी ऐसा ही करेगी ?

†**श्री करमरकर** : हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अमरीका में क्या हुआ है । इतने समय में, उपलब्ध जानकारी के आधार पर, हम सभी राज्य सरकारों को इसलिये सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे रहे हैं ताकि मामले का पता लग जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हल्दिया बन्दरगाह

†*२१२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह के विकास के लिये ६२ गांवों की जमीन प्राप्त की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन गांवों के विस्थापित निवासियों के लिये क्षतिपूर्ति और अथवा पुनर्वास की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). हल्दिया परियोजना अभी प्राथमिक अवस्था में है और योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले कई टेक्निकल बातों को निपटाया जायगा । जब योजना कार्यान्विति के लिये तैयार हो जायेगी, तो आवश्यकतानुसार कुछ भूमि का अर्जन किया जायेगा । तथापि, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल सरकार को एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें यह संकेत किया गया है कि हल्दिया क्षेत्र में एक सहायक पत्तन के विकास के लिये भूमि की आवश्यकता पड़ने की संभावना है । ऐसी अधिसूचना मुख्यतः क्षेत्र में जमीनों की कीमतों में सौदेबाजी को रोकने के लिये पूर्वोपाय के तौर पर जारी की जाती है । अधिसूचित क्षेत्र लगभग १७. २ वर्गमील है । इस क्षेत्र में सम्मिलित गांवों की संख्या ६८ है परन्तु ये सब गांव शायद न लिये जायें । अभी कोई भूमि अर्जन कार्यवाही आरम्भ नहीं की गयी है ।

२. अर्जित भूमि के लिये प्रतिकर बाजार भाव पर दिया जायेगा जो अर्जन कार्यवाही के भूमि अर्जन कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा । यह प्रश्न तभी उठेगा जब हल्दिया पत्तन के लिये भूमि वास्तविक रूप में अर्जित कर ली जावेगी । इस क्षेत्र में नये पत्तन की स्थापना से क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार के लिये साधन मिल सकते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण में एक वाक्य यह है "इस क्षेत्र में नये पत्तन की स्थापना से क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार के नये साधन मिल सकते हैं ।" नये पत्तन की स्थापना और पूरे होने तक, जब भी यह हल्दिया पत्तन लांगल-स्थान के रूप में चालू हो जाये, क्या मंत्रालय किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिससे यदि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो पास के क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी--उन व्यवसायों में जिनके लिये वे उपयुक्त हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बड़ा सामान्य है, समस्या प्रधान और कल्पना प्रधान है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जी, पिछले वर्ष यह हो चुका है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी तक कोई बात नहीं है । फिर भी क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक रोजगार के लिये योजनाओं का सम्बन्ध है इसमें कुछ मतभेद है । पत्तन के संगठित श्रमिकों की मांग है कि इस लांगल-स्थान पर भी गोदी श्रमिक बोर्ड की योजना लागू की जाये और उससे लांगल-स्थान के खुलने में भी विलम्ब हुआ है । दूसरी ओर स्थानीय जनता की भी वैध, उचित मांग है । हम यथासम्भव दोनों के लिये अवसर ढूंठने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : रेलवे मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हल्दिया पत्तन को निकट भविष्य में रेलवे लाइन से जोड़ा जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पत्तन के विकास के बारे में है, रेलवे को मिलाने के बारे में नहीं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : हल्दिया पत्तन में श्रमिकों को किस तरीके पर भर्ती किया जाता है ? क्या स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है अथवा पत्तन श्रमिक बोर्ड पंजीयन योजना को प्राथमिकता दी जाती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक में एक साथ कई प्रश्न न जोड़े जायें ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : अथवा यह काम किसी ठेकेदार द्वारा अपनी योजना के अनुसार किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : पिछले वर्ष लांगल-स्थान पर एक ठेकेदार की सहायता से काम हुआ था जिसने अपने श्रमिक दिये थे ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : हल्दिया पत्तन के लिये कितने एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है ; और क्या सरकार भूमि का अर्जन करते समय यह अनिवार्य करेगी कि वहां पर नौकरी के लिये प्रभावित भू-स्वामियों और कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय सम्बन्धित अधिनियम की धारा ४ के अधीन जो नोटिस जारी किया गया है, वह १७.६२ वर्गमील क्षेत्र के लिये है । परन्तु यह वह क्षेत्र नहीं है जो अन्ततः प्राप्त किया जाय । वह विशेषज्ञों की टेक्निकल राय पर निर्भर करेगा और हम आवश्यकतानुसार कम से कम क्षत्र प्राप्त करेंगे । जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, इससे पास के गांवों के व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि क्या विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी ।

†**श्री राज बहादुर** : वह बात ध्यान म रखी जा सकती है । इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या पत्तन के निर्माण-कार्य में विस्थापित व्यक्तियों को लगाया गया है और यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता कितनी है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी तक कोई विस्थापित नहीं हुआ है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि पत्तन के लिये योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** कुछ टेक्निकल जांच पड़ताल की जा रही है और हमें संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता बोर्ड से उसके लिये एक विशेषज्ञ मिला है और दूसरा विशेषज्ञ जल-वर्णना सर्वेक्षण के लिये । ये दोनों विशेषज्ञ जांच पड़ताल में लगे हैं और जब वे अपनी रिपोर्ट दे देंगे, तो विशेषज्ञ अपनी रिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे सकेंगे । तभी निश्चित रूप से समय-सीमा बतायी जा सकती है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है जो विस्थापित होंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें कुछ पता नहीं है । अगला प्रश्न ।

उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का निर्यात

+
†*२१३. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इस वर्ष अगस्त महीने की बाढ़ के बाद उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न भेजे जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो १ अगस्त, १९६० से अब तक उड़ीसा से कितना अन्न भेजा जा चुका है ; और

(ग) पूर्वी खाद्य जोन के निर्माण के बाद तब से अब तक कुल कितना खाद्यान्न उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को भेजा जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं ।

(ख) १ अगस्त से अक्तूबर, १९६० के अन्त तक लगभग २३ हजार टन चावल और १८ हजार टन धान उड़ीसा से पश्चिम बंगाल गया।

(ग) पूर्वी चावल जोन बन जाने के बाद से अक्तूबर, १९६० के अन्त तक उड़ीसा से लगभग १६१ हजार टन चावल और २४९ हजार टन धान पश्चिम बंगाल भेजा गया ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय भंडार से कुछ खाद्यान्न देने के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहा क्योंकि बाढ़ के कारण उनकी धान की फसल नष्ट हो गयी थी और यदि हां, तो इस प्रार्थना का सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

†**श्री अ० म० थामस :** चावल के बारे में उड़ीसा सरकार की समस्या स्टाक समाप्त करने की है । तथापि, उन्होंने २६०० टन गेहूं की सामान्य मात्रा के अतिरिक्त २,००० टन गेहूं के और संभरण के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार वहां पर खाद्य की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के निर्यात के बारे में इच्छुक नहीं है ? इस बात को देखते

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हुए, क्या सरकार पूर्वी ज़ोन खाद्य योजना के अधीन पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का निर्यात करने के लिये उड़ीसा सरकार को जिम्मेदारी से मुक्त करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** उड़ीसा सरकार की शिकायत यह है कि जब कि पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष में उत्पादन संतोषजनक है, तो पश्चिम बंगाल के व्यापारी उड़ीसा से माल नहीं उठा रहे हैं अतः वे ज़ोन से बाहर रहना चाहते हैं। इस समय ज़ोन में फेर बदल करने का कोई प्रश्न नहीं है । ज़ोन तोड़ने के लिये उड़ीसा सरकार कोई प्रार्थना नहीं कर रही है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मंत्री महोदय को यह पता लगा है कि बाद के दौरान लोगों ने मोटे चावल की मांग की थी जो कि उड़ीसा सरकार के भंडार में उपलब्ध नहीं था और उनके पास बढ़िया और बहुत बढ़िया चावल था और मोटा चावल सब भेजा जा चुका था ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह बात ठीक नहीं है । इस समय उड़ीसा सरकार के पास लगभग २१,००० टन चावल है । और लगभग ८,००० टन सामान्य किस्म का चावल है। बाढ़ के कारण अस्थायी कठिनाइयां हुई हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि चावल उपलब्ध नहीं था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि जब यह जोन बनाया गया था तो देश के अन्य खाद्य जोनों में उपलब्ध खाद्यान्न के परिवहन पर कुछ असमान्य प्रतिबन्ध लगाये गये थे। यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं और उनका ज़ोन के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। उड़ीसा सरकार को २० प्रतिशत तक कर लगाने की आज्ञा दी गयी थी। वह कर अब रोक दिया गया है। अब कोई चावल नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भेजे जाने पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। रेलवे द्वारा परिवहन को प्राथमिकता दी गयी थी। परन्तु अब ये बातें भी समाप्त कर दी गयी हैं।

†**डा० विजय आनन्द :** आन्ध्र से उड़ीसा को कितना चावल भेजा जा रहा है ? क्या बाढ़ आने के बाद से इस मात्रा में वृद्धि हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह उड़ीसा को निर्यात नहीं किया जा सकता ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** बाढ़ के कारण उडीसा में खाद्यान्न की कितनी क्षति हुई है ? क्या पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का निर्यात करने में कोई कठिनाई अनुभव की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अभी तक अंतिम रूप से प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं। परन्तु कुछ दिन पहले इस सदन में यह बताया जा चुका है कि एक के बाद एक दो बाढ़ें आने पर भी कुल उत्पादन पहले के वर्षों जितना ही होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह स्पष्ट है कि उड़ीसा और बंगाल में खाद्य स्थिति अच्छी है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस संतोषजनक उत्पादन के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मूल्य गिरे हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** पश्चिम बंगाल में मूल्य काफी गिरे हैं और उड़ीसा में भी ये कम हैं। मूल्यों में २ रुपये से ५ रुपये तक कमी हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेतुसमुद्रम् परियोजना

†२१४. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दासगुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के समुद्री सर्वेक्षण कार्यालय के मुख्य पदाधिकारी कैप्टन जे० आर० डेवीज़ ने, जिन से सेतुसमुद्रम् परियोजना की नौपरिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सरकार को मंत्रणा देने की प्रार्थना की गयी थी, इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१**].

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच की है और तीसरी योजना में इस परियोजना के संबंध में कोई निर्णय किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इन सिफारिशों पर विचार हो रहा है और हमने सर्वेक्षण आदि के लिए अपनी मध्यवर्ती पत्तन विकास योजना के लिए ४ लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : दो सर्वेक्षण और उस के दो प्रतिवेदन तो पहले ही मौजूद हैं, एक तो रामस्वामी मुदालियर समिति की रिपोर्ट और दूसरी वर्तमान रिपोर्ट । तब फिर सर्वेक्षण की क्या जरूरत है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह व्यवस्था इस मद के अधीन की गयी है "शिल्पिक तथा अन्य आंकड़े जो अभी तैयार किये जाने हैं" । इन दो प्रतिवेदनों के बाद भी परियोजना अभी तैयार की जानी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या बन्दरगाह के इंजीनियरों से परामर्श किया गया है जैसा कि प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य को मालूम है कि सेतुसमुद्रम् परियोजना समिति नाम की एक समिति ने इस प्रश्न का विवेचन किया है और उस ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन में ९ करोड़ रुपये के खर्च की बात है । सरकारी विशेषज्ञों ने उसकी जांच की और यह कहा कि आज उस पर लागत करीब २६—३० करोड़ रुपये आयेगी और तब हमने कैप्टन जे० आर० डेवीज़ से इस प्रश्न पर खास कर खर्च कम करने के दृष्टिकोण से पुनः विचार करने की प्रार्थना की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** कैप्टन जे० आर० डेवीज की सिफारिशों के फलस्वरूप क्या नहर के भाग की लागत कम की गयी है और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं ने विवरण में कुछ आंकड़े बताये हैं। दक्षिण प्रवेशद्वार (बाहरी सेक्शन) के संबंध में १७.७ प्रतिशत की कमी संभव है, दक्षिण प्रवेशद्वार (भीतरी सेक्शन) २२.२ प्रतिशत संभव है और बंगाल की खाड़ी प्रवेशद्वारा (मिडिल चैनल पाक जल डमरू मध्य) के संबंध में २६.३ प्रतिशत कमी संभव है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** जो असाधारण विलंब हुआ है उसे देखते हुए क्या जल्दी काम शुरू करने का प्रयत्न किया जायगा ?

†**श्री राज बहादुर :** इस विषय में कभी भी मतभेद नहीं रहा कि यह परियोजना इसलिये उपयोगी है कि इस से लगभग ३०० मील की दूरी कम हो जायेगी जो जहाजों को पश्चिम से पूरब जाते हुए तय करनी पड़ती है । प्रश्न यह है कि हम कितने जल्दी योजना में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत शिल्पिक ब्यौरे तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

†**श्री बि० दासगुप्त :** इस के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसका निर्णय करने में लगभग कितना समय लगेगा जिस में सर्वेक्षण और पुनः सर्वेक्षण आदि का समय भी शामिल हो ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैं ने बताया है, हमने अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना के लिए और कुछ प्रारंभिक कार्य करने के लिए आयोजन आयोग के परामर्श से ४० लाख रुपये की व्यवस्था की है । ज्योंही परियोजना का प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा, हम यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस परियोजना के लिए हम कुछ अतिरिक्त वित्तीय नियतन प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री सम्पत् :** इस बात को देखते हुए कि प्रारंभिक खर्च में और कमी का सुझाव दिया गया है, क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि यह परियोजना तीसरी योजना में शामिल की जाये ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि यह तीसरी योजना में सम्मिलित की जायगी । मैं ने बताया है कि इस संबंध में कुछ प्रारंभिक कार्य किये जाने के लिए हमने कुछ व्यवस्था की है । वह किस हद तक किया जायगा। यह इस बात पर निर्भर है कि हमें अभी जो शिल्पिक सलाह मिलती है उस के साथ साथ इन निष्कर्षों का क्या परिणाम है ?

सहकारी ऋण संबंधी समिति

+
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री भक्त दर्शन :
डा० राम सुभग सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

†*२१५. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री तंगामणि :

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी ऋण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने उन से सम्बंधित सिफारिशों पर अपनी अपनी राय भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो उन में महत्वपूर्ण राय क्या-क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा किये गये और राज्य सरकारों को सूचित किये गये नीति संबंधी महत्व पूर्ण निर्णय सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ग) और (घ). राज्य सरकारों ने पिछले जून में श्रीनगर में आयोजित राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में और सितम्बर, १९६० में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में अपनी अपनी सम्मति व्यक्त की। वे समिति की सिफारिशों से सामान्य रूप में सहमत थीं। राज्य सरकारों को भेजे गये निर्णयों पर पहुंचने में उनकी राय को ध्यान में रखा गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस समिति की कुछ सिफारिशें भारत के रक्षित बैंक के बारे में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के रक्षित बैंक ने कोई निर्णय किये हैं और क्या भारत सरकार ने वे निर्णय मान लिये हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : भारत सरकार ने जो निर्णय किये हैं उन में भारत के रक्षित बैंक की राय भी शामिल है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि कृषि ऋण समितियों को सरकार की ओर से कुछ अनुदान दिये जायेंगे। इन अनुदानों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का कितना कितना हिस्सा होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : ये ब्यौरे बाद में तैयार किये जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : सहकारी ऋणों के बारे में एक बड़ी रुकावट यह रही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कानून और नियम हैं और इस समिति ने भी इस बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें अपने कानूनों को संशोधित कर के उन को आल इंडिया पैटर्न पर लाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि ये दिक्कतें दूर हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : जो इच्छा व्यक्त की गयी है उसका स्वागत है किन्तु प्रश्न में जिस काम का उल्लेख है वह काम इस समिति को नहीं सौंपा गया था ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या भूमिहीन काश्तकारों को भी उनकी उत्पादन-आवश्यकताओं और वापसी भुगतान की उनकी क्षमता के अनुसार ऋण दिया जायेगा ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : निश्चय ही ।

†डा० राम सुभग सिंह : विवरण में यह उल्लेख है कि प्राथमिक ऋण समितियों की अंश पूंजी खरीदने में राज्य हाथ बटायेगा । क्या यह कार्यक्रम आरम्भ करने के बाद पहले तीन वर्षों में यह दायित्व पूरा करने के लिये आवश्यक निधियों का अनुमान सरकार ने लगा लिया है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : समिति ने सिफारिश की है और वह सरकार ने मान ली है कि अंश पूंजी की खरीद में सरकार हाथ बंटाये । अंश पूंजी में यह सहयोग अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं, और आवश्यक निधि का प्रश्न इस बात पर निर्भर होगा कि समिति और सरकार ने जिस ढंग की कल्पना की है उस ढंग पर कितनी नयी संस्थायें चालू की जा रही हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इन सहकारी ऋण समितियों का काम अधिकतर धीमा और सुस्त है और इन से किसानों को कोई मदद नहीं मिलती और यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस समिति ने पूर्णतः पुनर्गठित आन्दोलन का सुझाव दिया है और यदि उसने इस प्रकार का सुझाव दिया हो, तो क्या सरकार को वह सुझाव ठीक मालूम होता है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि मंत्री महोदय उनके प्रश्न का पहला भाग भी स्वीकार कर लें ? जिसके लिये कोई उत्तर आवश्यक न हो ऐसा प्रश्न पूछ कर हम व्यर्थ समय क्यों बितायें ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रश्न का पहला भाग स्वीकार नहीं करता फिर भी यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं कि आन्दोलन धीमा और सुस्त है तो, मैं यह कहता हूं कि श्री हेम बरुआ जैसे माननीय मित्रों से सक्रिया सहयोग की कमी के कारण ही ऐसा है । मेरी प्रार्थना है कि वे भारत में, जो गरीब का मित्र है, इस सहकारी आन्दोलन को सक्रिय बनायें ।

†श्री हेम बरुआ : श्रीमन् मैं यह कह सकता हूं कि मुझसे सहयोग की कभी मांग नहीं की गयी थी ।

†श्री तंगामणि : जब यह वी० एल० मेहता समिति की बैठकें हो रही थीं, तब मद्रास सरकार ने पूर्ण वित्त योजना समिति स्थापित की थी । क्या सरकार के पास उस योजना की, जो प्रत्येक जिले के एक खंड में कार्यान्वित की जा रही है, कोई रिपोर्ट है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : ज्यों ही हमें मई, १९६० के अन्त के लगभग मेहता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, त्यों ही हमने उसकी सिफारिशें मद्रास राज्य सरकार को भेज दीं और मद्रास राज्य सरकार ने अपनी राय भी जाहिर की । इसलिये अब सभी राज्यों को जो निर्णय सूचित किये गये हैं वे सभी राज्य सरकारों की रायों के सारांश के रूप में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुबीर सहाय** : इस समिति की एक सिफारिश यह मालूम होती है कि सहकारी समितियां सभी वर्गों के किसानों को अपना सदस्य बनाती हैं जिनमें वे किसान हैं जो केवल निर्वाह के लिये आवश्यक जितना ही उत्पादन करते हैं और जो उससे भी कम उत्पादन करते हैं, तथा भूमिहीन किसान आदि भी शामिल हैं, और वे उन की उत्पादन आवश्यकताओं तथा वापसी भुगतान की क्षमता के आधार पर उन्हें पर्याप्त ऋण देती हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश के सम्बन्ध में किसी राज्य ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : ये सिफारिशें केवल पिछले महीने ही राज्य सरकारों को भेजी गयीं थीं।

†**श्री उ० ल० पाटिल** : विवरण के भाग ख(४) में यह उल्लेख है कि एक-तिहाई सदस्य सेन्ट्रल बैंक द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। यह बहुत अधिक मालूम होता है। उसके क्या कारण हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को विवरण से यह जानकारी मिल गयी है। उन्हें आगे और कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। वह उस पर बहस करना चाहते हैं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : विवरण के पृष्ठ ३ पर यह कहा गया है कि कृषि उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि सहकारी समितियां सभी वर्गों के किसानों को सदस्य बनायें, जिनमें वे किसान जो केवल निर्वाह के लिये आवश्यक जितना ही उत्पादन करते हैं और जो उस से भी कम उत्पादन करते हैं, तथा भूमि हीन किसान आदि भी शामिल हैं। क्या यह सच है कि राज्यों के सहकारिता सम्बन्धी विधानों में अभी इन चीजों के लिये गुंजाइश नहीं है और यदि हां, तो क्या यह सिफारिश कार्यान्वित करने के लिये कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : यह एक नया रूप उत्पन्न हो रहा है। कोई भी किसान हो, चाहे वे निर्वाह के लिये आवश्यक जितना ही या उस से भी कम उत्पादन करते हों, उन्हें और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी सहकारी समिति का सदस्य बनाना होगा और उन्हें ऋण भी दिया जायगा जिस से अपनी खेती के उत्पादन के लिये उन्हें पर्याप्त ऋण मिले।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस समिति की अधिकतर सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के विपरीत हैं; यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार इस समिति की सिफारिशों को स्थगित करने और राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों पर पुनः विचार करने के लिये तैयार है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इतना विस्तृत प्रश्न है कि प्रश्न काल में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मद्रास राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक खंड में पूर्ण वित्त योजना की क्रियान्विती के बारे में समाचार मिले हैं और यदि हां तो क्या उसे उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो पूर्ण वित्त योजना की क्रियान्विती के सम्बन्ध में अध्ययन कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक राज्य के बारे में ब्यौरों का विवेचन करना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीप्रिंटर का कारखाना

+

†*२१६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री अ० के० देव :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री रामी रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न-संख्या ९१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीप्रिंटर बनाने का कारखाना लगाने के बारें में, जिसका फैसला पहले किया जा चुका है, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** भारत सरकार द्वारा भारत में टेलीप्रिंटर बनाने के लिये इटली के मेसर्स आई-एन-जी० सी० ओलिवेट्टी तथा सी० एस-पी-ए० के साथ किये गये जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गई है ।

इस समझौते के अंतर्गत टेलीप्रिंटर बनाने के लिये एक ऐसी कम्पनी स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर सरकार का पूरा पूरा अधिकार हो । आशा है कि उक्त कम्पनी शीघ्र ही रजिस्टर्ड करा दी जायेगी ।

यह निश्चय किया गया है कि कारखाना गिण्डी, मद्रास में लगाया जायेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन :** यह कारखाना संभवतः कब तक वास्तव में चालू हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं ठीक ठीक तारीख नहीं बता सकता । आशा है कि यह यथासंभव शीघ्र काम करने लगेगा । हो सकता है कि वह छः महीने में काम करने लगे ।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या इस कारखाने में केवल अंग्रेजी टेलीप्रिंटर ही तैयार किये जायेंगे या हिन्दी टेलीप्रिंटर भी ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मुख्यतः अंग्रेजी टेलीप्रिंटर और कुछ हिन्दी टेलीप्रिंटर भी ।

श्री अ० म० तारिक : क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी के सामने और कौन कौन से रस्मुलखत में टेलीप्रिंटर बनाने का प्रोग्राम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी फिलहाल केवल अंग्रेजी टेलीप्रिंटरों और कुछ हिन्दी के टेलीप्रिंटरों के लिये योजना है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस कारखाने की क्षमता लगभग कितनी होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : आशा है कि उत्पादन के तीसरे वर्ष में हम तीन हजार तक पहुंच जायेंगे ।

†**श्री वारियर** : प्रति वर्ष कितने टेलीप्रिंटर तैयार किये जायेंगे और कितनी मशीनों का वितरण किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वितरण समाचार एजेन्सियों के जरिये होगा या सरकार के जरिये होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले उनको तैयार हो जाने दीजिये और तब बाद में हम वितरण के बारे में देखेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : अगले दस सालों में इस कम्पनी को रायल्टी के तौर पर कितनी रकम दी जायेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वह जानकारी यहां मेरे पास नहीं है लेकिन करार की जो प्रति सभा-पटल पर रखी गयी है उसमें वह मिल जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : इस कम्पनी ने कितनी रकम लगायी है और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इस में कम्पनी की कुछ भी रकम नहीं लगायी जा रही है। इसमें सारी पूंजी भारत सरकार की ही होगी ।

†**श्री तंगामणि** : विदेशी मद्रा कितनी होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वह उस करार से मालूम हो जाएगी जिस में यह पूरी तौर से बताया गया है कि उसके कितने भाग हैं और क्या क्या चीजें और किन किन शर्तों के अधीन वे दी जायेंगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने से पहले क्या सरकार हिन्दी टेलीप्रिन्टर सप्लाई करने के लिए यथोचित कार्यवाही करेगी क्यों कि हिन्दी टेलीप्रिन्टर की सप्लाई के लिए समाचार एजेन्सियों ने सरकार से प्रार्थना की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं इस विषय पर विचार करूंगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : चूंकि अब उसके स्थान के बारे में अंतिम निर्णय किया जा चुका है और कौन कौन से स्थानों के विषय में विचार या परीक्षण किया गया था ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हैदराबाद और मद्रास पर विचार किया गया था। हमारे विशेषज्ञों ने जो इटली से आये थे और जिन्होंने हमें परामर्श दिया, यह बताया कि मद्रास उपयुक्त स्थान होगा और इसके अलावा मद्रास सरकार ने बिना किसी मूल्य के ३५ एकड़ जमीन दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बि० दास गुप्त :** करार में, रायल्टी सालाना २·५ लाख रुपये रखी गयी है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मेरी राय में हमारे विशेषज्ञों ने जिन्होंने इस पर विचार किया था, इसे बहुत ज्यादा नहीं समझा ; उन्हेंने इसे उचित समझा।

†**श्री म० रा० कृष्ण :** क्या हैदराबाद की जगह इस लिये बदल दी गयी कि हैदराबाद की अपेक्षा मद्रास ने ज्यादा जमीन दी थी (**अन्तर्बाधा**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वे पहले ही उत्तर दे चके हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन :** हमारे शिल्पिक परामर्शदाताओं ने मद्रास को अधिक अच्छा समझा ।

विमानों का निर्माण

†*२१८. {
+
श्री रामकृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डैकोटा विमानों की जगह नये विमान चलाने के लिये उन नये विमानों को तैयार करने के बारे में लाकहीड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन से प्राप्त योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) और (ख). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** सहायता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, इस निगम से प्राप्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन :** सहायता का प्रश्न बाद का विषय है। सहायता तो पहले से ही है। योजना तो सहकार्य और शिल्पिक सहायता के सम्बन्ध है। योजना की मुख्य बातों का जहां तक सम्बन्ध है, वह खासकर डैकोटा विमानों की जगह दूसरे विमान चालू करने के लिए है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि यही लाकहीड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए विमान बनाना चाहता था किन्तु उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया ? किन कारणों से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने उसे स्वीकार कर लिया ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जहां तक मुझे याद है, जब प्रतिरक्षा मंत्रालय एवरो विमान तैयार करने के लिए राजी हो गया, उस समय लाकहीड का कोई प्रस्ताव ही नहीं था।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या लाकहीड कारपोरेशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मंत्रालय में कोई विशेष समिति या अनुभाग बनाया गया है और यदि हां, तो इस विषय पर विचार करते कितने महीने बीत चुके हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस विभाग के विशेषज्ञ और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इस प्रस्ताव पर विचार कर र हैं। कितना समय बीत चुका है इस सम्बन्ध में तो माननीय सदस्य जानते हैं कि अब करीब एक साल से अधिक समय हो चला है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं कि असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने यह राय जाहिर की है कि उड्डयन के ३ प्रतिशत अधिक लागत के लिए लाकहीड एयरक्राफ्ट ३५ प्रतिशत अधिक पे-लोड ३७ प्रतिशत अधिक रेंज और ज्यादा कैबिनवाल्यूम और २३ प्रतिशत अधिक सस्ता टनमील लागत पर उड़ता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कैसे मिली।

†**श्री मुरारका :** यह इस विषय पर पहले के प्रश्नों के उत्तरों में दी हुई थी।

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर में जैसा कि मैंने पहले बताया, सवारी यातायात के सम्बन्ध में इंडियम एयरलाइन्स कारपोरेशन ने लाकहीड का डिजाइन अधिक पसन्द किया था।

डीजल इंजन

†*२१९. { +**श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के भारतीय रेलवे अनुसन्धान डिजाइन और प्रतिमान संगठन के उपनिदेशक (डीजल्स) श्री एम० एम० सूरी के एक बड़े भारतीय आविष्कार का विश्व भर में उपयोग करने के लिए डीजल इंजन बनाने वाली पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ किये जाने वाले करार का ब्यौरा अंतिम रूप से इस बीच तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस बारे में उपनिदेशक, श्री एम० एम० सूरी से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उनसे किसी सुझाव के प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने एक विशष प्रकार का आविष्कार किया है और उसका पटेंट राष्ट्रपति द्वारा ले लिया गया है। अब हम उस आविष्कार के विकास तथा उपयोग के लिए जर्मनी की फर्म के साथ करार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : अभी अभी यह कहा गया है कि उस जर्मन फर्म से की जा रही बात चीत अभी पूरी नहीं हुई है, तो वह बातचीत इस समय किस स्थिति में है और क्या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फर्म ने भी यह कहा था कि वह भी इस कार्य को लेने के लिए तैयार है और क्या इस आविष्कार के लिए श्री सूरी को कोई पारिश्रमिक या पारितोषिक दिया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा कि माननीय रेलवे मंत्री द्वारा इस सभा में समझाया गया था, सूरी आविष्कार ने डीजल इंजनों के निर्माण में रुचि लेने वाले सभी यूरोपीय देशों के ध्यान को आकृष्ट किया है। यह एक प्रथम कोटि का आविष्कार है और जर्मन फर्म ने उसमें सब से अधिक रुचि दिखायी है। यह फर्म डीजल इंजनों के निर्माण की एक प्रतिष्ठित तथा सुप्रसिद्ध फर्म है, इसी लिए उसे ही चुना गया है। जहां तक भी सूरी को इनाम आदि देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका उत्तर इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। पहली बात तो यह है कि इस आविष्कार को अभी सिद्ध करना बाकी है। और उसका विकास और उपयोग करना भी बाकी है। इसलिए इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा।

पूर्व रेलवे उपनगरीय मार्ग को क्षति

†*२२०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री सेवराफुली और दियाड़ा स्टेशनों के बीच पूर्व रेलवे उपनगरीय मार्ग को पहुंची क्षति के बारे में ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सी० आई० डी० की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या किसी शरारती को गिरफ्तार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस शरारती के मुकद्दमे का क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) नई लाइन बिछाने में कितना समय लगा और उस पर कितना खर्च आया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). अभी तक ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। क्योंकि सी० आई० डी० द्वारा की जा रही जांच अभी तक चल रही है इसलिये इन पर अभी मुकदमा शुरू नहीं किया गया है।

(घ) उस सेक्शन की एक मील की पटरी को बिछाने का कार्य ११ दिनों में पूरा हुआ और उस पर कुल १,१८,००० रुपयों का खर्च आया।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबिमन घोष :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हावड़ा डिवीजन में बिजली की तारों की चोरी निरन्तर होती रहती है, इस चोरी की रोक थाम के लिये प्रशासन ने क्या क्या ठोस कार्यवाहियां की हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस की काफी गश्त होती रहती है। जून, १९६० की घटना के बाद ऐसी और कोई चोरी नहीं हुई है ।

†**श्री सुबिमन घोष :** क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस बल के कुछ व्यक्ति भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका निर्णय तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा ।

†**श्री सुबिमन घोष :** जो ८ व्यक्ति पकड़े गये हैं, क्या उनमें से कोई रेलवे पुलिस बल के भी व्यक्ति हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि क्या रेलवे पुलिस बल का भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें इस संबंध में इस समय ज्ञात नहीं है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और जांच कार्य अभी तक जारी है । अन्तिम निष्कर्ष के लिये हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । **(अन्तर्बाधा)**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वे ८ व्यक्ति कौन कौन हैं । अभी उनके पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इस घटना से पूर्व रेलवे को कुल कितना नुक्सान हुआ है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उसकी मरम्मत करने में हमें १,१८,००० रुपये खर्च करने पड़े हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** यह खर्च तो नयी पटरी बिछाने पर आया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि इसमें मरम्मत पर आने वाला खर्च भी सम्मिलित है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इस संबंध में मैं आपका पथ प्रदर्शन चाहता हूं । माननीय मंत्री के पास यह जानकारी नहीं है कि क्या इनमें पुलिस बल का भी कोई व्यक्ति है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री यह कह रहे हैं कि उनके पास यह जानकारी नहीं है । ऐसी दशा में मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं उन्हें उनके पद से हटा सकूं या उन्हें यह जानकारी देने के लिये मजबूर कर सकूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं उन्हें स्थान से हटाने के संबंध में नहीं कह रहा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो, मैं उन्हें यह जानकारी देने के लिये कैसे मजबूर कर सकता हूं। यह काम मंत्रियों का है कि वे पूरी जानकारी सहित तैयार हो कर आयें। माननीय सदस्य ने अपनी यह राय दी है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न हो सकता है। और माननीय मंत्री के पास यह जानकारी होनी चाहिये। बस माननीय सदस्य यही कहना चाहते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : अध्यक्ष की ओर से पहले भी ये हिदायतें दी जा चुकी हैं कि मंत्रियों के पास यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरा निवेदन यह है कि जांच का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य कोई और विशेष जानकारी चाहते हैं, तो वे यह प्रश्न कुछ समय के बाद पूछें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का मुख्य उद्देश्य यह था कि *क्या उन्हें ज्ञात है कि* उनके अपने रेलवे पुलिस बल के व्यक्ति भी उसमें *अन्तर्ग्रस्त हैं या नहीं। क्योंकि इस समय* माननीय रेलवे मंत्री उत्तर दे रहे हैं। इसलिये उन्हें पहले यह पता लगना चाहिये कि उनका अपना कोई रेलवे कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित है या नहीं। माननीय सदस्य को इसी बात का सब से अधिक खेद है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं आपके कथन से सहमत हूं, परन्तु इसमें माननीय सदस्य के साथ असौजन्य पूर्वक व्यवहार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जानकारी इकट्ठी करनी चाहिये थी, कि क्या उन आठ व्यक्तियों में कोई रेलवे का व्यक्ति भी है या नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : रेलवे का पहला काम यह था।

†**श्री जगजीवन राम** : वह जानकारी होनी चाहिये थी, परन्तु हमें दी गयी जानकारी में वह जानकारी सम्मिलित नहीं थी। अब हम वह जानकारी भी इकट्ठी कर लेंगे।

विमान सेवाओं का समुच्चय[1]

+

†*२२१. { **श्री राधा रमण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर एयर इंडिया इन्टरनेशनल तथा दूसरी ओर ब्रिटिश ओवरसीज एयर कारपोरेशन एवं कंटास एम्पायर एयरवेज के बीच कुछ महीने हुये उनकी सेवाओं के समुच्चय (पूलिंग) के बारे में किया गया करार अच्छी तरह चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया इन्टरनेशनल के यातायात तथा आय संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में यह कैसी हैं ;

(ग) समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या भारतीय राज्यक्षेत्र में विमान चलाने वाली कम्पनियों के साथ भी ऐसे करार करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pooling of Air Services.

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) 'पूलिंग' के वित्तीय परिणामों के संबंध में इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पूल खातों को अन्तिम रूप देने में दोनों भागीदारों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परन्तु अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया इन्टरनेशनल के राजस्व की स्थिति सन्तोषजनक होगी ।

(ग) 'पूलिंग' संबंधी करार के अनुसार एयर इन्टरनेशनल/ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन/कन्टास एम्पायर एयरवेज उन द्वारा चलाये जा रहे सामान्य मार्गों से प्राप्त होने वाले राजस्व को इकट्ठा कर लेंगे और निर्धारित आधार पर आपस में बांट लिया करेंगे ।

(घ) एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने भी एयरोफ्लाट और चेकोस्लोवाकिया एयर लाइन्स से इसी प्रकार की 'पूल' व्यवस्था कर रखी है। भारत में कार्य करने वाली किसी भी और विदेशी एयर लाइन्स कम्पनी से इस प्रकार का कोई भी करार करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

†**श्री राधा रमण** : उक्त कम्पनियों से इस प्रकार के 'पूल' संबंधी करारों से सरकर को विशेष रूप से क्या लाभ होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सर्वप्रथम लाभ तो यह होगा कि इन तीनों एयर लाइन्स कम्पनियों में पारस्परिक सहयोग के परिणाम स्वरूप यात्रियों को बेहतर किस्म की सेवा दी जा सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप अधिक राजस्व प्राप्त होने की भी आशा है।

†**श्री राधा रमण** : राजस्व के अतिरिक्त, जिसकी स्थिति के संबंध में अभी तक पता नहीं लग सका है, क्या 'पूल' करार के परिणाम स्वरूप यात्रियों के यातायात में भी कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरा ख्याल है कि यातायात में वृद्धि हुई है, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या यह वृद्धि 'पूलिंग' के परिणाम स्वरूप हुई है या कि किन्हीं अन्य कारणों से ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या किन्हीं अन्य देशों से भी करार करने के संबंध में सुझाव विचाराधीन है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : विवरण में यह बता दिया गया है कि फिलहाल किसी भी नये सुझाव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस 'पूल' के परिणाम स्वरूप विमान के किराये-दरों में वृद्धि हुई है या कमी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संस्था के सामान्य नियमों के अनुसार कोई भी.......

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो इसका यह अर्थ है कि किराये नहीं बढ़े हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेडा : जहां तक वर्तमान सेवाओं का संबंध है, उनके संबंध में तो यह करार ठीक है, परन्तु विस्तार के समय क्या होगा ? ज्ञात हुआ है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहता है । क्या यह करार उसके लिये लाभकारी सिद्ध होगा या बाधा स्वरूप ?

†श्री मुहीउद्दीन : जब विस्तार किया जायेगा, उस समय इस प्रश्न पर अलग रूप से विचार कर लिया जायेगा ।

†श्री त्यागी : इस 'पूलिंग' का क्या क्या असर होगा ? क्या प्राप्त होने वाले लाभ को विभिन्न सेवाओं के अनुपात से बांटा जायेगा, या कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा विमानों में लाये या ले जाय जाने वाले यात्रियों की संख्या पर निर्भर करेगा ?

†श्री मुहीउद्दीन : संबंधित एयर लाइन्स में कुछ सिद्धांतों के बारे में फैसला कर लिया गया है और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राजस्व का वितरण किया जायगा ।

†श्री त्यागी : मैं स्पष्टतया यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह 'पूलिंग' किया गया है और यह लाभ कैसे बांटा जायगा ?

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस संबंध में कोई लिखित करार है ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी, हां । वह तीन व्यापारिक साथों में एक करार है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाय ।

†श्री मुहीउद्दीन : मेरा ख्याल है कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर माननीय सदस्य को यह जानकारी दी जाय ।

†श्री मुहीउद्दीन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं । उदाहरणार्थ यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि तीन एयर लाइन्स के प्रतिनिधि पारस्परिक विचार विमर्श से यह निर्णय करेंगे कि प्रत्येक एयर लाइन किसी विशेष मार्ग के लिये कितनी क्षमता प्रदान कर सकती है । फिर उसी क्षमता के आधार पर राजस्व बांटा जाता है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या करार अभी तक नहीं किया गया है ?

†श्री मुहीउद्दीन : उस करार पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर कुछ निर्णय भी किया जा चुका होगा ।

†श्री त्यागी : क्या विभिन्न लाइनों को अनुघट आवंटित करते समय उन की भूत-काल की पूरी क्षमता को भी ध्यान में रखा गया था ? क्या इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि हमारे विमान अधिकांश पूरे भरे हुए जाया करते थे, जब कि अन्य लाइनों के विमान पूरे भरे नहीं होते थे ?

†श्री मुहीउद्दीन : जी, हां । उन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उस करार के संगत अंशों को सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति है । सारा करार रखने की कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु आय के वितरण से सम्बन्ध रखने वाले संगत अंश रखे जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैं इस सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि यह करार तीन स्वायत्त निगमों में हुआ है । यह सच है कि हमारा निगम सरकार के अधीन है, परन्तु इस जानकारी को सभा पटल पर रखने से पहले शेष दोनों भागीदारों से परामर्श कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यहां दी गयी जानकारी सारे विश्व में फैल जायेगी और संभव है कि अन्य दोनों भागीदार यह न चाहते हों कि यह जानकारी किसी और को ज्ञात हो सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब अपनी कारपोरेशन पर संसद् का अधिकार है तो उसे यह जानने का भी अधिकार है कि उस करार का हमारे देश की आय पर क्या असर पड़ता है ।

†**श्री त्यागी :** सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनायें संसद् के अधीन हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में इस समय चर्चा करने की आवयश्कता नहीं है । मैं स्वयं इस बारे में विचार करूंगा और माननीय मंत्री से विचार विमर्श करूंगा । परन्तु मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों को अवश्य दी जानी चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण में यह बताया गया है कि एयर इंडिया इन्टर-नेशनल ने एयरोफ्लाट तथा चेकोस्लोवाक एयरलाइन्स से भी इसी प्रकार का प्रबन्ध कर लिया है । उन करारों में एयरोफ्लाट, और चैकोस्लोवाक एयरलाइन्स तथा बी० ओ० ए० सी० और केंटास के बीच वास्तव में कितना प्रतिशतक निर्धारित किया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मेरे पास इस समय कुल राजस्व और वितरण के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं । करार के अधीन मोटे तौर पर राजस्व का वितरण विशिष्ट एयरलाइन्स द्वारा किसी विशेष मार्ग पर की गयी सेवाओं की संख्या के आधार पर किया जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** विवरण में यह कहा गया है कि आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया इन्टरनेशनल के राजस्व की स्थिति संतोषजनक होगी । तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि अब स्थिति करार करने से पहले की स्थिति से बेहतर होगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी, हां । इस का यही तात्पर्य है ।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या यह सुझाव एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था या कि बी० ओ० ए० सी० द्वारा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह तो एक पारस्परिक सुझाव था ।

†**श्री कालिका सिंह :** परन्तु इस सुझाव को किसी एक ही पक्ष ने प्रस्तुत किया होगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस प्रकार के सुझाव प्रीति भोजन-पार्टियों या चाय पार्टियों में पारस्परिक विचार विमर्श से प्रस्तुत किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यदि एयरोफ्लाट और चेकोस्लोवाक एयरलाइन्स पचास पचास प्रतिशत के आधार पर राजस्व बांटते हैं, तो एयर इंडिया इन्टरनेशनल, बी० ओ० ए० सी० और केंटास में आपस में कितना कितना बांटा जाता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न दुहरा दिया जाये तो उत्तर भी दुहरा दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तो फिर वह अब भी नहीं देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या २४१ और २४४ के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय अध्यक्ष के पास यह अभ्यावेदन भेजा गया था कि तारांकित प्रश्न संख्या २४१ और २४४ को इकट्ठे ही ले लिया जाये । और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार कर लिया है । अतः अब हम इन दोनों प्रश्नों को इकट्ठे ही लेंगे ।

रेलवे में आम हड़ताल

\+

†*२४१. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जो उनकी सेवा में क्रमभंग (ब्रेक) हो गया था, उसे क्षमा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सभी मामलों में किया गया है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों के सेवा क्रमभंग (ब्रेक) को क्षमा किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) लगभग २·३ लाख ।

रेलवे में आम हड़ताल

\+

†*२४४. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९६० में हुई आम हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे के कुल कितने कर्मचारी ३१ अक्तूबर, १९६० को मुअत्तिल थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त हड़ताल में भाग लेने के कारण कुल कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गईं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). हड़ताल में केवल भाग लेने के अपराध में ही किसी भी व्यक्ति को नौकरी से हटाया अथवा मुअत्तिल नहीं किया गया था । ३१-१०-६० को हड़ताल के सिलसिले में जो कर्मचारी मुअत्तिल थे, उनकी संख्या १,५२५ थी और जो नौकरी से हटा दिये गये थे, उनकी संख्या ३४८ थी ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि इन्टेग्रल कोच फैक्टरी के ३० कर्मचारी अभी तक मुअत्तिल हैं, उन में से कुछ एक को आरोप पत्र भी नहीं दिये गये हैं, और जिन थोड़े से व्यक्तियों को दिये भी गये हैं, वे आरोप केवल हड़ताल में भाग लेने के सम्बन्ध में हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इन की संख्या के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि ये आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सेवा क्रमभंग को क्षमा कर दिया जाये । क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि बहुत सी रेलों के महाप्रबन्धकों ने इन आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारियों की सेवा में क्रमभंग हो गया है ? क्या उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित बनाने के लिये महाप्रबन्धकों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** माननीय सदस्य को इस प्रकार से महाप्रबन्धकों पर आरोप लगाने से पहले यह पूछना चाहिये कि ये आदेश कब जारी किये गये थे । वास्तव में ये आर्डर अभी कुछ दिन पूर्व ही तो जारी किये गये हैं ।

†**श्री त० व० विट्ठल राव :** कुछ ऐसे रेलवे कर्मचारी भी हैं जो कि सेवा क्रमभंग को क्षमा कर देने के आदेश जारी किये जाने से पहले ही सेवा निवृत्ति आयु पर पहुंचने के कारण सेवा निवृत्त हो गये हैं। क्या उन के मामलों पर भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** यदि वे इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन करेंगे, तो उनके मामलों पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** खड़गपुर क्षेत्र में बहुत से अस्थायी लाइन्स मेन कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अब उन्हें पदावनत कर दिया गया है ? क्या उन्हें पहले के स्थानों पर पुनः ले लिया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** अस्थायी तथा आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से अलग रूप में लेना होगा । यदि वे किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं और उस सम्बन्ध में अभ्यावेदन करते हैं तो उनके मामले पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री प्रभात कार :** जिन ३४८ व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया है, उनमें से कितने व्यक्तियों पर किन्हीं अन्य अपराधों के आधार पर मुकदमे चलाये गये थे ? क्या केवल आरोप पत्र दे कर ही उन्हें सेवाओं से अलग कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप पत्र जारी करके ही सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। उस के लिये नियमानुसार मुकदमा चलाना पड़ता है।

†**श्री नाथ पाई :** इस सभा में माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि सिवाय उन कर्मचारियों के जिन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य किया हो, शेष किसी भी कर्मचारी को नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा। क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ३४८ व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों पर हिंसात्मक कार्यों का आरोप है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संख्या में हिंसात्मक, तोड़-फोड़ आदि के मामले भी सम्मिलित हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को भी नौकरी से हटा *दिया गया* है जिन्होंने केवल मात्र हड़ताल में भाग लिया था ?

†**श्री जगजीवन राम :** किसी भी व्यक्ति को केवल हड़ताल में भाग लेने पर दण्ड नहीं दिया जायेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा :** यदि मुकदमा चालाया गया हो, तो ?

†**श्री जगजीवन राम :** तो भी केवल हड़ताल में भाग लेने पर किसी को भी सेवा से अलग नहीं किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री का यह कहना है कि केवल मात्र हड़ताल में भाग लेने पर किसी को भी नहीं हटाया गया है। परन्तु रेलवे प्रशासन ने स्वयं यह कहा है कि इस प्रकार के कई कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। क्या माननीय मंत्री ऐसे मामलों पर विचार करेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम :** वास्तव में इस प्रकार के सभी मामलों का पुनरीक्षण किया गया है। जिन कर्मचारियों को हटा दिया गया है, उनके मामलों का भी पुनरीक्षण किया गया है और विचार के बाद ३१ अक्टूबर, १९६० को उनकी संख्या इतनी थी।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार विश्वास दिला सकती है . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सभा में कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस समय तो केवल जानकारी ही दी जा सकती है।

†**श्री त्यागी :** मैं तो केवल सरकारी नीति के बारे में पूछ रहा हूं। क्या सरकार की नीति यह है कि यहां पर जो कुछ भी कहा जाता है, वह उस पर सुदृढ़ रहती है या नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक तथा तार वर्दी समिति

†*२१७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की वर्दी के लिये खादी का प्रयोग बन्द करने के बारे में डाक तथा तार निदेशालय की वर्दी समिति की सिफारिशों पर विचार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: इस बीच यह निश्चय किया गया है कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की वर्दी के लिये खादी का प्रयोग जारी रखा जाये।

मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति

†*२२२. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री गोरे :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पत्तनों, विशेष कर प्रदीप के विकास सम्बन्धी योजनायें तैयार की जा चुकी हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

कोयला क्षेत्रों का निरीक्षण

†*२२३. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य कोयला क्षेत्रों में भी रेलवे निरीक्षण लागू करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयला खनकों से इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है और संविदा करार तथा अन्य बातों को यथा शीघ्र तय करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

फतेहपुर-चूरू लाइन पर भाड़ा

†*२२४. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फतेहपुर-चूरू रेलवे लाइन पर बढ़े हुए किराये को कम करने के बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर पुर्नविचार किया है; और

(ग) इस विषय में क्या फैसला किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) लाइन को चालू करने पर यह पता चला है कि किराये में इस समय जो १०० प्रतिशत की वृद्धि है, उस से इस लाइन पर लाभ की गुंजाइश नहीं है । अतः यह निश्चय किया गया है कि फतहपुर-चूरू लाइन पर किराया बढ़ा हुआ ही रखा जाय ।

थाइलैंड से चावल की खरीद

†*२२५. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री तंगामणि : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थाईलैंड से चावल खरीदने के बारे में वहां की सरकार के साथ जो बातचीत हो रही थी उसका क्या परिणाम निकलता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था

†*२२६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री किराया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था की केनेस (फ्रांस) में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सम्मेलन में विमानों के किराये को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में भारत का क्या मत था; और

(ङ) किन देशों ने भारत के मत का समर्थन किया ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था का यातायात सम्मेलन सितम्बर/अक्तूबर, १९६० में केंस में सन्था की सदस्य-एयरलाइनों द्वारा अपनाये गये किरायों तथा भाड़ों पर विचार करने के लिये हुई थी ।

(ख) सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि फरवरी-मार्च, १९६० में पेरिस में यातायात सम्मेलन में जो विश्वव्यापी किराये तय हुये थे उन्हें कायम रखा जाये तथा केवल कुछ क्षेत्रों में उत्तरी प्रशान्त/एटलांटिक के किरायों में परिवर्तन किया जाये ।

(ग) सम्मेलन में कुछ क्षेत्रों में उत्तरी एटलांटिक/प्रशान्त एयरलाइन्स के किरायों को कम करने के प्रस्तावों पर विचार किया ।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्था विश्व के एयरलाइनों की एक गैर-सरकारी संस्था है और भारत सरकार तथा अन्य कोई भी सरकार इस विषय में उससे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है । एयर इंडिया इंटरनेशनल ने कुछ क्षेत्रों में उत्तरी एटलांटिक के किरायों को कम करने का सुझाव दिया था । इसके लिये बहुत थोड़ा समर्थन मिला ।

दक्षिण अफ्रीकी अश्व रोग

†*२२७.
श्री प्र० के० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री गोरे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीकी अश्व रोग भारत में कैसे आया ; और

(ख) अब तक राज्यवार कितने घोड़े इस रोग के कारण मरे हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अश्व रोग होने की खबर नवम्बर, १९५९ में पाकिस्तान और अप्रैल, १९६० में राजस्थान के सीमावर्ती राज्य से मिला । अतः इसकी पूरी सम्भावना है कि यह बीमारी पाकिस्तान से भारत में आई ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	मृत जानवरों की संख्या
१	आन्ध्र प्रदेश	५७२
२	बिहार	१७०
३	महाराष्ट्र	८८६१
४	मध्य प्रदेश	४५६७
५	मैसूर	५४६
६	पंजाब	२
७	राजस्थान	३३२
८	उत्तर प्रदेश	२९९
९	जम्मू और काश्मीर	४११
१०	गुजरात	८६
	कुल	१५,८४९

दिल्ली में बड़े पैमाने पर मछलियों का मरना

†*२२८. **श्री ब० च० मलिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में बहुत बड़ी संख्या में मछलियां नष्ट हो रही हैं और उनके बड़े पैमाने पर मरने का कारण नदी के ऊपर की ओर डाइनेमाइट लगाना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष इस प्रकार की कितनी मछलियां नष्ट होती हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में इतनी अधिक संख्या में मछलियों के मरने का एक मुख्य कारण यह भी है कि गन्दे नाले नदी में गिरते हैं ; और

(घ) सरकार ने मछलियों के इस प्रकार मरने को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग) दिल्ली राज्य में नदी के ऊपर की ओर डाइनामाइट लगाने से मछलियां नहीं मरी हैं अपितु नदी में गन्दे नालों के गिरने के कारण ओखला के निकट इतनी बड़ी संख्या में मछलियां मरी हैं ।

(घ) दिल्ली नगर निगम से सीवर और जल स्वच्छीकरण संयंत्र लगाने में शीघ्रता लाने के लिये कहा गया है । इनके बन जाने पर नाले का पानी स्वच्छ होने के बाद ही नहर में गिरेगा । निगम जून, १९६१ तक इनका निर्माण कर लेगा । इस बीच किलोकरी में पम्प लगा दिये गये हैं जिससे ओखला में गन्दे नालों के पानी का आना बहुत कम हो गया है ।

घी में मिलावट

†*२२९. **श्री कालिका सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेलों के निर्माता घी में वनस्पति की मिलावट को रोकने की दृष्टि से वनस्पति में ५ प्रति शत मात्रा में तिल का तेल मिलाते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार घी में वनस्पति की मिलावट रोकने के लिये अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस विषय में कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या वनस्पति के निर्माता वनस्पति में रंग डाले जाने के खिलाफ हैं चाहे ऐसे रंग हानिरहित ही क्यों न हों ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वनस्पति में रंग देने के लिये एक दिखाई देने वाला उपयुक्त रंग निकालने की कोशिश की जा रही है ।

(ग) इस सम्बन्ध में गहन अनुसन्धान करने के लिये जून, १९६० में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी और काम चल रहा है ।

(घ) और (ङ) हां, श्रीमान् । उन्होंने निम्नलिखित कारण बताये हैं :—

(१) खाद्य पदार्थों में विदेशी रंग मिलाना वैज्ञानिक सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

(२) वनस्पति इस समय जैसा भी है, उसमें तिल के तेल के मिले रहने के कारण उसका अपना अलग रंग होता है ।

(३) यदि वनस्पति में रंग मिलाया जायेगा तो उससे बनी हुई वस्तुओं को उपभोक्ता स्वीकार नहीं करेंगे ।

(४) अन्य देशों ने शुद्ध भोजन विधियों को प्रभावशाली ढंग से लागू करके तथा डिब्बों में बन्द भोजन के उद्योगों को विकसित करके इस समस्या को हल किया है ।

वन गवेषणा संस्था, देहरादून

*२३०. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देहरादून की वन गवेषणा संस्था के वर्तमान स्वरूप को ऊंचा उठा कर उसे विश्वविद्यालय बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था को कब तक विश्वविद्यालय बना दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मंगलोर पत्तन

†*२३१. **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री आचार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी गैर-सरकारी सार्थ ने मंगलौर पत्तन के विकास में भारत की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागार्जुनसागर परियोजना के लिये राशि

†*२३२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि नागार्जुन सागर परियोजना के लिये १९६०–६१ में दो करोड़ रुपये की और अधिक राशि दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, १९६० में यह प्रार्थना की थी कि वर्ष १९६०–६१ के लिये नागार्जुनसागर परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता ३ · ५ करोड़ रुपये बढ़ा दी जाये । भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाने से असमर्थता प्रकट की । अक्तूबर, १९६० में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता में कम से कम १ करोड़ रुपये बढ़ाने की प्रार्थना की । राज्य सरकार को बताया गया है कि केन्द्रीय सहायता की राशि में कोई भी वृद्धि नहीं की जा सकेगी और यदि राज्य सरकार यह चाहती है कि राज्य की अन्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता में से इसके लिये कुछ दे दिया जाये तो वह इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अपने प्रस्ताव भेजे ।

बारासात–बसिरहाट लाइन

†*२३३. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारासात-बसिरहाट बड़ी लाइन का निर्माण चालू कार्य काल में पूरा हो जायेगा ; और

(ख) वह लाइन यातायात के लिये कब खुल जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सितम्बर/अक्तूबर, १९६१ तक लाइन के बन जाने की आशा है ।

(ख) १९६१ के अन्त तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नमक

†*२३४. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में बिकने वाले नमक में सफेद खड़िया मिट्टी मिली होती है ;

(ख) यदि हां, तो नमक में खड़िया मिट्टी की कितनी प्रतिशत मात्रा रहती है ;

(ग) संघ क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिल्ली राज्य में पुलिस ने ऐसे कितने मामलों की सूचना दी है ; और

(घ) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली के स्थानीय निकायों द्वारा जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया उनमें ऐसी कोई मिलावट नहीं निकली ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग[1]

†*२३५. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण के लिये कोई निश्चित योजना विचारार्थ प्रस्तुत की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में अपनी ओर से पहलकदमी करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मार्च, १९५९ में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता से दुर्गापुर तक एक एक्सप्रेस वे बनाने का सुझाव पेश किया । भारत सरकार ने उसकी जांच की और राज्य सरकार को यह सलाह दी कि प्रथम कदम के रूप में उस क्षेत्र का एक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये कि लाइन कहां से शुरू हो तथा कहां पर समाप्त हो और उसके आंकड़े भारत सरकार को प्रस्तुत किये जायें ताकि वह उस परियोजना की आवश्यकता तथा उससे आर्थिक लाभ का अनुमान लगा सके । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को यह बताया गया कि प्रथमत: एक्सप्रेस वे के कलकत्ता पलसित (बर्दवान के निकट) सेक्शन के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाये जहां वर्तमान सड़क पर इस समय और सड़कों के मुकाबले में ज्यादा भीड़ रहती है ।

२. राज्य सरकार ने इस बीच यातायात के अपेक्षित आंकड़े पेश कर दिये हैं और इस विषय पर आगे विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Express way.

नंगल की सुरंग को क्षति

†*२३६. श्री आसर :
श्री रामी रेड्डी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री हेमराज :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ अक्तूबर, १९६० को नंगल बांध के हेडवर्क्स नं० १ की ऊपरी टनेल बे (सुरंग) की छत को गम्भीर क्षति पहुंचने के कारण उसमें काफी तेजी से पानी भर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां, श्रीमान् । मिट्टी हटाने वाली एक सुरंग की ऊपर की छत फट गई जिसके फलस्वरूप बे संख्या १ के द्वार के तीन गर्डर बह गये । इससे द्वार के नीचे गिराने में बाधा उत्पन्न हुई । इस बीच इसकी मरम्मत कर दी गई है और १८ अक्तूबर, १९६० से काम आरभ हो गया है ।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४].**

सुलतानपुर, दिल्ली में कच्चा कुआं

†*२३७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के समीप सुलतानपुर में बड़े कच्चे कुएं के निर्माण का जो परीक्षण किया गया था उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे परीक्षण करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) दिल्ली के समीप सुलतानपुर में प्रयोगात्मक रूप से बड़े कच्चे कुयें की खुदाई का काम इस वर्ष मानसून मौसम के पहले ही पूरा हो गया है। उस कुयें में एक पम्प गृह अभी पूरा किया जाना है । भारत सरकार ने कुएं की आर्थिक उपयोगिता का अनुमान लगाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है ।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार ही अन्य क्षेत्रों में ऐसे प्रयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम सड़क विकास सहकारी योजना

†*२३८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम सड़क विकास सहकारी योजना के अन्तर्गत ग्राम सड़कों के निर्माण के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है ;

(ख) क्या स्थानीय परिस्थितियों के कारण उनके प्राथमिकता क्रम में कोई भी परिवर्तन कराने के लिये पहले केन्द्र से मंजूरी लेनी पड़ती है ; और

(ग) क्या इस प्रक्रिया के कारण स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सड़कों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब होता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पार्सल और माल यातायात में पारगमन विलम्ब

†*२३९. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सल और माल यातायात में पारगमन विलम्ब होने के फलस्वरूप सामने आने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये रेलवे के आठ जोनों में से प्रत्येक में एक स्थायी समिति बनाई जायेगी, जिसमें संचालन और वाणिज्य विभागों के दो अधिकारी रहेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) समिति में दो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे जिनमें प्रत्येक रेलवे की संचालन शाखा तथा वाणिज्य शाखा का एक-एक पदाधिकारी होगा । साथ ही साथ यह समिति यह देखेगी कि विभिन्न सेक्शनों पर माल के आने जाने में कितना समय लगता है और सुधार के लिये आवश्यक कदम उठायेगी और आगे यह सुनिश्चित करेगी कि नियमित रूप से उस प्रकार कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें ठीक तरह से लागू किया जा रहा है ।

टिकटों का न मिलना

†*२४०. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रूपसा-बारीपदा शाखा लाइन के विभिन्न स्टेशनों के टिकट नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि टिकट न मिलने के कारण बहुत से यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करनी पड़ती है, और उनसे बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में दंड वसूल किया जाता है या उन पर मुकदमा चलाया जाता है ; और

(ग) जुलाई से अक्तूबर, १९६० तक इस लाइन पर कितने व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में पकड़ा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रूपसा-बारीपदा शाखा के सभी स्टेशनों पर टिकट दिये जाते हैं और केवल जुगपाड़ा स्टेशन को छोड़कर प्रत्येक स्टेशन पर काफी मात्रा में टिकट होते हैं। इस स्टेशन पर कुछ ही जगहों के लिये छपे हुये स्टेशनों की कमी महसूस की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) ७८।

भांडागार निगम

†*२४२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत के भांडागार निगमों के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति योजना लागू करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ; और

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केन्द्रीय भांडागारों में खाद्यान्न जैसे बिना खतरे के माल की क्षति के लिये उस माल के जमा कराने वालों को प्रतिकर देने की केन्द्रीय भांडागार निगम की योजना को निगम के संचालक मंडल ने स्वीकार कर लिया है।

(ख) यह सोचा गया है कि बीमा कम्पनियों में स्टाक का बीमा कराने की अपेक्षा निगम को अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये कि वह निश्चित खतरों से होने वाली हानि के लिये माल जमा कराने वालों को प्रतिकर देगा। यह योजना, रूई, पटसन, तेल आदि पर लागू नहीं होती है जो कि आग द्वारा पूर्णतः नष्ट हो सकते हैं।

(ग) यह योजना उन्हीं राज्यों में केन्द्रीय भांडागारों में लागू की गई है जहां राज्य भांडागार अधिनियम और/अथवा अनिवार्य बीमा के नियम अभी लागू नहीं किये गये हैं।

परादीप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†*२४३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० तक उड़ीसा के परादीप बन्दरगाह से जापान को कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : परादीप पत्तन से अब तक ६०,५५२ टन अयस्क बाहर भेजा गया।

दिल्ली में चिड़ियाघर

*२४५. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सुबिमन घोष :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चिड़ियाघर बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) इस के निर्माण को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) से (ग). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ६५ ।]**

रेलवे पटरी पर बम विस्फोट

†*२४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर **और** पठानकोट के बीच रेलवे की पटरी पर हुए बम विस्फोट से संबंधित व्यक्तियों का पता लगाने के संबंध में तब से क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : इस मामले के बारे में पुलिस अभी छान-बीन कर रही है ।

डीजल रेलकारें

†*२४७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में डीजल रेलकारों के निर्माण के प्रश्न के संबंध में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रेलगाड़ी के लिये डिब्बे इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में बनाये जायेंगे । इंजन दशी निर्माताओं से प्राप्त किये जायेंगे और यह डिब्बों में फिट कर दिये जायेंगे ।

कोनार बांध

†*२४८. { **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोनार बांध पर किये गये निर्माण कार्य के लिये मैसर्स हिन्द पटेल एन्ड कम्पनी को अधिक अदायगी के मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही अब समाप्त हा गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान्। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थता की कार्यवाही अप्रैल, १९६१ तक पूरी हो जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दुर्गापुर के निकट गाड़ी की टक्कर

†*२४९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी रेलवे इन्स्पैक्टर द्वारा जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या किसी कर्मचारी को दंड दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वह कर्मचारी किस पद पर है ;

(घ) क्या मृतकों और घायलों के परिवारों को कोई मुआवज़ा दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो मुआवजे की कुल रकम कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) और (ङ). जो दो क्लेम प्राप्त हुए थे, उनका निपटारा पदेन क्लेम आयुक्त, **बदवान** द्वारा किया जा रहा है और जैसे ही क्लेमों के बारे में न्यायनिर्णय हो जायेगा, भुगतान कर दिया जायेगा ।

दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी का संभरण

†*२५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के वाटर वर्क्स में पानी को शुद्ध करने तथा पीने के योग्य बनाने के लिए कितना क्लोरीन मिलाया जाता है ;

(ख) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे स्थानों में कितनी मात्रा मिलाई जाती है; और

(ग) यदि उनकी मात्राओं में कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पहले क्लोरीन लगभग ०.८ पी० पी० एम०[1] मिलाया जाता है और बाद को लगभग १ से १.५ पी० पी० एम० मिलाया जाता है ।

(ख) एक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६६]**

(ग) कच्चा पानी कैसा है तथा उसमें कितना क्लोरीन मिलाने की आवश्यकता है यह देख कर ही क्लोरीन मिलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ports per million.

यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

†*२५१. { **श्री मुरारका :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया से पोत खरीदने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने पोत खरीदे जायेंगे और किस मूल्य पर ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं, श्रीमान् । अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हुगली में नदी नियंत्रण प्रयोग

†*२५२. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में हुगली नदी के संबंध में नदी नियंत्रण प्रयोगों में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या हुगली नदी में "बालारी बार" में जल की गहराई अभी भी चिन्ता का विषय बनी हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जो प्रयोग हुये हैं उन से शंकराल तथा मुनिखाली बारों, फल्टा-ईस्टर्न गेट रीच और किंग जार्जेज़ डाक एन्ट्रेंस के लिये हल निकल आये हैं और बालारी बार के लिये काम पूरा होने को आ गया है ।

(ख) हां श्रीमान; किन्तु अधिक मात्रा में तलकर्षण से कुछ सुधार हुआ है ।

दिल्ली में डी-लक्स टूरिस्ट टैक्सियां

†*२५३. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डी एल वाई नम्बर की छोटी डी-लक्स टूरिस्ट टैक्सियां चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ये कारें बाहर से आयात करेगी ; और

(घ) इन कारों के चलाने के लिए लाइसेंस देने का मानदण्ड क्या होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार ने यह निश्चय किया है कि देश में बनी बीच के आकार की कारों को डी एल वाई रजिस्ट्रेशन नम्बरों के अन्तर्गत टूरिस्ट कारों के रूप में चलाने की अनुमति दे दी जाय ।

(ख) दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार पुरानी डी एल जैड कारों के स्थान पर, जो टूरिस्ट कारों के रूप में प्रयोग में आने योग्य नहीं हैं, नई बीच के आकार की कारें चलाने की अनुमति देगा ।

(ग) केवल देश में बनी बीच के आकार की कारों को ही डी एल वाई कारों के रूप में लाइसस दिये जायेंगे और उन्हें विदेशों से मंगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी ।

(घ) दिल्ली राज्य परिवहन प्रधिकार उन प्रार्थियों को, जिन्हें परिवहन अथवा पर्यटन व्यापार का अनुभव है और जिनके पास कार्यालय, टेलीफोन तथा कारों को रखने की जगह है, कम से कम पांच बड़ी कारों के लिये टूरिस्ट कार परमिट जारी कर रही है। नई बीच के आकार की कारों के लिये केवल उन बड़ी कारों के स्थान पर चलने की ही अनमति दी जायेगी जो बेकार घोषित कर दी जायेंगी क्योंकि सरकार ने भारत में बड़ी कारों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ।

हैदराबाद विशाखापटनम् विमान सेवा

†*२५४. { **श्री रामी रेड्डी :**
श्री उस्मान अली खां :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद विशाखापटनम् के बीच विमान सेवा बन्द करने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस विमान सेवा को कायम रखने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). क्योंकि हैदराबाद विशाखापटनम् क्षेत्र में यातायात बहुत कम रहता है तथा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन बराबर नुकसान उठा रहा है, अतः कारपोरेशन इस सेवा को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) इस विषय पर कारपोरेशन तथा राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में संचार साधन

†*२५५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल की बाढ़ों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज पथों, सड़कों तथा पुलों को हुई क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्षति की अनुमानित राशि क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी राज्य सरकार से इसके बारे में बात चीत करने के लिए उड़ीसा गया था ;

(घ) क्या भारत सरकार उड़ीसा में बाढ़ के कारण नष्ट भ्रष्ट सड़क संचार साधनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता दे रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां श्रीमान ।

(ख) ३० लाख रुपये ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) और (ङ). परिवहन तथा संचार मंत्रालय उन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत आदि की लागत देगी जो बाढ़ से बिगड़ गये हैं ।

इंजनों का निर्यात

†*२५६. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजनों का जिन देशों में निर्यात किया जा सकता है उनका पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की सफलता मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में संतति निरोध तथा परिवार नियोजन

†*२५७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आसर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र में संतति निरोध तथा परिवार नियोजन के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम लागू करने का विचार कर रहा है ; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन केन्द्र खोलना चाहता है । इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पहाड़गंज, नये औद्योगिक क्षेत्र के डिस्पेंसरियों, सब्जी मंडी में परिवार नियोजन केन्द्र खोलने का विचार है ।

दिल्ली नगर निगम की परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बढ़ाने की भी योजना है । इस योजना की सारी बातें तय की जा रही हैं ।

भारत अमरीका विमान वार्ता

. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा अमरीका के प्रतिनिधि मंडलों के बीच पन्द्रह दिनों तक हुई बातचीत में कोई समझौता नहीं हो पाया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : गत अक्तूबर में भारत और अमरीका के बीच हुई विमान वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला ।

सभा में बातचीत के ब्यौरे पर चर्चा करना जनहित में नहीं होगा ।

खाद्यान्नों का आयात

†*२५९. **श्री तंगामणि :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० की अवधि में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया ; और

(ख) अमरीका, बर्मा और संयुक्त अरब गणराज्य से विभिन्न करारों के अधीन कितनी मात्रा में चावल और गेहूं का आयात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लगभग ११.१९ लाख टन ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

जनकदेईपुर स्टेशन

†३१३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनकदेईपुर स्टेशन के सुधार के लिए हाल में क्या कदम उठाए गए हैं ?

(ख) क्या प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या स्टेशन मास्टर का कार्यालय पूर्ण हो गया है ;

(घ) क्या स्टेशन पर बिजली लगाई जा चुकी है ; और

(ङ) क्या पीने के पानी की सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) निम्नलिखित सुविधाओं के लिए उपबन्ध किया गया है :

(१) एक प्रतीक्षालय ;

(२) पीने के पानी की सुविधायें ; और

(३) एक तीन खुड्डियों का शौचालय ।

(ख) प्रतीक्षा कक्षों के लिए कोई उपबन्ध नहीं है । परन्तु तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय के निर्माण का कार्य चल रहा है ।

(ग) जनकदेईपुर एक हाल्ट स्टेशन है । वहां अभी स्टेशन मास्टर के कार्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(घ) स्टेशन के क्षेत्र में बिजली लगी हुई है ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

उड़ीसा म कृषि कालेज

†३१४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न कृषि कालेजों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन में से प्रत्येक को १९५९-६० और १९६०-६१ में अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में अधिक कृषि कालेजों की स्थापना में सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) उड़ीसा में केवल एक कालेज है— उत्कल कृषि महाविद्यालय, भुवनेश्वर ।

(ख) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार अनुदानों और ऋणों के रूप में सहायता विकास मदों

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनसार दी जाती है, प्रत्यक योजना के लिए पृथक रूप से नहीं । इसलिए उपर्युक्त कालेज के विकास के संबंध में १९५९–६० और १९६०–६१ में वास्तव में प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इस समय उड़ीसा में अधिक कृषि कालेजों की स्थापना का कोई विचार नहीं है ।

उड़ीसा में चिकित्सा की देशी पद्धतियां

†३१५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को दूसरी योजना अवधि में अभी तक किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दूसरी योजनावधि में उड़ीसा सरकार को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के लिए २६.७०५ लाख रुपए के अनुदान दिए गए थे । उन योजनाओं में देशी चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुवद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा का विकास सम्मिलित है । केन्द्रीय सहायता दिए जाने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुदान पिण्डराशि में दिए जाते हैं और राज्य व्यय का एक वर्ग की योजनाओं के अन्दर एक योजना से दूसरे में विनियमन करने के लिए स्वतंत्र है । अतः किसी एक योजना की सहायता राशि अलग से बताना संभव नहीं है ।

बटाला स्टेशन पर शिकायतें

†३१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाला जंक्शन स्टेशन पर १९५९–६० के दौरान शिकायत-पुस्तक में कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गई थीं ; और

(ख) उन पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई अथवा की जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) प्रशासकीय वर्ष १९५९–६० में बटाला जंकशन पर शिकायत पुस्तक में ७ शिकायतें दर्ज की गई थीं ।

शिकायतों का विषय और संख्या निम्न प्रकार है :

विषय	संख्या
(१) घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार	१
(२) यांत्रिक खराबियां अर्थात् पंखों अथवा बल्बों का ठीक काम न करना	१
(३) असंतोषजनक भोजन व्यवस्था . . .	१
(४) सड़क यातायात का रोका जाना . . .	३
(५) विविध शिकायतें	१
योग . .	७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन खराबियों के सुधार के लिए कार्यवाही की गई है जिनके कारण वे शिकायतें आई थीं और उनके लिए दोषी कर्मचारियों के साथ उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

कलकत्ता पत्तन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कर्मचारी

†३१७. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन में पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पिछले दो वर्षों में स्थायी और अस्थायी सेवाओं में कितनी नियुक्तियां की गईं; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित समस्त स्थान भरे जा चुके हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वर्ष १९५८ और १९५९ में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा ४३०४।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकान

†३१८. **श्री ी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला पोस्टल डिवीजन में अभी तक कितने डाक तथा तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ख) शेष कर्मचारियों को कब तक सरकारी क्वार्टर दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) ३०८ को विभागीय क्वार्टरों में और ९ को किराये की इमारतों में। इन के अतिरिक्त ६० अन्य क्वार्टरों में सब-पोस्ट मास्टर रह रहे हैं।

(ख) २५ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है और ४१ अन्य के लिये मंजूरी दी जा चुकी है। विभाग के लिये अपने सीमित संसाधनों में समस्त कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करना संभव नहीं है परन्तु संसाधन उपलब्ध होने पर कुछ अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का विचार किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट पालन

†३१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल में किसी ऐसी सरकारी संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है जिसमें ग्राम कुक्कुट पालन कर्मियों के प्रशिक्षण एवं कुक्कुटों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनकी नस्ल सुधारने के लिये गवेषणा और स्थानीय कुक्कुट-पालकों को सहायता के लिये सुविधायें उपलब्ध होंगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के लिये कौन सा स्थान चुना गया है, उसमें कितनी पूंजी लगेगी तथा उसका संचालन किस अभिकरण द्वारा किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी, नहीं। १९५९ में स्थापित किये गये क्षेत्रीय कुक्कुट पालन फार्म, कमलाही में ये सुविधायें पहले ही उपलब्ध हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटेन के पर्यटक

†३२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में ब्रिटेन से कितने पर्यटक भारत भ्रमण के लिये आये; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उनसे कुल कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) पर्यटकों के आंकड़े कलेंडर वर्षों के अनुसार रखे जाते हैं। १९५९ में ब्रिटेन से १६,८७५ पयटक भारत आए।

(ख) उन से उपरोक्त अवधि में हुई आय का निर्धारण ४.६१ करोड़ रुपय किया गया है।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का संभरण

†३२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार की ओर से पठानकोट के गांवों के लिय पीने के पानी के संभरण की १.२ करोड़ रुपये की योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उसकी जांच तथा अनुमोदन किया जा चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). पठानकोट तहसील के कण्डी क्षेत्र के गांवों के लिये तीन योजनायें प्राप्त हुई थीं परन्तु उन योजनाओं की अनुमानित लागत केवल १३.७५ लाख रुपये है। इनमें से १२.९० लाख रुपये की दो योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है। इन योजनाओं में चक्की नदी के पास कुएं खोदकर ३८ गांवों को पानी का संभरण किया जायेगा। .८५ लाख रुपये की तीसरी योजना का अनुमोदन अभी नहीं किया गया है।

बिजली

†३२२. **श्री मुरारका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :-

(क) १९५०-५१ में वास्तव में कितनी बिजली का उत्पादन किया गया था;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में कितना लक्ष्य पूरा किया गया था, उसके लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, इसके लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है, और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रह गयी है, तो उनके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९५०–५१ में वास्तव में ६५७५० लाख किलोवाट बिजली पैदा की गयी थी ।

	लक्ष्य	पूर्ति	निर्धारित राशि	वास्तविक खर्च
(ख) **प्रथम पंचवर्षीय योजना**				
	१३ लाख किलोवाट	११ लाख किलोवाट	२६० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र)	२६० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र) +३२ करोड़ रुपये (गैर सरकारी क्षेत्र) १० करोड़ रुपये (स्वयं बिजली पैदा करने वाले उद्योग)
(ग) **द्वितीय पंचवर्षीय योजना**				
	३५ लाख किलोवाट	२४ लाख किलोवाट	४२७ करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र)	४१० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र) ३७ करोड़ रुपय (गैर सरकारी क्षेत्र) २८ करोड़ रुपये (स्वयं बिजली पैदा करने वाले उद्योग)

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रगति संतोषजनक रही है । द्वितीय योजना काल में जो कुछ कमी रह गयी है, उसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां हैं जिनका द्वितीय योजनाकाल के प्रारम्भ में सामना करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कई विद्युत् उत्पादन योजनाओं को 'अत्यावश्यक' कोटि में से निकाल देना पड़ा है । इसी के परिणामस्वरूप कुछ एक प्रमुख जल विद्युत् परियोजनाओं जैसे कि भाखड़ा नंगल, कोयना, रिहांड, हीराकुड प्रावस्था २ की पूर्ति में भी कुछ विलम्ब हो गया है ।

यात्री-यातायात

†३२३. **श्री मुरारका** : क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के लिये यात्री-यातायात सम्बन्धी

†मूल अंग्रेजी में

कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक वह लक्ष्य कितना पूरा हो चुका है, इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल के यात्री-यातायात से १५ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९५५–५६ से वर्ष वार यात्री-यातायात का ब्योरा इस प्रकार से है:—

	लाखों में	५५–५६ की अपेक्षा वृद्धि
१९५५–५६ (प्रथम योजना का अन्तिम वर्ष)	१२७५०	—
१९५६–५७ (प्रथम वर्ष)	१३६००	७ प्रतिशत
१९५७–५८ (दूसरा वर्ष)	१४१००	११ प्रतिशत
१९५८–५९ (तीसरा वर्ष)	१४२२०	१२ प्रतिशत
१९५९–६० (चौथा वर्ष)	लगभग १५१५०	लगभग १९ प्रतिशत

वित्तीय आवंटन तथा खर्च यात्री-यातायात तथा माल-यातायात के लिये इकट्ठा किया जाता है क्योंकि दोनों के लिये सामान्य सुविधायें दी जातीं हैं।

सभी लाइनों पर यात्रियों का यातायात १९५५–५६ में औसत १५,७४५ था, जो कि १९५९–६० में बढ़ कर १९,०३४ हो गया है, अर्थात् लगभग २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माल-यातायात

†३२४. **श्री मुरारका** : क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के लिये रेलवे माल-यातायात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस संबंध में अभी तक कितना लक्ष्य पूरा किया गया है, इस संबंध में कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) यदि लक्ष्य पूर्ति में कुछ कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्राक्कलन के अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजनाकाल में कुल लगभग १६२० लाख टन माल का यातायात होगा। ३१–३–६० तक के प्रथम चार वर्षों में हुये यातायात का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	लाख टन
१९५६–५७ (प्रथम वर्ष)	१२४०
१९५७–५८ (दूसरा वर्ष)	१३२०
१९५८–५९ (तीसरा वर्ष)	१३५०
१९५९–६० (चौथा वर्ष)	लगभग १४४०

†मूल अंग्रेजी में

वित्तीय आवंटन तथा खर्च यात्री-यातायात तथा माल-यातायात के लिये इकट्ठा ही किया जाता है। क्योंकि दोनों के लिये एक समान सुविधायें दी जाती हैं।

(ख) अभी यह बताना कठिन है कि द्वितीय योजना के अन्त तक लक्ष्य पूरा हो सकेगा या नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ

†३२५. { श्री मुरारका :
श्री पद्म देव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में कुल कितने मील राष्ट्रीय राजपथ थे ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में कितना लक्ष्य पूरा किया गया था, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, इसके लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(घ) यदि लक्ष्य पूर्ति में कुछ कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १९५१-५२ में कुल १३,४०० मील राष्ट्रीय राजपथ थे।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ६४० मील खाली सम्पर्कों और ४० प्रमुख पुलों का निर्माण तथा वर्तमान राष्ट्रीय पथों के वर्तमान सेक्शनों के २५०० मील सड़क का सुधार निहित था। परन्तु वास्तव में उस अवधि में ६३६ खाली सम्पर्कों और ३० प्रमुख पुलों का निर्माण किया गया था, राष्ट्रीय राजपथों के वर्तमान सेक्शनों की लगभग ४००० मील सड़क का सुधार किया गया और गाड़ियों के आने जाने के लिये, तारकोल और रेत से एक ओर का मार्ग बनाया गया है और ४०० मील के सुधरे हुये मार्ग को दो तरफा यातायात के योग्य बनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में इसके लिये २७८० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये और २७.६२ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ७०० मील के रिक्त सम्पर्क तथा ४० प्रमुख पुलों का निर्माण कार्य और वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ की ३५०० मील सड़क का सुधार कार्य निहित है, अभी तक ६२० मील के रिक्त सम्पर्कों तथा ३२ प्रमुख पुलों का निर्माण और वर्तमान राष्ट्रीय राजपथों की ३१०० मील सड़क का सुधार किया जा चुका है और गाड़ियों के

†मूल अंग्रेजी में

आने जाने के लिये एक ओर का मार्ग और ८५० मील के सुधरे हुये राजपथ में दो ओर के मार्ग का निर्माण किया गया है। इसके लिये कुल ४५.०० करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी, उसमें से ३१-३-६० तक ३२.८२ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर से यह ज्ञात होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में रिक्त सम्पर्कों के निर्माण का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है और सुधार संबंधी कार्य लक्ष्य से भी बढ़ गया है। पुल निर्माण संबंधी लक्ष्य पूरा न किया जा सका क्योंकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण और जांच आदि पर अपेक्षा से अधिक समय लग गया था। जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल का संबंध है, लक्ष्य पूर्ति के संबंध में इतनी जल्दी बता देना कठिन है।

पक्की सड़कें

†३२६. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में कुल कितने मील पक्की सड़के थीं ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में इसके लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना लक्ष्य पूरा किया गया था, इसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, इसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) यदि लक्ष्य पूर्ति में कुछ कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ३१–३–५१ तक, ९७,५६७ मील पक्की सड़क।

(ख) से (घ). जानकारी निम्नलिखित है। आशा है कि लक्ष्य पूर्ति में कुछ भी कमी नहीं रहेगी।

	लक्ष्य	लक्ष्य पूर्ति	निर्धारित राशि	खर्च
	मील	मील	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये
प्रथम पंचवर्षीय योजना .	१,२२,०००	१,२२,०००	१७७.१४	१६६.०१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१,४४,०००	१,४४,०००	लगभग २३८.३२	लगभग २२४.९४

विशेष:—पक्की सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त इन योजनाओं में अन्य प्रकार की सड़कों के निर्माण, जैसे, वर्तमान सड़कों के ढांचे और सतह में सुधार करना, दो ओर से गाड़ियों के आने और जाने के मार्गों को चौड़ा करना, नदियों के क्रासिंग पर पुल बनाना, कच्ची सड़कें बनाना आदि भी सम्मिलित है।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र-प्रदेश में तिलहन अनुसंधान केन्द्र

†३२७. **श्री न० म० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में तिलहन अनुसंधान केन्द्र कहां कहां स्थापित हैं ; और

(ख) क्या उन केन्द्रों में इच्छुक जनता को भी तिलहन संबंधी परामर्श दिये जाते हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा०पं० शा० देशमुख)** : (क) मुख्य केन्द्र राजेन्द्रनगर और हैदराबाद में हैं और उपकेन्द्र निम्न स्थानों पर हैं :—

(१) अनन्तपुर जिले में कडिरी

(२) विशाखापटनम जिले में यलमनचेली

(३) करीमनगर

(४) निजामाबाद जिले में रुडरूर ।

(५) कृष्णा जिला में मसूलीपटनम ।

(ख) जी, हां ।

त्रिपुरा और मणिपुर के जंगल

†३२८. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा का कितना क्षेत्र वनों जंगल से घिरा हुआ है ;

(ख) उनमें से रक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है ; और

(ग) मनीपुर और त्रिपुरा में मुख्यतः किस प्रकार के वृक्ष पाये जाते हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :—

	क्षेत्रफल वर्गमील में	
	मनीपुर	त्रिपुरा
१. वनों से घिरा हुआ क्षेत्र .	२३२५	२४५४.१२
२. रक्षित वनों का क्षेत्रफल . .	३८८	१३७०.०१

(ग) वहां मुख्यतः पाये जाने वाले वृक्षों के स्थानीय नाम इस प्रकार हैं :—

(१) मनीपुर :

साम, नहार, घामर, सागौन, गरगन, आम और मुकारू ।

(२) त्रिपुरा

चमल, कराई, घमार, जरूल, कनक, गरजन, साल, सीमल, हरगुजा, कुरचा, कुमीरा, बहेड़ा और अवल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर और त्रिपुरा में फल परिरक्षण

†३२९. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां फल परिरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) उन स्थानो के नाम क्या हैं, जहां फलों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने प्रारम्भ किये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) त्रिपुरा के अगरतला स्थान में फल तथा सब्जियों के घरेलू परिरक्षण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। मनीपुर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) मनीपुर के इम्फाल स्थान में और त्रिपुरा के अगरतला स्थान में डिब्बाबन्दी के कारखाने प्रारम्भ किये गये हैं ।

पंजाब में मेडिकल कालेज

†३३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक पंजाब के मेडिकल कालेजों को कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० के दौरान डाक्टरी शिक्षा और केन्द्रीय योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिये पंजाब को इकट्ठी रकम के कोई अन्य अनुदान दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन योजनाओं के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान अमृतसर के मैडिकल कालेज का विस्तार करने के लिये पंजाब की सरकार को (इकट्ठी रकम के अनुदानों को छोड़ कर) १,८४,५२६ रु० मंजूर किये गये।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता देने की संशोधित प्रक्रिया के अधीन १९५८–५९ के दौरान 'डाक्टरी शिक्षा व प्रशिक्षण' वर्ग के अधीन ११.३० लाख रुपये की एक मुश्त रकम दी गई । १९५९–६० के दौरान केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं के लिये राज्य सरकार को ४.०८ लाख रुपये की इकट्ठी रकम का एक अनुदान स्वीकृत किया गया। इस में केन्द्रीय सहायता की वह राशि शामिल नहीं है जो कि राष्ट्रीय मलेरिया या फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के लिये दी गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं की एक सूची संलग्न है :—

विवरण

संख्या	योजनाओं का व्यय
१.	मैडिकल कालेजों के कुछ विभागों का स्तर ऊंचा उठाना
२	क्षय रोगियों के स्वास्थ्य लाभ तथा पुनर्वास केन्द्र

†मूल अंग्रेजी में

३. क्षय के पुराने रोगियों का पृथक्करण (अन्य संस्थायें)

४. परिवार नियोजन

५. स्वदेशी तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियां —अध्यापन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके स्तर को ऊंचा करना

६. कुछ मैडिकल कालेजों में सामाजिक तथा निवारक औषधियों संबंधी विभागों की स्थापना

७. नये दंत चिकित्सा कालेजों की स्थापना

८. अध्यापन करने वाले अस्पतालों में बाल प्रदर्शन अस्पतालों और मानसिक चिकित्सा विभागों की स्थापना

९. शिशु केन्द्र

१०. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

११. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

१२. नये मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा वर्तमान कालेजों का विस्तार

१३. विभिन्न एम० सी० एच० योजनाओं अर्थात् लोक कल्याण, विस्तार परियोजना, स्वास्थ्य केन्द्र, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अधीन ५०,००० दाइयों का प्रशिक्षण

१४. आहार विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा आहार गृहों की स्थापना

१५. बी० सी० जी० टीका आन्दोलन के लिये सहायता अनुदान

१६. मैडिकल कालेजों में पूरे समय पढ़ाने वाले एककों को सहायता अनुदान ।

पंजाब में वन विकास

†३३१. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ के दौरान राज्य में बन विकास के लिये पंजाब को कितनी राशि दी गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : बन विद्या तथा भूमि का कटाव रोकने के लिये संयुक्त रूप से अनुदान दिया गया है । १९६०–६१ के दौरान भूमि का कटाव रोकने तथा बन विद्या के लिये दिया गया अनुदान इस प्रकार है :

	रु०
ऋण	२,२५,०००
अनुदान . .	९,६३,०००
योग : . .	११,८८,०००

दिल्ली का चिड़ियाघर

†३३२. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिड़ियाघर के लिये कुछ असाधारण प्रकार के अफ्रिकी पशु प्राप्त किये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो व पशु कौन से हैं ; और

(ग) उन के लिये कितना रुपया व्यय किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं । कुछ सामान्य पशु यथा शेरों का एक जोड़ा इथिओपिया के सम्राट द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है और कुछ चिड़ियां अदल-बदल के आधार पर प्राप्त की गई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनायें

†३३३. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ के दौरान पंजाब द्वारा मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई और कितनी रकम देने का विचार किया गया ; और

(ख) किन किन परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से मध्यम प्रकार की सिंचाई योजनायें विविध विकास योजनाओं के अधीन रखी जाती हैं जिन के लिये केन्द्र द्वारा इकट्ठी रकम दे दी जाती है । पंजाब की सरकार को विविध विकास योजनाओं के अधीन १९६०–६१ के लिये ९८·२९ लाख रुपये दिये गये जिसमें ५० लाख की वह रकम भी शामिल है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिये १५० लाख रुपये से अधिक व्यय होने पर दी गई है । राज्य सरकार ने ऋण सहायता के उपयोग के लिये अभी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है । यह ज्ञात नहीं है कि क्या राज्य सरकार कोई मध्यम प्रकार की सिंचाई योजना प्रारम्भ करेगी और उसे विविध विकास ऋण सहायता के उपयोग के लिये स्वीकृत किया जायेगा ।

बिहार में चीनी मिलें

†३३४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बिहार में कुछ चीनी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, और

(ग) सरकार ने उन्हें पुनः खोलने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). बिहार में इस समय दो मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । उन में से एक जिला शाहाबाद बक्सर में १०० टन गन्ना प्रतिदिन पेरने का एक पुराना कारखाना, गंगा देशी सूगर फैक्टरी लिमिटेड है । इतना छोटा कारखाना लाभ पर नहीं चल सकता है । सीवन, जिला सारन में मैसर्ज इंडियन सूगर वर्क्स का ७०० टन पेरने की क्षमता का कारखाना मालिकों के पारस्परिक विवाद के कारण बन्द पड़ा हुआ है । ज्ञात हुआ है उस के वर्तमान स्थान पर गन्ना भी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर मेडिकल कालेज

†३३५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर मेडिकल कालेज में होने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय का ५० और ७५ प्रतिशत, जिसे दिये जाने का वचन दिया गया था वह नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या १९६०–६१ में उक्त राशि प्रदान की गयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १९५८–५९ से राज्यों को केन्द्रीय सहायता समूह के आधार पर दी जाती है न कि योजनावार और वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को स्वीकृत सहायता का तीन चौथाई मार्गोपाय अग्रिमधन के रूप में ९ समान मासिक किश्तों पर देता है, अंतिम स्वीकृतियां वास्तविक व्यय के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं। यही प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष में भी अपनाई जा रही है।

कोलनगोड में रेलवे स्टेशन

†३३६. **श्री कुन्हन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को दक्षिण रेलवे के कोलनगोड में रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में जनता का कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ओलावाकोट और पोल्लाची को मिलाने वाले दक्षिण रेलवे की मीटर गाज लाइन पर कोलनगोड में अब भी रेलवे स्टेशन है।

उड़ीसा में बाढ़

†३३७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में बाढ़ों के कारण खण्ड क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की हानि के बारे में कोई सूचना मिली है ;

(ख) क्या अनुमानित हानि का हिसाब लगा लिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के खण्ड विकास क्षेत्रों को कोई विशेष सहायता देने का है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई सुविधाओं का उपयोग

†३३८. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री कोडियान :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० सितम्बर, १९६० को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभापतित्व में मंत्रियों के समन्वय बोर्ड की बैठक बंगलौर में सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करने के लिए हुई थी ;

(ख) इसके बारे में राज्यवार क्या रिपोर्टें मिलीं ; और

(ग) क्या और कुछ सुझाव दिए गए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) १० सितम्बर, १९६० को बंगलौर में मंत्रियों के समन्वय बोर्ड की बैठक में 'पानी की नहरों के निर्माण और सिंचाई सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के बारे में कार्यवाही' पर चर्चा हुई।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों की रिपोर्टों पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। परन्तु सिंचाई सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण किया गया और बोर्ड ने सिफारिश की कि प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य सरकारों को विकास समितियां बनानी चाहिएं जिससे सिंचाई साधनों का उपयोग करने के लिए समन्वित कार्यवाही की जा सके।

किसानों का बैंक

†३३९. **श्री राजेन्द्र सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों का बैंक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) और (ख). प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

सिगनल और दूरसंचार वर्कशाप

†३४०. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल और दूरसंचार वर्कशाप, मेट्टागुडा, मध्य रेलवे के कर्मचारियों को किन कारणों से आकस्मिक कर्मचारी समझा जाता है जब कि उन्होंने तीन वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करली है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड का उनको स्थाई बनाने का विचार है ; और

(ग) वर्कशाप में कितने स्थाई कर्मचारी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस वर्कशाप में मुख्यतः इंजीनियरिंग और सिगनलिंग यंत्रों की मरम्मत की जाती है। १९५६ में इसको सिगनलिंग विभाग का निर्माण वर्कशाप में बदल दिया गया था और इसके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन के बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं। क्रमवार उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर सही कर्मचारियों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने में तथा नये कर्मचारियों का 'ट्रेड टस्ट' करने में समय लगा था और इसी लिए नियमित भरती नहीं की जा सकी।

(ख) संभव है कि अन्य वर्कशापों के अधिक कर्मचारियों को इस के कुछ पदों पर नियुक्त कर दिया जाये। शेष पदों पर आकस्मिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में विचार किया जायेगा।

(ग) ३४५।

पूर्वोत्तर रेलवे पर नया स्टेशन

†३४१. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या रेलवे मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-नरकटियागंज शाखा के मुहम्मदपुर और कामतौल स्टेशनों के बीच नये स्टेशन बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस प्रकार के हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इस स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिए ठेकेदार द्वारा संचालित एक ट्रेन हाल्ट बनाने का निर्णय किया गया है।

अपेंडिक्स के कार्यों सम्बन्धी अनुसंधान

†३४२. श्री श्रीनारायण दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेंडिक्स के कार्यों के बारे में भारत में कोई अनुसन्धान किया गया है, अथवा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के अनुसन्धान की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्य है ;

(ग) क्या यह सच है कि कैलीफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी में हुए अनुसन्धान से पता लगा है कि अपेंडिक्स में 'लिम्फायड सैल' बहुत होते हैं जोकि रोगों को रोकने के लिए 'एन्टीबाड़ी' का उत्पादन करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस अनुसन्धान की कोई रिपोर्ट प्राप्य है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). कैलीफोरनिया इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी में हो रहे अनुसन्धान की जानकारी प्राप्य नहीं है। परन्तु यह सर्व विदित है कि अपेंडिक्स में भी उसी प्रकार 'लिम्फायड सैले' होते हैं जैसे आन्त्र के अन्य हिस्सों में होते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि 'लिम्फायड सैल' रोगों की रोक थाम करने वाले एन्टी-बाडी बनाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

लद्दाख जिले में पन-बिजली

†३४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में यह जानने के लिए लेह का दौरा *किया था कि* पन-बिजली का उत्पादन करने की संभावनायें हैं अथवा नहीं ?

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम हुए ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संभावित स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

योगाभ्यास

†३४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान के बन्नू जिले में श्री पेरा राम नामक मिडिल स्कल के एक सेवानिवृत्त हैड मास्टर से स्वास्थ्य मंत्रालय को योगाभ्यास के द्वारा हकलान को रोकने की कोई योजना मिली है ;

(ख) क्या उस पर अध्ययन किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). श्री पेरा राम का मई, १९६० में एक पत्र मिला था जिस में उन्होंने बताया था कि उन्होंने शारीरिक व्यायाम के द्वारा हकलाना दूर करने की एक योजना बनाई है। उनसे योजना को राज्य सरकार के द्वारा भेजने को कहा गया था। राज्य सरकार अथवा उनसे अब तक ऐसी कोई योजना नहीं मिली है।

रेल गाड़ियों में प्रसारण

†३४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री, गाड़ियों में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले गानों तथा खबरों से सम्बन्धित २ अगस्त, १९६० को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कार्यक्रम किन गाड़ियों में शुरू किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सुविधा पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**:(क) यह किसी और गाड़ी में शुरू नहीं किया गया।

(ख) कार्यक्रम शरू करने से ३०–९–६० तक इस सुविधा पर लगभग ३,७५७.०० रुपये का व्यय हुआ है।

चत्रा नहर परियोजना

†३४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना से नेपाल क्षेत्र में ४० मील लम्बी "चत्रा" नामक उस नहर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है जिसे नेपाल को सदभावना उपहार के रूप में बनाकर देना है ;

(ख) यह काम कब समाप्त हो जायेगा ; और

(ग) अब तक इस पर कितना व्यय हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी योजना आरंभिक दौर में है ।

(ख) १९६३–६४ तक काम समाप्त होने की संभावना है ।

(ग) अभी तक २४,००० रुपये का व्यय हुआ है।

गाड़ी में हुई हत्या की जांच

†३४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मुख्याध्यापिका की हत्या के मामले में जांच में क्या प्रगति हुई है जो २२ नवम्बर, १९५८ को होशियारपुर से जालंधर के लिए गाड़ी में बैठी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: यद्यपि अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल सका है तथापि सरकारी रेलवे पुलिस तथा राज्य की पुलिस इस मामले का पता चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा सम्बन्धी कार्यशालायें

†३४८. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकारिता** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के संबंध म यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण कारीगरों के लाभार्थ

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सामान्य सुविधा संबंधी कार्यशालाओं की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकारिता उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा संबंधी कार्यशालाओं की स्थापना की योजना सर्वप्रथम अप्रैल, १९६० में राज्य सरकरों को भेजी गयी थी और श्रीनगर सम्मेलन में जून, १९६० में इस पर और चर्चा हुई थी। यद्यपि यह योजना तीसरी योजना में कार्यान्वित की जानी है तथापि राज्य-सरकारों को यह सुझाव दिया गया कि वे अपने राज्यों के उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ही इसे शरू करें। अब तक प्राप्त की गयी प्रगति को संलग्न विवरण में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]**

पर्यटक

†३४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० म कलकत्ता, बम्बई तथा पालम हवाई अड्डों पर कितने-कितने पर्यटक उत्तरे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रत्येक हमवाई अड्डे पर उत्तरने वाले पर्यटकों (भारतीय तथा विदेशी आगंतुकों तथा जाने वालों समेत) की पृथक संख्या उपलब्ध नहीं है। परन्तु कैलेंडर वर्ष १९५९ में जितने विदेशी पर्यटक इन अड्डों से चढे उन की संख्या नीचे दी जाती है :—

हवाई अड्डा	**पर्यटकों की संख्या**
कलकत्ता	२०,७००
बम्बई	१७,२००
पालम और सफदरजंग	१८,०००

रेहड़ा में तारघर

३५०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **परविहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादाबाद जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र रेहड़ा में तारघर खोलने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ने इस तारघर के लिये कितनी राशि मंजूर की है ; और

(ग) इस के कब तक चालू होने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सीमित स्टाक के कारण सामान भेजने में देरी हो गई ।

(ख) १५,१०८ रुपये ।

(ग) मार्च, १९६१ तक ।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ

†३५१. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की कोई सड़क राष्ट्रीय राजपथों में शामिल है; और

(ख) उन सड़कों के संधारण पर दूसरी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना खर्चा हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) हां, श्रीमान् । केरल की निम्न सड़कें उन राष्ट्रीय राजपथों का अंग हैं जिनका नाम उनके आगे दिखाया गया है :—

सड़क का नाम	राष्टीय राजपथ का नाम
१. मेन कोस्टल रोड	
त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, आल्लिकि, एरणाकुलम तथा अनकामाली	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ का भाग है ।
२. मेन सेंट्रल रोड	
त्रिवेंद्रम, कोटरकारा, आदुर, चेंगानुर, कोट्टयम, अनकामली , चालकुडी, त्रिचुर	अनकामली और त्रिचुर के बीच का हिस्सा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ का भाग है ।
३. मुख्य दक्षिणी रोड	
त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी . . .	त्रिवेन्द्रम और मद्रास की सीमा तक का हिस्सा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ का भाग है ।
(४) कोयम्बटूर होती हुई त्रिचुर से सैलम तक की सड़क	त्रिचुर और मद्रास की सीमा तक का हिस्सा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ का भाग है ।
(५) त्रिचुर से चालीसेरी . .	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७-क का भाग है ।

(ख) विद्यमान राजपथों के संधारण के लिए दूसरी योजना के प्रत्येक वर्ष में जो व्यय हुआ वह नीचे दिया जाता है :—

	रुपये
१९५६–५७	८,३८,४९९
१९५७–५८	९,५१,३१४
१९५८–५९	९,४८,७८९
१९५९–६०	१३,९८,९४५
१९६०–६१	६,५०,१८८ (सितम्बर, १९६० तक)

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की सेवा भंग होना

†३५२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल के कारण कितने कर्मचारियों की सेवायें भंग हुई हैं; यह जानकारी वर्गवार तथा कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार दी जाये ;

(ख) जिन कर्मचारियों की भविष्य निधि है; क्या सरकार उन्हें पूरी निधि देगी ;

(ग) क्या पुनः नियुक्ति के बाद उन्हें भविष्य निधि का लाभ दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन्हें ऐसी सुविधा कब से दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जिन कर्मचारियों की सेवा में भंग पड़ा उनकी संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९ ।]** किन्तु अब इसे भंग नहीं माना जायगा क्योंकि उन्हें क्षमा कर दिया गया है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग

†३५३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गयी गवेषणा परियोजना का क्या स्वरूप है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए इस वर्ष पांच वैज्ञानिको को चुना गया है । उन के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना इन चीजों से संबंधित होगी :—

(१) संकर तथा आरश्यित कृषि के परिणाम से आर्थिक दृष्टि से उपादेय चावलों का संवरण ;

(२) फसली पौधों के फोलियर पुष्टि तत्व का अध्ययन ;

(३) भारतीय जैस्सीडे (हेमीपटेरा) के टैक्सों नामिक तथा जीवशास्त्रीय अध्ययन ।

(४) लौमी तथा रेतली भूमि के लिए उपयुक्त एफ्लूऐटस के स्तरों का अध्ययन तथा खाद की किस्म में सुधार; और

(५) भेड़ों के खाद्य के पुष्टि तत्वों की खोज तथा ऊन के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की दृष्टि में इसका अध्ययन ।

†मूल अंग्रेजी में

युवक किसानों को प्रशिक्षण

†३५४. **श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवक किसानों को प्रशिक्षण देने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(घ) क्या केवल केन्द्रीय सरकार ही यह प्रशिक्षण देगी या राज्य-सरकार भी इस काम में साथ देगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). युवक किसानों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक योजनायें हैं । यह हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि विस्तार सेवा केन्द्रों में जितनी खाली जगहें हों उनको किसानों के बेटों के लिये रखा जाय और उनसे शुल्क न लिया जाये । तीसरी योजना में राज्य सरकारों ने यह व्यवस्था भी शामिल की है कि ग्रामीण युवक क्लबों के काम को और मजबूत बनाने के लिये काम किया जाये और वे युवक किसानों के सहयोग से आर्थिक परियोजनायें चालू करेंगे । इस प्रकार से ग्रामीण युवकों को कुछ प्रकार के कामों का व्यावहारिक प्रशिण मिल जायेगा जैसे कि मक्खी पालने, सब्जियां उगाने, पशुपालने, मुर्गियां रखने, तथा मत्स्य पालन आदि के तालाब बनाने आदि में । इसके अतिरिक्त एक और योजना पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या किसानों के बच्चों के लिये विशेष कोर्स रखा जाये, किन्तु अभी इस योजना को अन्तिम रूप दिया जाना है और राज्य सरकारों से सलाह की जानी है ।

(घ) यह सारा प्रशिक्षण कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से होगा ।

जन्म निरोध के लिये औषधि

†३५५. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री सरजू पांडे :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के एक ग्रामीण द्वारा खोजी गयी जन्म निरोध संबंधी औषधि का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् । निर्माता से औषधि के व्यौरात्मक तत्वों की जानकारी मांगी गयी थी परन्तु अभी तक वह प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान नहर

†३५६. { **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर में नौवहन की सुविधाओं की जांच कर ली गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी संग्रहालय

†३५७. **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी एक संग्रहालय खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक योजना की सारी बातें तय नहीं हुई हैं ।

बहुप्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड्गपुर

†३५८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के बहुप्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर में प्रविधिक पाठ्यक्रम चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण हुआ है ;

(ग) स्कूल में पहले से ही चालू साइंस के कोर्स के लिये अब तक पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना धन दिया है ;

(घ) क्या धन उसी काम में व्यय किया गया है जिसके लिये वह दिया गया था ;

(ङ) क्या राज्य सरकार को इस बारे में सूचित कर दिया गया है ; और

(च) क्या वे चालू किये गये अथवा चालू किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये कोई और अनुदान देने को तैयार हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) एक के बाद एक करके मानव शास्त्र, विज्ञान और वाणिज्य के विभिन्न पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं । दूसरे प्रक्रम में प्रविधिक पाठ्यक्रम चालू करने की योजना बनाई गई है ।

(ग) ६३,००० रुपये ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

(ङ) हां, श्रीमान् ।

†मूल अंग्रेजी में

(च) यह आशा की जाती है कि प्रविधिक पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने में जो व्यय होगा उसके अनुपात में राज्य सरकार को जितना भाग देना होगा, उतना वह मंजूर कर देगी ।

खड़गपुर रेलवे स्कूल

†३५९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य स्कूल निरीक्षक ने गत बार जब ४ और २२ अगस्त, १९६० को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्कूल का निरीक्षण किया था तब वे विज्ञान की शिक्षा के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा किये गये प्रबन्ध से सन्तुष्ट नहीं हुये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि स्कूल में, कोई पृथक साइंस ब्लाक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो पृथक साइंस ब्लाक के निर्माण के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर

३६०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी बड़ी आलोचना की थी कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक है ;

(ख) क्या इससे पढ़ाई के स्तर में कमी आ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पढ़ाई का स्तर बनाये रखने के लिये रेलवे का इस स्कल को भागों में बांटने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनमद के लिये संयुक्त जल संभरण योजना

†**३६१. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री १७ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमद नगरपालिका तथा मनमद रेलवे स्टेशन के लिये संयुक्त जल संभरण योजना के काम में शीघ्रता लाने के लिये रेलवे प्रशासन तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इस बीच क्या पग उठाये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) काम के कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) यह ख्याल है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने अब एक योजना तैयार कर ली है। उन योजनाओं तथा प्राक्कलनों को स्वीकार करने के लिये अभी राज्य सरकार उनके बारे में प्रशासनिक दृष्टि से विचार करेगी। इसके पश्चात् केन्द्रीय रेलवे से यह कहा जायेगा कि जो व्यय होगा उसमें वह अपना अंश देना स्वीकार करे ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा योजना को स्वीकार कर लिये जाने तथा रेलवे और नगरपालिका से व्यय में अपना अंश देने की स्वीकृति मिलने के बाद ही काम आरम्भ किया जायेगा ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†३६२. श्री अ० क० गोपालन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डाक तथा तार कर्मचारियों के मामले वापस ले लिये गये हैं किन्तु केरल के त्रिचूर और पालघाट क्षेत्र में विभाग कार्यवाही के लिये उन्हें मोअत्तिल रखा गया है ;

(ख) इन दोनों क्षेत्रों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में कितने व्यक्तियों के तबादले किये गये ;

(ग) कितने व्यक्तियों को निम्नग्रेडों में वापस भेजने के लिये उनके विरुद्ध 'कारण बतलाओ नोटिस' जारी किये गये हैं ; और

(घ) कितने कर्मचारियों के मामले अभी न्यायालय से वापस नहीं लिये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जानकारी इस प्रकार है :—

पालघाट क्षेत्र	त्रिचूर क्षेत्र
कोई नहीं	३

(ख) ऐसा कोई अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया गया । तबादले प्रशासन के हित में किये जाते हैं ।

	पालघाट क्षेत्र	त्रिचूर क्षेत्र
(ग)	कोई नहीं	८
(घ)	कोई नहीं	१

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर

†३६३. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टीग्रल कोच फैक्टरी के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जुलाई में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में मोअत्तिली तथा सेवा से च्युत किये जाने के आदेश जारी किये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी बहाल किया जाना है; और

(ग) कर्मचारियों को बहाल करने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

आरम्भ में मोअत्तिल किये गये कर्मचारियों की संख्या	१६०
आरम्भ में सेवाच्युत किये गये अथवा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या	८
जिन कर्मचारियों को सेवा खत्म करने के नोटिस दिये गये उन की संख्या	५२।
(ख) उन व्यक्तियों की संख्या जो अभी मोअत्तिल हैं	३५
सेवाच्युत किये गये अथवा सेवा से हटाये गये उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बहाल नहीं किया गया	५
जिन कर्मचारियों को सेवा खत्म करने के नोटिस दिये गये उन में से बहाल किये जाने वालों की संख्या	शून्य ।

(ग) मोअत्तिल कर्मचारियों के मामलों की विभागीय रूप से जांच की जा रही है। सब बातों पर विचार करने के बाद पांच व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया और उन्हें वापस लेने का विचार नहीं है ।

भारतीय और विदेशी जहाजों में आयात किये गये माल का भार

३६४. श्री पद्म देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से अब तक भारतीय और विदेशी जहाजों में कितने टन माल आयात किया गया;

(ख) कितने टन भार माल सरकारी जहाजों द्वारा आयात किया गया और उस की तुलना में कितना माल अन्य भारतीय जहाजों द्वारा आयात किया गया; और

(ग) नौवहन में आत्मनिर्भर होने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) भारतीय जहाजरानी के विस्तार के लिये सरकार द्वारा किये गये खास-खास प्रयत्नों के विषय में एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

सरकार ने राष्ट्रीय जहाजरानी के विस्तार के लिये निम्नलिखित खास-खास उपाय किये हैं :—

(१) भारतीय जहाजी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिये आसान शर्तों तथा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सहायता ।

(२) देश में जहाजों के बेड़े में वृद्धि करने के लिये सरकारी जहाजी निगमों की स्थापना ।

(३) भारतीय जहाजी कम्पनियोंको सहायता के रूप में हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम में बने जहाज कम कीमत पर देना ।

(४) समुद्र पार व्यापार करने वाली भारतीय जहाजी कम्पनियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय जहाजी सम्मेलनों में सम्मिलित होने में सहायता देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(५) विदेशी मुद्रा की भारी कमी के बावजूद भी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिये सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा देना ।

(६) जहाज खरीदने के लिये विदेशी ऋण प्राप्त करना ।

(७) सरकार के अपने माल तथा उस के द्वारा किसी अन्य के लिये मंगाये गये माल के लाने ले जाने में भारतीय जहाजों को मुख्यता देना ।

त्रिपुरा में ढोरों का मरना

†३६५. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सबरूम और धर्मनगर में पशु रोग के फैल जाने से कई पशु मर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पशु रोग फैल जाने से कितने पशु मर गये हैं; और

(ग) पशुओं के जीवन की रक्षा करने के लिये क्या किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां ।

(ख) ८९० ।

(ग) पशु रोग फैल जाने की खबर मिलते ही पशु चिकित्सकों को आवश्यक औषधियों के साथ तुरन्त उन दोनों सब-डिवीजनों को भेजा गया और बीमार पशुओं का इलाज किया गया । पशु महामारी, रक्तस्रावात्मक रक्तदोष तथा पांव और मुंह की बीमारी के टीके लगाये गये ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

†३६६. **श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ से १९६०–६१ तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये;

(ख) १९५६-५७ से १९६०-६१ तक वर्षवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे गये;

(ग) १९५६-५७ से १९६०–६१ की अवधि में वर्षवार अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के वस्तुतः कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये;

(घ) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को इस संस्था में आने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये क्या पग- उठाये हैं तथा उन्हें क्या क्या रियायतें दी हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि जो गैर-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी इस संस्था में दाखिल किये गये थे उन से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों

†मूल अंग्रेजी में

के विद्यार्थियों के अंकों का प्रतिशत आई० एससी० तथा प्रीमैडिकल में अधिक था फिर भी उन्हें दाखिल नहीं किया गया; और

(च) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क)

१९५६-५७	६०
१९५७-५८	६०
१९५८-५९	७०
१९५९-६०	७०
१९६०-६१	८०

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये २० प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये थे ।

(ग) १९५६-५७	२
१९५७-५८	८
१९५८-५९	६
१९५९-६०	६
१९६०-६१	१६ ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जो विद्यार्थी ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं उन्हें रक्षित स्थान पर दाखिल कर लिया जाता है किन्तु अन्य विद्यार्थियों के मामले केवल विद्वता के आधार पर ही दाखिला किया जाता है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली

†३६७. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित रखी गयी सीटें गैर-अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दे दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को दाखला देने से इन्कार कर दिया गया है जिन्होंने गैर-अनुसूचित जातियों के दाखिल विद्यार्थियों से अधिक प्रतिशत नम्बर प्राप्त किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता :

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली

†३६८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और मौलाना आजाद मेमोरियल मेडिकल कालिज दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे वर्ष १९६०-६१ में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कम्पार्टमेंटल प्री-मेडिकल परीक्षा को मान्यता देते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और इन सम्बद्ध कालिजों के विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय क्या पग उठायेगा; और

(घ) उन पात्र विद्यार्थियों को वे क्या संरक्षण देंगे जिन्होंने कम्पार्टमेंटल परीक्षा में संस्थाओं में दाखिल विद्यार्थियों से अधिक प्रतिशत नम्बर लिये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज के वर्ष १९६०-६१ के प्रविवरण के अनुसार उन विद्यार्थियों को उस कालिज में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाता जिन्हें प्री-मेडिकल अथवा एफ० एससी० परीक्षा कम्पार्टमेंट में पास की हो । यद्यपि मौलाना आजाद मेडिकल कालिज में इन विद्यार्थियों के दाखिले पर कोई प्रतिबन्ध नहां है, कम्पार्टमेंट में रहे विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया गया क्योंकि अच्छे विद्यार्थी उपलब्ध थे ? दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली

†३६९. **श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये आवेदन-पत्रों के लेने की अन्तिम तिथि १० जून, १९६० थी;

(ख) क्या उस समय तक कुछ विश्वविद्यालयों के एफ० एससी० के परिणाम घोषित नहीं किये गये थे;

(ग) क्या यह अन्तिम तिथि बाद में बढ़ा कर २० जून, १९६० कर दी गयी थी;

(घ) क्या किसी एक राज्य के व्यक्तियों को दाखला देने के लिये दाखिला शीघ्रता से किया गया; और

(ङ) क्या कर्नाटक विश्वविद्यालय का कोई छ त्र दाखिल किया गया था यद्यपि विश्वविद्यालय का परिणाम २० जून, १९६० के बाद घोषित किया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया गया जो १० जून, १९६० से पूर्व प्राप्त हो गये थ । तथापि कुछ विद्यार्थियों ने २० जून, १९६० तक अपनी नम्बरों की सूची (मार्क-शीट) दी थी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) कर्नाटक विश्वविद्यालय से किसी विद्यार्थी को दाखिल नहीं किया गया है ।

---

†मल अंग्रेजी में

सड़क परिवहन उद्योग

†३७०. **श्री अनिरुद्ध गुप्त :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में सड़क परिवहन उद्योग का क्या अंशदान रहा है;

(ख) सड़कों पर खर्च की गयी पूंजी में सड़क परिवहन द्वारा कितने प्रतिशत दिया गया है; और

(ग) सड़क परिहन उद्योग द्वारा कितने रोजगार की व्यवस्था की गयी है जिस में मोटर गाड़ियों के संचालन के अतिरिक्त मार्गों और गाड़ियों की व्यवस्था करना और उन को बनाये रखना भी शामिल है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य।मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी

†३७१. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या रेलवे मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या १९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह लगता है कि पैराम्बूर के इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में सवारी डिब्बा बनाने के लिये सभी पुर्जे बनने लगेंगे; और

(ख) वार्षिक आयात की कुल क्या लागत है और वह इस के कितने प्रतिशत है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) पैराम्बूर की इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में जिन पुर्जों के बनाये जाने की योजना थी, वे सब वहां बनाये जा रहे हैं । कुछ पुर्जे बाजार से लिये जा रहे हैं क्योंकि ऐसा करना आसान है । इन खरीदी गई वस्तुओं में केवल एक पूर्ण रूप से आयातित है और ६ पुर्जे आंशिक रूप से आयातित हैं । इन आयातित पुर्जों के निर्माण के लिये आंशिक रूप से देशी निर्माण क्षमता बना ली गयी है और यह आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में देशी उत्पादन क्षमता इन पुर्जों के लिये सवारी डिब्बा कारखाने की आवश्यकता पूरी करने के लिये काफी हद तक बढ़ जायेगी ।

(ख) वर्ष १९६०-६१ में प्रत्याशित उत्पादन के लिये सवारी डिब्बा कारखान में सवारी डिब्बों के निर्माण के लिय अपेक्षित पुर्जों के वार्षिक आयात का अनुमानित मूल्य २४,८०,००० रुपये है । यह डिब्बे की कुल लागत का २.७ प्रतिशत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बाढ़ उपकर

†३७२. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री पांगरकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति के प्रस्तावों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाखड़ा में विद्युत् एकक

†३७३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा राइट पावर प्लान्ट में १,२०,००० किलोवाट के अलग-अलग चार बिजली पैदा करने वाले एककों और ८८५ मील ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशन के लिये योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** दाहिने किनारे के बिजली घर योजना पर भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति, पंजाब सरकार द्वारा, योजना के अधीन पैदा की जाने वाली बिजली के वितरण के लिये, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रशासनों और जम्मू तथा काश्मीर सरकार से समझौता किये जाने के बाद, दिये जाने का प्रस्ताव है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था म चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†३७४. **श्री तंगामणि :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में अस्थायी कर्मचारियों को वर्तमान स्थायी पदों पर स्थायी करने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). उन प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार मितव्ययता, अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये रक्षण और अन्य सार्वजनिक हित की बातों को ध्यान में रखते हुए संस्था में अस्थायी पदों के स्थायी बनाये जाने पर और स्थायी पद खाली होने पर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जा रहा है ।

शोरान्नूर-कोचीन रेलवे लाइन को दोहरा करना

†३७५. **श्री कोडियान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरान्नूर कोचीन रेलवे पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गन्ने का मूल्य

†३७६. **श्री यादव नारायण जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०-६१ के सीजन के लिये विभिन्न राज्यों में विभिन्न चीनी कारखानों को दिये जाने वाले गन्ने के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वे क्या हैं और वे किस आधार पर निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) चीनी कारखानों को गन्ना दिये जाने के कितने समय के भीतर किसानों को गन्ने का मूल्य दे दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). भारत सरकार प्रति वर्ष देश में वैक्यूम पैन चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की खरीद के लिये दिये जाने वाले न्यूनतम मूल्य अखिल भारत आधार पर निर्धारित करती है। न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त, यदि देय हो, तो कारखानों को मूल्य सम्बन्ध फार्मूला अर्थात् सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी अन्य वैकल्पिक योजना के अनुसार आस्थगित भुगतान भी करना पड़ता है। वर्ष १९६०-६१ के सीजन के लिय गन्ने के लिये मूल्य अखिल भारत न्यूनतम मूल्य १.६२ रुपये प्रति मन डिलीवरी के लिये और १.५० रुपये प्रति मन रेल केन्द्रों पर डिलीवरी के लिये निर्धारित किया गया है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ की धारा ३(१) के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

(ग) यदि पार्टियों के बीच कोई अन्य समझौता न हुआ हो तो न्यूनतम मूल्य का भुगतान डिलीवरी की तारीख के १४ दिन के भीतर-भीतर कर दिया जाता है ।

महोबा स्टेशन

३७७. **श्री रा० स० तिवारी : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी-मानिकपुर सेक्शन पर महोबा स्टेशन पर अभी तक बिजली नहीं लगी है, विशेषकर जब कि महोबा नगर में एक बिजली-घर है; और

(ख) महोबा स्टेशन पर कब तक बिजली लगने की संभावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जिन स्टेशनों पर विश्वसनीय रूप से और लगातार बिजली वाजिब दर पर मिलती है, वहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिजली लगायी जाती है। महोबा स्टेशन पर लगातार बिजली नहीं मिलती। इस स्टेशन पर जब लगातार पूरे २४ घंटे बिजली मिलने लगेगी, तो यहां जल्द बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा।

---

†मल अंग्रेजी में

गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच लाइन को दोहरा करना

†३७८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रिवाड़ी सेक्शन पर गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुनर्वास

†३७९. **श्री राम शरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन कृषि श्रमिकों की पुनर्वास योजनाओं के बारे में परामर्श देने और समय-समय पर प्रगति देखने के बारे में राज्यों में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं; जिन में गैर-सरकारी मान्य श्रमिक भी होंगे; और

(ख) क्या केन्द्र में भी ऐसा ही एक बोर्ड बनाया जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) विषय अभी विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में डाक तथा तार भवन

†३८०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सब डिवीजनल टाउन डाक घरों समेत सब मुफस्सिल डाक घर कच्ची झौंपड़ियों में हैं जो किराये पर हैं;

(ख) क्या सरकार का इन सब डाकघरों के लिये इमारत बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) त्रिपुरा में कुल २२ विभागीय डाक घर हैं (सब-डिवीजनल हैडक्वाटर्स समेत) इन में से ९ किराये के स्थानों में हैं ४ निःशुल्क स्थानों में हैं और बाकी विभागीय इमारतों में हैं। त्रिपुरा में स्थानीय प्रकार के निर्माण के सम्बन्ध में, अधिकांशतः ये इमारतें लकड़ी की सतह और बांस की 'तरजा' दीवारों की हैं। फर्श या लकड़ी का है अथवा कच्चा है ।

(ख) जी, हां। जहां भी उचित हो और निधि उपलब्ध हो ।

(ग) भूमि प्राप्त करने और आवश्यक औपचारिक बातें पूरी करने पर।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण

†३८१. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा और पाकिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिये संयुक्त प्रयत्न करने के बारे में कोई निर्णय करने के ख्याल से कुछ महीने पहले भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम रेलवे के पुल

३८२. **श्री डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की रेलवे लाइनों को दोहरा बनान की योजना के अन्तर्गत माही, अनास तथा अन्य नदियों पर पुल बनाने के लिये धन मंजूर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन मंजूर किया गया है; और

(ग) किन-किन नदियों पर पुल बनाये जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). माही और अनास नदियों पर पुल बनाने के लिये कोई रकम मंजूर नहीं की गयी है। दोहरी लाइन बिछाने की योजना के अन्तर्गत पानम, हड़प, खान और कुरेल नदियों पर पुल बनाने के लिये २७.५७ लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी है।

रतलाम और नागदा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करना

३८३. **श्री डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम और नागदा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने का जो कार्य हो रहा है उस के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रतलाम-नागदा लाइन के रतलाम-बांगरौद (६ मील) और बिलवान्या-नागदा (५ मील) सेक्शनों में दोहरी लाइन बिछ ने की मंजूरी मार्च, १९५८ में दी गयी थी। इस काम की अनुमानित लागत ७९.७९ लाख रुपये है। बांगरौद और बिलवान्या तक (१४.५ मील) के बाकी हिस्से में दोहरी लाइन बिछाने का काम भी अक्तूबर, १९६० में मंजूर किया गया, जिसकी अनुमानित लागत १०१.५५ लाख रुपये है। पहले दो सेक्शन माल-यातायात के लिये खोले जा चुके हैं और आशा है कि मार्च, १९६१ में ये यात्री-यातायात के लिये भी खोल दिये जायेंगे। बांगरोद-बिलवान्या सेक्शन पर दिसम्बर, १९६२ तक काम पूरा हो जाने की आशा है।

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका से ज्वार बाजरे का आयात

†३८४. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये इस वर्ष अमरीका से ज्वार बाजरे का आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आया है और अब तक कितने अनाज का वितरण किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां। अमरीका से ज्वार और बाजरे का आयात का प्रबन्ध किया गया है और अनुमान है कि ये खाद्यान्न दिसम्बर में आने शुरू हो जायेंगे। हमारे देश में जब यह अनाज पहुंच जायेगा तो इसे मैसूर राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये मैसूर सरकार को दे दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में एकीकृत मैडिकल पाठ्यक्रम

†३८५. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में वर्तमान मैडिकल पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसे एकीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं; इन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा और इन का क्या परिणाम निकलेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय व्यावसायिक-पूर्व पाठ्यक्रम अर्थात् मैडिकल-पूर्व पाठ्यक्रम को मैडिकल कालिजों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव यह है कि मैडिकल-पूर्व (प्री-मैडिकल) पाठ्यक्रम को, जिसे आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञान-कालेजों में पढ़ाया जाता है, दिल्ली के मैडिकल कालेजों में पढ़ाया जाये और मैडिकल कालेजों में शिक्षा की अवधि को पांच वर्ष बढ़ा कर ६ वर्ष कर दिया जाये ।

मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति

†३८६. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री गोरे :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपार्ट को राज्यों में परिचालित किया गया था और समिति की सिफारिशों के बारे में उन के विचार प्राप्त किये गये थे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट को उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्रवर्ती राज्यों के पास भेजा गया था इस सम्बन्ध में उन की सम्मति मांगी गयी थी । किन्तु गजरात के अलावा अभी तक किसी राज्य ने अपने विचारों की सूचना नहीं दी । गुजरात सरकार ने अपने मुख्य पत्तन अधिकारी और इंजीनियर, श्री एच० पी० ओजा के विचारों का समर्थन किया है जो उन्होंने रिपोर्ट के साथ अपने विमति-टिप्पण में दिये हैं । रिपोर्ट की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में रखवा दी गयी हैं ।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने ११ नवम्बर, १९६० को अपनी विशेष बैठक में मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था । बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गयी अ थ यी व्यवस्थाओं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]** का सामान्य रूप से समर्थन किया किन्तु रत्नगिरि और पोरबन्दर के बारे में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था । भारत सरकार राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की सिफारिशों के प्रकाश में मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र ही अन्तिम रूप से विचार कर लेगी ।

स्टेशनों पर रेलवे पुलिस

†**३८७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल क, ख और ग श्रेणी के कितने रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस दल तैनात हैं ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : 'क' श्रेणी के स्टशन	४७
'ख' श्रेणी के स्टेशन	५२६
'ग' श्रेणी के स्टेशन	४६

नोट :—उत्तर रेलवे के राजस्थान सैक्शन के स्टेशनों के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में भूमिगत पानी

†**३८८. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमिगत पानी के स्तर के ऊपर आने के खतरे का प्रतिरोध करने के लिये भूमिगत पानी के निस्सारण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) नई दिल्ली में भूमिगत पानी के स्तर को नीचा करने की एक योजना को निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । दिल्ली प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिये ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

(ख) उपरोक्त योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(१) भूमिगत पानी के निकास के लिये ३०३ नलकपों की खुदाई ।

(२) केन्द्रीय विस्ता के लान (घास के मैदानों) में भूमिगत निस्सारण प्रणाली की व्यवस्था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) केन्द्रीय विस्ता में मुसामदार कान्क्रीट की नालियां बनाना ।

(४) नई दिल्ली में पटरियों और लानों का पुनर्वर्गीकरण ।

(५) बागबानी के लिये न छाने हुए पानी के उपयोग में किफायत के लिये पानी छिड़कने (स्प्रिंकलर) के उपकरण की व्यवस्था ।

(६) सम्बद्ध स्थानीय निकायों द्वारा बाहर की नालियों में सुधार ।

आसाम रेलवे लाइन

†३८९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी यातायात वाले सैक्शनों पर डीजल से गाड़ियां चलाने की सरकारी योजनाओं में आसाम रेलवे लाइन को उच्च प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के सिलसिले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या डीजल से चलने वाले इंजन उपलब्ध हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) डीजल से चलने वाले रेलवे इंजनों के आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते ही बरौनी-अमीनगांव सैक्शन पर, जिस में आसाम रेलवे लाइन भी शामिल है, डीजल इंजनों से चलने वाली सीधी मालगाड़ियां चलाने का विचार है ।

(ख) और (ग). डीजल से चलने वाले अपेक्षित रेलवे इंजनों को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

होगनक्कल योजना

†३९०. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होगनक्कल योजना को मद्रास और मैसूर की सरकारें संयुक्त रूप से कार्यान्वित करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस योजना को हाथ में लेने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). होगनक्कल योजना को मद्रास और मैसूर राज्यों की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किये जाने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है । यदि दोनों सरकारें इस योजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करना चाहती हैं तो पहले उन्हें इस सम्बन्ध में आपस में समझौता करना चाहिये और तत्पश्चात् उन्हें चाहिये कि वे भारत सरकार के विचारार्थ एक संयुक्त प्रस्थापना पेश करेंगे ।

दक्षिणी जोन की विद्युत् विकास समिति

†३९१. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण जोन की विद्युत् विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय परिषद् ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट को पटल पर रखा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और परिषद् अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी ।

(ग) परिषद् की कार्यवाही की वृत्तान्त की, जिस में समिति की रिपोर्ट के बारे में परिषद् के फैसलों का उल्लेख भी रहेगा, प्रतियां हमेशा की तरह संसद् पुस्तकालय में रखवा दी जायेंगी ।

अस्थायी 'वर्कमैन'

†**३६२. श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी 'वर्कमैन' को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थायी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को स्थायी बना दिया गया है ;

(ग) रेलवे में कितने वर्कमैन अभी तक अस्थायी हैं ; और

(घ) इन अस्थायी व्यक्तियों को स्थायी बनाने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में रेलवे में ठीक स्थिति यह है :—

(१) कि अस्थायी पद तभी बनाये जाने चाहियें जबकि काम प्रथम-साक्ष्य में ही अस्थायी किस्म का हो ;

(२) कि इन पदों के लिये मंजूरी देने में सक्षम प्राधिकारी तथा वित्तीय सलाहकारों को यह देखना चाहिये कि यदि स्थायी पद बनाने उचित हों, तो उस स्थिति में अस्थायी पद न बनाये जायें ;

(३) कि वर्कशाप के कर्मचारियों को तीन वर्ष की नौकरी के पश्चात् स्थायी बना देना चाहिये ।

इसलिये रेलवे में अस्थायी पदों का प्रतिशत कम रखा जाता है और तुलनात्मक दृष्टि से कम ही है । आयोग ने इस बात को स्वयमेव स्वीकार भी किया है और यह राय प्रकट की है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये निदेशों पर आपत्ति नहीं की जा सकती । आयोग ने यह भी कहा है कि रेलवे अस्थायी कर्मचारियों का अनुपात अधिक नहीं है (देखिये—आयोग की रिपोर्ट, ४६वां अध्याय, पृष्ठ ५१६, परा ८) । अतः आयोग की सिफारिशों के अनुसार अस्थायी पदों को स्थायी बनाने का प्रश्न रेलवे विभाग में पैदा नहीं होता ।

इस के अतिरिक्त यह बता दिया जाये कि अस्थायी कर्मचारियों की भलाई के विचार से, उन कर्मचारियों को, जिन्हें नौकरी करते तीन वर्ष हो चुके हैं, स्थायित्व से मिलने वाली कुछ ऐसी सुविधायें दी गई हैं, जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वालटेयर रेलवे जंक्शन

†३९३. **डा० विजय आनन्द** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाल्टेयर रेलवे जंक्शन पर, जहां तीन लाइनें मिलती हैं, केवल दो प्लेटफार्म हैं और सीधी गाड़ियों के लिये केवल एक प्लेटफार्म का उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई मुख्य रेलवे गाड़ी प्लेटफार्म पर हो तो आने वाली अन्य गाड़ियों को आम तौर पर दूर दूर के सिगनलों के पास रोक लिया जाता है जिस से यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है और गाड़ियों के चलने में विलम्ब हो जाता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्टेशन पर अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों की भांति कोई उपयुक्त विश्राम-गृह नहीं है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) आने वाली गाड़ियों को प्रायः दूर दूर के सिगनलों पर नहीं रोका जाता । किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि संचालन सम्बन्धी कतिपय कारणों से यदि कोई सीधी गाड़ी लेट हो जाये, तो विलम्ब से आने वाली गाड़ी को बाहर के सिगनलों के पास कुछ मिनटों के लिये रोक लिया जाता हो ।

(ग) इस समय स्टेशन पर कोई विश्रामगृह नहीं है । चालू वित्तीय वर्ष में वहां पर एक विश्रामगृह बनाने का विचार है और इस कार्य को जल्दी ही हाथ में लिया जायेगा ।

वैस्ट पटेल नगर (दिल्ली) के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का औषधालय

†३९४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ के शुरू में पश्चिम पटेल नगर के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत एक औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह औषधालय खोल दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि औषधालय में जल्दी ही काम होने लगेगा ।

(ग) उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण औषधालय को अब तक खोला नहीं जा सका था ।

बिजली की एकरूप दरें

†३९५. { **श्री पु० र० पटेल** :
मा० म० गांधी :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि सीमेंट और लोहे की तरह सारे देश में बिजली का संग्रह करके कृषि और उद्योग को उस का सम्भरण एक सी दरों पर किया जाये ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : उत्तर 'ना' में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जलढाका परियोजना

†३६६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कठिनाइयों के कारण जलढाका परियोजना के कार्य की प्रगति धीमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां क्या हैं और इन पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा, जो इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, भारत सरकार का ध्यान किसी कठिनाई की ओर नहीं दिलाया गया ।

चक्रवात में फंसे भारतीय जहाज

†३६७. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में जो बड़ी तेज रफ्तार के चक्रवात तथा भंवर आये थे और जिनका पूर्वी पाकिस्तान के तट-श्रृंखला पर प्रभाव पड़ा था, उनमें कोई भारतीय मालवाही जहाज भी फंस गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि जान व माल की कोई हानि हुई हो, तो वह क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) इस चक्रवात में किसी भारतीय जहाज के फंसने की किसी घटना की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागपुर को रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा

†३६८. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर से आने वाली और वहां पर जाने वाली रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन वाइकाउंट विमानों द्वारा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के बीच रात्रिकालीन सीधी हवाई सेवा शुरू करने की सम्भावना पर विचार कर रही है, जिसका अर्थ यह है कि रात को वायुयान नागपुर में नहीं रुका करेंगे ।

(ख) इसका उद्देश्य रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा पर प्रतिमील प्रतियात्री आय की दर में वृद्धि करना है । यह दर तत्समानी सीधी सेवाओं से अर्जित आय की दर से कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलें

†३९९. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे के कर्मचारियों द्वारा उन रेलवे के जनरल मैनेजरों को भेजी गई ऐसी अपीलों की संख्या कितनी है, जिनका अभी पिछले तीन महीनों से फैसला नहीं हुआ ;

(ख) ये अपीलें किस किस्म की हैं; और

(ग) इन अपीलों को यथोचित अवधि के भीतर निपटाये न जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के बाहर मैडिकल कालेज

†४००. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के बाहर के मैडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों को मनोनीत करती है ;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों को किस आधार पर मनोनीत किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ उच्च जाति (ब्राह्मण) की लड़कियों को, जिन्होंने कम अंक प्राप्त किये थे, मनोनीत किया गया ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के किसी उम्मीदवार को मनोनीत किया गया है ;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार लोक-सभा के पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी जिसमें सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में मनोनीत किये गये विद्यार्थियों का पूरा व्योरा होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) उम्मीदवारों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के उम्मीदवारों को तरजीह नहीं दी जाती ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(च) एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१**

पशुओं के मेल

४०१. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में होने वाले प्रसिद्ध पशुओं के मेलों के लिये केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में कोई वित्तीय सहायता देती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये पशुओं के मेले कौन-कौन से हैं और उनमें से प्रत्यक को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है; और

(ग) पशुओं के इन मेलों को किस आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग): पशुओं के मेलों के लिए केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य-पशु मेलों के समस्त व्यय का ५० प्रतिशत पूरा करने के लिये जो कि अधिक से अधिक ५००० रुपये प्रति राज्य प्रति मेला हो सकता है, राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० जुलाई, १९६० के हिमाचल प्रदेश प्रशासन गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच०(टी)१४–७८७/५८ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी–२३३७/६०]

कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी०––२४४५।६०]

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २१ नवम्बर, से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिय जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :—

(एक) महेन्द्र परताब सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९६०

(दो) भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६०

(तीन) पशु निर्दयता-निवारण विधेयक, १९६० राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(२) समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, आगे विचार और उसे पारित करना।

(३) सोमवार, २१ नवम्बर, १९६० को ३ बजे श्री दीवान चन्द शर्मा द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर २२ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिए इण्डियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(४) मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६० को प्रश्नों के समाप्त होने के बाद प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा, विशेष रूप से उन विषयों के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के गत अधिवेशन में लिए गये थे।

धार्मिक न्यास विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करन वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २८ फरवरी, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय २८ फरवरी, १९६१ तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को, अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) उठे —

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नियमों के अनुसार मैं विधेयक का विरोध करने के लिये एक सदस्य को ही इजाज़त दे सकता हूं। विरोधी दल के सदस्य एक ही सदस्य पर फ़ैसला कर लें। मैं उन्हें संक्षेप में अपनी बात कहने का मौका दूंगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में हम एक प्रथा का पालन करते रहे हैं; अध्यक्ष पीठ से भी यह निर्णय दिया गया था कि इस प्रथा पर अमल किया जाये। वह प्रथा यह है कि इस प्रक्रम पर किसी विधेयक का विरोध न किया जाय . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। माननीय सदस्य अपने कथन के समर्थन में कोई नियम उद्धृत नहीं कर सके हैं। निसंदेह हम इस प्रथा को अपनाते रहे हैं किन्तु यदि कोई सदस्य उसका विरोध करने पर ज़ोर देता है तो हम उसे अनुमति देते रहे हैं। सरकार ने भी पुरस्थापन स्थिति पर एक विधेयक का विरोध किया है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं; अतः विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी यह अनुमति दी जायेगी। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं केवल सुनना चाहता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं इस विधेयक का कुछ विशेष कारणों से विरोध करना चाहता हूं। इस विधेयक पर इस प्रकार अमल किया जा रहा है कि इससे तो सारी संसदीय कार्य व्यवस्था ही निरर्थक हो सकती है। इस विधेयक के अधीन पिछले छः महीनों में मेरे दल के दो संसद् सदस्यों को नजरबन्द कर लिया गया है। यह विधेयक १९५० में अधिनियमित किया गया था। तब से देश में दो योजनायें क्रियान्वित हो चुकी हैं और बार बार हमें बताया जाता है कि देश ने काफी तरक्की कर ली है। तब इस प्रकार के अधिनियम की क्या आवश्यकता है जिसके अधीन केवल विरोध को कुचलने के लिये किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये हुए नजरबन्द रखा जाय। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में स्थिति असाधारण नहीं है और सरकार के पास देश की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये काफी विधियां हैं। अतः अनिश्चित समय के लिये इस विधि को जारी रखना अनुचित है।

सरकार इस विधेयक को जिस रूप में प्रस्तुत कर रही है उसमें कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। इस विधेयक के विरोध में देश में प्रबल भावना है और जनता चाहती है कि इस विधेयक की अवधि अग्रेतर न बढ़ाई जाये। इसके बावजूद भी सरकार इसकी अवधि अगले तीन वर्ष तक बढ़ाना चाहती है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने इस प्रक्रम पर विधेयक का विरोध करना आवश्यक समझा है। लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। मैं कुछ माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। मैं चाहता था कि वे देश की वर्तमान स्थिति को समझ कर ही इस संबंध में अपनी राय कायम करते। माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया है, स्वयं एक ऐसे दल के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सामान्य राजनैतिक कार्यवाहियों का एक अंग बना लिया है। यह विधेयक केवल हिंसा से सम्बन्ध नहीं रखता प्रश्न तो यह है कि क्या लोगों को इस बात की छूट दी जानी चाहिये कि वे सदैव देश के समस्त राजनैतिक और आर्थिक जीवन को ठप्प करने के लिये अहिंसात्मक आन्दोलन चलाते रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

वस्तुतः विरोधी दलों ने अपने पक्ष की बात कहने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुन कर, जो कि एक ऐसे दल के सदस्य हैं जिसने सभी विधियों का उल्लंघन करना अपना सिद्धान्त बना लिया है, अपनी उदारता का परिचय दिया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** सभी अन्यायपूर्ण विधियों का ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** ठीक है । इस संसद् के द्वारा पारित सभी विधियां उन व्यक्तियों द्वारा, जो देश में अराजकता का निरंतर आन्दोलन चलाना चाहते हैं, अन्यायपूर्ण कही जा सकती हैं । क्या विरोधी पक्ष के सदस्य यह चाहते हैं कि इस प्रकार के आन्दोलन समस्त देश में निरंतर चलते रहें । माननीय सदस्य को इस बात पर गर्व हो सकता है । हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगाना चाहते हैं । तथापि जब तक हम पर विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है तब तक हमें समुदाय की सुरक्षा करनी है । मुझे यह बात जान कर प्रसन्नता हुई है कि सदस्यों को इस बात से संतोष है कि देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है । मैं आशा करता हूं कि इस बात को न केवल इस विधेयक की चर्चा के दौरान, अपितु अन्य विधेयकों की चर्चा के दौरान भी स्मरण रखा जायेगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य न केवल इस स्थिति को बनाये रखने में, अपितु इसके सुधार के लिये भी प्रयास करेंगे । जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं उन पर ही यह बात निर्भर करती है कि वे अपने कार्य इस प्रकार विनियमित करें कि निवारक निरोध अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोग करने की नौबत न आये । हमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में प्रसन्नता नहीं होती है । हम देश में अपराधों को दूसरे ढंगों से रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस विधेयक का समय केवल तीन वर्ष के लिये ही बढ़ाया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट है कि हम स्वयं ऐसी विधियों को जारी रखना नहीं चाहते हैं । हम जनता की स्वाधीनता का क्षेत्र और अधिक विस्तृत करना चाहते हैं । इसके लिये यह आवश्यक है कि दूसरे लोग विधि और व्यवस्था का इस प्रकार उल्लंघन न करें कि जनता अपनी स्वाधीनता का उपभोग करने में समर्थ न हो सके । सभी समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि देश में कानून और व्यवस्था भंग न होने दी जाये । मैं आशा करता हूं कि विधेयक को, पारित होने के उपरांत भी, तीन वर्ष की अवधि तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन उपचार मेरे पास नहीं, विरोधी पक्ष के लोगों के हाथ में हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को, अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में १७५, विपक्ष में ५८ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं विधेयक को पुरस्थापिति करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री कानूनगो** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

समवाय (संशोधन) विधेयक--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा १५ नवम्बर, १९६० को श्री कानूनगो द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :--

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री प्रभात कार अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : विधेयक पर चर्चा के दौरान मैं ने सभा को यह बताया था कि श्री म० रा० मसानी ने अपने भाषण में यह कहा था कि इस विधेयक के उपबंधों से संयुक्त स्कंध समवायों के संचालन में जटिलता पैदा हो जायेगी अतः उनके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । वस्तुतः कांग्रेस दल के तीन अन्य सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में यही आशंका प्रगट की थी । वस्तुतः पूंजीपतियों के हितों के प्रतिनिधि यह चाहते हैं कि समवायों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाये और उन्हें पूरी स्वाधीनता दे दी जाये ।

१९५६ में जब यह अधिनियम पारित किया गया था उस समय भी यह आशंका प्रगट की गई थी कि इससे संयुक्त स्कंध समवायों के संचालन में कठिनाई पैदा हो जायेगी तथापि हम देखते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान समवायों ने बहुत तरक्की की उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है और उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि संयुक्त स्कंध समवायों का निर्माण लाभ कमाने के लिये किया जाता है । आज के युग में इस प्रकार की बातें करना अनुचित है । हम दो योजनायें बना चुके हैं और यह देख चुके हैं कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था में केवल मुनाफे कमाने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया जा सकता हैं । अतः जो लोग इस प्रकार की बातें सोचते हैं उन्हें वस्तुतः इस क्षेत्र का परित्याग कर देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

जहां तक विधेयक का संबंध है, मैं खंड ४३-क को लेता हूं। इस खंड से काफी जटिलतायें पैदा हो जायेंगी क्योंकि इस खंड में इतने परन्तुक लगाये गये हैं कि प्रशासन द्वारा इस खंड को अमल में लाना कठिन हो जायेगा। यह खंड असार्वजनिक और लोक समवायों से सम्बन्ध रखता है। इस के द्वारा असार्वजनिक समवायों को इस विधेयक के उपबंधों से छट दे दी गई है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है, अतः इस उपबंध पर पुनर्विचार किया जाय।

अब मैं खंड ७० को लेता हूं। इसके द्वारा विशेष लेखा परीक्षा का उपबंध किया गया है। इस पर इस आधार पर आपत्ति की गई है कि यदि कोई समवाय अपना संचालन ठीक से नहीं करता और उसका दिवाला निकल जाता है तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे उसके ही अंशधारियों को हानि होगी। यह बिल्कुल गलत है, वास्तविकता यह है कि आज कल समवायों को औद्योगिक वित्तनिगम तथा अन्य बैंकों से लाखों रुपये के ऋण मिलते हैं और यदि किसी समवाय का दिवाला निकलता है तो इससे बैंक अथवा निगम के धन की हानि होती है अतः सरकार भी उसके लिये उत्तरदायी है। दूसरा कारण यह भी है कि यदि कोई मिल बन्द हो जाती है या किसी समवाय का दिवाला निकल जाता है तो बहुत से कर्मचारियों या मजदूरों को अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ता है, अतः सरकार को उनके हितों की रक्षा करना उचित है। वस्तुतः विशेष लेखा परीक्षा के द्वारा ही यह सिद्ध होगा कि वे अंशधारियों तथा राष्ट्र के हितों पर आघात करने के लिये किन किन हथकन्डों को अपना रहे हैं। अतः ऐसा उपबंध रखना आवश्यक है।

खंड १८१ के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि समवाय में छंटनी होने पर अधिमान्य अदायगी के रूप में १००० रु० की राशि दी जा सकती है। मेरे विचार से यह राशि बहुत कम है इसे बढ़ा कर २५०० रु० कर दिया जाय।

खंड ९९ एक मात्र विक्रय अभिकर्ता से सम्बन्ध रखता है। इस खंड में यह कहा गया है कि यदि यह ज्ञात होगा कि विक्रय अभिकर्ता की शर्तें राष्ट्र के हित में नहीं है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। वस्तुतः कीमतों के बढ़ने में इस प्रणाली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन विक्रय अभिकर्ताओं का कमीशन बहुत अधिक रखा जाता है अतः इस पद्धति पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि वितरण का क्षेत्र गैर-सरकारी उपक्रमियों पर ही नहीं छोड़ना चाहिये अपितु सरकार को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर राज्य व्यापार निगम को यह कार्य सौंपना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना चाहती है। लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको संदेह है कि वहां उद्योगों की स्थापना से उनको लाभ नहीं होगा।

जहां तक राजनैतिक दलों को चंदा का प्रश्न है मेरे विचार से इस खंड को यहां से हटा देना चाहिये। वस्तुतः कांग्रेस और विरोधी पक्ष, दोनों के ही सदस्य इस सम्बन्ध में एक मत है कि इस खण्ड से हानि होने की अधिक गुंजायश है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर पुनर्विचार करें।

समवाय विधेयक में यह आशा की गई थी कि इससे समवायों के केन्द्रीकरण में रोक लगेगी। इस स्थिति पर कोई भी प्रस्ताव नहीं पड़ा है। आज भी १० या १२ बड़ी कम्पनियों का देश के ८५ प्रतिशत व्यापार पर नियंत्रण है। इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने श्री मसानी के भाषण को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार के नाम से गैर-सरकारी क्षेत्र की जोरदार हिमायत की है और कहा है कि सरकार को उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। वस्तुतः स्थिति यह है कि आज किसी समवाय के कार्य में केवल अंशधारी या उसके निदेशक बोर्ड के सदस्य ही सम्बन्धित नहीं हैं अपितु सारा राष्ट्र सम्बन्धित है, अतः देश के पूंजीपतियों को यह नहीं सोचना चाहिये कि वे सरकारी हस्त-क्षेप के बिना जैसे चाहें अपना कार्य चला सकते हैं। वस्तुतः यह विधेयक उचित है और इसके द्वारा हम समाज वादी ढांचे के समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

श्री आचार ने इस बात का समर्थन किया है कि समवायों को राजनैतिक दलों को चन्दा देने का अधिकार होना चाहिये। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे बिना स्वार्थ के ही प्रशासक दल को चंदा देते हैं। जीवन बीमा निगम की जांच के प्रसिद्ध प्रतिवेदन में श्री विवियन बोस ने स्पष्ट कहा है कि श्री मूंदड़ा ने प्रशासक दल को पिछले आम चुनावों के तत्काल पहले या बाद में ढाई लाख रुपया दिया था इतना ही नहीं उसने बी० आई० सी० बोर्ड के निदशकों को इस बात पर राजी कर लिया था कि वे मिल को बन्द करने की पूर्व सूचना को वापस ले लें। इससे यद्यपि उन्हें २०, २५ लाख रुपये की हानि होती थी तथापि नोटिस वापस ले लिया गया और कुछ ही समय उपरान्त उसे सवा करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। इससे क्या यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार के चंदे विशेष स्वार्थ के कारण दिये जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि यह खंड इस विधेयक से हटा दिया जाय। इससे राजनीति कलुषित हो जायेगी और कांग्रेस भी बदनाम होगी। श्री महन्ती ने १९५८ में अपना गैर-सरकारी विधेयक समवाय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करते हुए। कहा था कि जब कि गरीब किसानों को उनकी तकावी के लिये ६ प्रतिशत ऋण देना होता है, इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को १० करोड़ रुपये के दो ऋण बिना किसी सूद पर दिये गये। अतः यह स्पष्ट है कि जब पूंजीपति चुनाव निधियों में चंदा देते हैं तो वे इससे कुछ लाभ उठाने की भी आशा करते हैं। वस्तुतः यही कारण है कि जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और प्रधान मंत्री को आये दिन झगड़ों का निपटारा करने के लिये यहां वहां भागना होता है।

छंटनी प्रतिकर के सम्बन्ध में विमति टिप्पण में श्री तंगामणि और श्री रामामूर्त्ति ने जो मत प्रगट किया है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं।

अब मैं विशेष लेखा परीक्षा करने के उपबंध को लेता हूं। मुझे अनुभव है कि किस प्रकार केवल कुव्यवस्था के कारण कानपुर की दो कपड़ा मिलें बन्द हो गईं और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के उपरान्त आज दोनों मिलें लाभ कमा रही हैं। पूंजी, चाहे वह गैर-सरकारी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, राष्ट्र की पूंजी है। अतः किसी को भी उसके दुरुपयोग का अधिकार नहीं होना चाहिये।

जहां तक राजनैतिक दलों को चंदा देने का प्रश्न है श्री मसानी ने उसका जोरदार विरोध किया। तथापि अभी हाल जब कि स्वतंत्र पार्टी के सर्वोच्च नेता कानपुर पधारे तो एक पूंजीपति के छोटे भाई ने उन्हें एक लाख रुपयों की थैली भेंट की। क्या इस प्रकार की थैलियां भेंट करना चंदा देने के समकक्ष नहीं है। श्री मसानी ने राजनैतिक दलों को चंदा दिये जाने का जोरदार विरोध किया है। मैं उससे सहमत हूं तथापि संयुक्त स्कंध समवायों के सम्बन्ध में उन्होंने जो विचार प्रगट किये हैं मैं उनका तीव्र विरोधी हूं। मैं इस बात की पुरजोर अपील करता हूं कि इस उपबन्ध को विधेयक से हटा दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अव्वल इस के कि मैं इस बिल के विषय में और बातें कहूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पूर्ववक्ताओं ने इस विषय में ज्यादा ज़ोर पोलीटिकल पार्टीज़ को कन्ट्रीब्यूशन्ज़ देने पर दे रखा है और यह प्रकट करने की कोशिश की है कि मानों सारा दारोमदार इसी पर है। मैं कुछ अच्छा नहीं समझता कि पोलिटिकल पार्टीज़ किसी कैपिटलिस्ट से चन्दा लें, लेकिन यह तथ्य है कि वे लेती हैं। कल घोष साहब ने यह कहा कि लोगों को मालूम हो या न हो, वे चन्दा ेंगे और ये लेंगे। इस नये संशोधन से सब की कलई खुल जायगी कि किस पार्टी को कितना मिला। अभी तक कोई भेद नहीं था, पांच परसेंट दे दिया, पच्चीस हजार दे दिया और कोई देखने वाला नहीं था। इस सम्बन्ध में छागला साहब का नाम लिया गया है। उन्होंने कहा था कि जो रुपया दिया जाये, उस का प्रकटीकरण हो। मुझे यह देख कर आश्चर्य हो रहा था कि मसानी साहब इस बात का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि चन्दा न लिया जाये और न दिया जाये। वे इस सम्बन्ध में किसानों का नाम ले रहे थे : मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों ो सब गुमराह करते हैं और चन्दा मिलता है कैपिटलिस्ट्स से। जैसा कि श्री बनर्जी ने अभी कहा है, उनको एक लाख रुपये की थैली मिली। वह थैली कहां से आई ? इस कानून के पास होने के बाद प्राफ़िट एंड लास एकाउंट में यह लिखा जायगा कि यह कहां से आई। तब मालूम हो जायगा कि किस को क्या मिला। जो कुछ कमज़ोरी या बुराई थी, जो कुछ छिपी बात थी, वह इस कानून के द्वारा साफ हो रही है। आईन्दा कम्पनी वाले भी चन्दा देते समय इस बात का ख्याल करेंगे कि चन्दा किस को देना है और किस को नहीं देना है। पहले बहुत से आदमी छिपे छिपे चन्दा ले लिया करते थे और उस का प्रयोग भी तैसे ही कर लेते थे। अब वह भी खत्म हो जायगा। इसलिये इस संशोधन का स्वागत होना चाहिये। हां, अगर मूल धारा का—चन्दा देने का ही विरोध हो, तो ठीक है, लेकिन मूल धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस धारा में यह संशोधन हो रहा है कि आईन्दा दिया जाने वाला चन्दा प्राफ़िट एंड लास एकाउंट में लिखा जाये।

कुछ भाइयों ने कहा कि पहले क्यों न शाया कर दिया जाये। देने वाले को लिखना ही है। उसको अख्तियार है कि जब चाहे वह शाया कर दे। उस पर कोई रोक नहीं है। जो कल शाया होने वाला है, वह आज शाया हो सकता है। कुछ भाइयों को इस से घबराहट है कि शाया होने पर सब की कलई खुल जायगी और यह कहने को नहीं रह जायगा कि केवल कांग्रेस वाले ही चन्दा लेते हैं और बनर्जी भाई चन्दा नहीं लेते हैं। सब का मालूम हो जायगा। इसलिये कुछ लोगों को घबराहट हो रही है कि अब कलई खुल जायगी।

चूंकि समय भी कम है और गला भी खराब हो गया है, इसलिये अधिक न कह कर जल्दी समाप्त कर दूंगा। १९५६ में जो बिल आया, तो बड़ा तूमार बंधा था कि इस बिल को इस उद्देश्य से लाया जा रहा है कि देश में जो पूंजीपति ों के हाथ में अधिक धन-संग्रह हो रहा है, वह कम किया जाये। इस लिए दफ़ा ३२५ के मुताबिक यह निर्णय हुआ कि कोई दस से अधिक कम्पनियों का मैनेजिंग एजेन्ट कोई न हो और १५ अगस्त के बाद सब की मैनेजिंग एजेन्टी खत्म हो जाये। श्री देशमुख ने उस समय कहा था कि अगर १५ अगस्त, के बाद किसी की मैनेजिंग एजेन्टी रिवाइव होनी हो, तो उस के ये कारण होने चाहियें कि उस के कारनामे अच्छे रहे हों, देखभाल अच्छी रही हो, उसके बिना काम न चलता हो, तब रिवाइवल हो। दुर्भाग्य से आज हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि १५ अगस्त को कितनी मैनेजिंग एजेन्सीज़ खत्म हो गई, उन में से कितनों को रिवाइवल मिला और कितनों को रेफ्यूज़ किया गया, ताकि इस बात का पता चले कि किन लोगों ने देश के हित में काम किया और इस लिए उन की मैनेजिंग एजेन्सी रह गई और किन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इस लिए उन को हटा दिया गया। ये आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं।

बहुत से मैनेजिंग एजेन्ट इसी दौरान में सोल सैलिंग एजेण्ट बन गए। अभी कल ही एक भाई से बात हो रही थी, जो अपने साथी हैं और कैपिटलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजिंग एजेन्सी में रह ही क्या गया है, अब तो इस में इतना कंट्रोल है कि ज्यादा लाभ नहीं है। हम ने कहा कि अब सोल सैलिंग एजेन्ट ही सब कुछ है। इस को भी देखना चाहिए। जो मैनेजिंग एजेन्ट १९५९ और १९६० के बीच में मैनेजिंग एजेन्सी छोड़ कर सोल सैलिंग एजेन्ट बन गए वे सोल सैलिंग एजेन्ट रहें, तो कैसे रहें, क्यों कर रहें। मेरा तो सोल सैलिंग एजेन्ट पर ही आघात है। क्यों एक आदमी एक कम्पनी का सोल सैलिंग एजेन्ट बना दिया जाये, जिस का कुछ काम नहीं है सिवाये यह कि बीच में पड़ कर इस के नाम या उस के नाम करे और कमीशन ले ? वह और कुछ नहीं करता है। अगर सोल सैलिंग एजेन्ट होना है, तो गवर्नमेंट के स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन क्यों न सोल सैलिंग एजेन्ट हो जायें, ताकि जो कमीशन मिलने वाला है, वह सरकार को और राष्ट्र को मिले, किसी व्यक्ति को न मिले। लेकिन फिर भी सोल सैलिंग एजेन्ट रखे जाते हैं। न सिर्फ कायम रखे जाते हैं, बल्कि उस में बढ़ोतरी भी हो रही है। पहली दफ़ा में यह था कि छः महीने तक सोल सैलिंग एजेन्सी का कनफ़मशन कपम्नी नहीं करती है, तो फिर वह खत्म हो जायेगा, लेकिन अब छः महीने की बात निकाल दी गई है। अब वह एक बरस में कनफ़र्मेशन करे, दो बरस में करे, कम्पनी की जेनेरल मीटिंग में करे और जैनरल मीटिंग साल के बाद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यह छः महीने की अवधि क्यों बढ़ाई गई ? फिर उसके बाद ऐसी व्यवस्थायें की गईं कि सोल सैलिंग एजेन्ट को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने भाषण में वह बतायें कि सोल सैलिंग एजेन्ट की क्या जरूरत है, बीच में माल खाने वाले की क्या जरूरत है। अलग अलग सूबों और ज़िलों में सोल सैलिंग एजेन्ट क्यों न हों। एक आदमी को बिठा दिया गया है इस काम पर। और वह कौन होगा ? वही, जो किसी कारणवश मैनेजिंग एजेन्ट नहीं हो सका। वह अपने भाई भतीजों को सोल सैलिंग बना देगा और कपम्नी की सब फ़ीस ले लेगा।

फिर यह सवाल है कि रुपया कहां गया, यह हम देखेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी अभी कुछ एनाउंसमेंट हुआ था कि हमारे देश का ४२ परसेंट धन बढ़ा है, लेकिन वह कहां गया, उस का पता नहीं है। आज देश में ग़रीबों की अवस्था ज्यों की त्यों है, उन की भूख ज्यों की त्यों है। गवर्नमेंट ने यह पता लगाने के लिये एक कमेटी बना रखी है कि वह ४२ परसेंट कहां गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धन को इकट्ठा होने से रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं की गई है। सोल सैलिंग एजेन्ट सब धन इकट्ठा कर लेगा। उस के लिये कोई रुकावट नहीं है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स के ज़रिये कुछ ले ले। जहां तक इनकम टैक्स का सम्बन्ध है, एक भाई ने कहा कि तीन अरब रुपया बकाया पड़ा है। ऊपरी क्षेत्रों में रुपया इकट्ठा होने से रोकने के लिये कोई रुकावट नहीं है। हमारा लक्ष्य सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी स्थापित करना है। हमारा समाज बदलने वाला है। उस के बदलने का कब समय आयेगा। देहात के कृषकों की ज़मीन की सीमा बांधने का कानून बनाना शुरू किया गया है। अभी वह लागू नहीं किया गया है। शहरों में रहने वाले धनी लोगों की आमदनियों पर जिन में हमारे मसानी साहब भी शामिल हैं, रोक लगाने का कोई सुझाव नहीं है और न ही कहीं पर इस बिल में इस दिशा में पग बढ़ाने का कोई निर्देश है। इस तरफ हम कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। कब समय आएगा जब आप इस ओर भी ध्यान देंगे।

एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। हमारा प्रयत्न यह है कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों तरक्की करें। अभी कल परसों की बात है हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि प्राइवेट सैक्टर को कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए वे प्रोत्साहन दे रहे हैं जिस पर

[श्री सिंहासन सिंह]

हमारे विरोधी सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी। माननीय मंत्री जी का कहना यह था कि देश की कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिये जो भी उपाय किया जा सकता है, किया जाना चाहिये। मुझे एक बात का दु:ख जरूर है। हम पिछले दस बरसों में प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, दोनों को मिला कर ५० मिलियन टन से अधिक कोयला पैदा नहीं कर सके हैं। राउरकेला और भिलाई में कोयले की कमी के कारण लोहे के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जब पूछा जाता है कि कोयला क्यों नहीं पहुंचता है तो कहा जाता है कि रेलवे से डिब्बे नहीं मिलते हैं और जब रेलवे वालों से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि कोयला उनको ढोने को नहीं मिलता। कोयला एक ऐसी चीज़ है जो अगर नहीं मिलता है तो सभी को शिकायत रहती है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, पब्लिक सैक्टर भी है और प्राइवेट सैक्टर भी, लेकिन कोयला अपनी जगह पर रुका पड़ा है। मैंने देखा है कि इसी बीच चीन ने ३५० मिलियन टन तक कोयले का उत्पादन किया है, कैसे कर लिया है, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हो सकता है? हम ५० मिलियन टन पर ही रुके पड़े हैं। हमारे यहां प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर है, मिक्सड इकोनोमी है और एक खिचड़ी सी बनी हुई है। खींचतान में हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर भी विचार करें और देखें कि हमें देश को किधर ले जाना है और किधर ले जा रहे हैं और देश की आवश्यकतायें क्या हैं और विचार करने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचें, उसी के अनुसार अमल करें।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर): धारा २६३ के अन्तर्गत राजनीतिक दलों को चन्दा देना वैध सा हो गया है। चन्दा पहले भी दिया जाता था कभी खुले आम और कभी छिप कर। परन्तु अब खुले आम चन्दा देने में कोई रुकावट नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक राजनीतिक दलों को चन्दा देने का प्रश्न है, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार का चन्दा नहीं दिया जाया करेगा। यदि ऐसा कर दिया जाये तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली बहुत सी गलत फहमियों और उलझनों को दूर करने में काफी सहायता मिल सकेगी। यदि पदारूढ़ दल सरकारी समवायों से धन न भी लेगा और न ही लेना चाहेगा तब भी उस पर विरोधी दलों को निराधार आरोप लगाने का अवसर मिलेगा। सरकारी समवायों को छोड़कर अन्य समवाय चाहें तो यह चन्दा दे सकते हैं। कानून उन के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित उपबन्ध की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह भी सम्भव है कि चन्दा देते समय निदेशक बोर्ड में मतभेद हो जाये तो इसका भी परिणाम बुरा ही होगा। यह सम्भव है कि सभी निदेशकों के राजनीतिक विचार एक जैसे न हों। अतः इस बात की ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। समवायों में जो बुराइयां इत्यादि चल रही हैं उनका सामना करने के लिए उस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि वर्तमान परिस्थिति में समवाय विधि प्रशासन ही सब से अच्छा संगठन है। इस उद्देश्य के लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने की अभी विशेष आवश्यकता है नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

खंड २०२ के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि यह धारा नहीं रहनी चाहिए। इस बहुपदीय धारा की व्यवस्था इसलिए की गयी कि समवाय द्वारा अपने किसी दायित्व का निर्वाह न किये जाने अथवा किसी अनियमितता के सम्बन्ध में सजा की व्यवस्था हो सके। मेरे मत में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही केवल सभापति के भाषण को ही प्रचारित करना, एकपक्षीय बात है। निकाय की सामान्य बैठक की कार्यवाही को ही बड़े स्तर पर प्रचारित क्यों न किया जाय। केवल सभापति के भाषण से समवाय की वित्तीय क्षमता का अनुमान लगाना लोगों के लिए सम्भव नहीं होगा। बैठक की कार्यवाही से उस समवाय की स्थिति का सही पता लग सकता है। अतः उसे भी प्रकाशित कराना चाहिये।

यह बात भी गलत है कि विधेयक को पास करने में शीघ्रता से काम लिया गया है। संयुक्त समिति ने इस पर विचार करने में १५ मास का समय लिया। इसकी २७ से ३० तक बैठकें हुई है। १६ से २० तक साक्षियां ली गयी हैं। सारी बातों का अच्छी प्रकार अध्ययन करके इस संशोधन विधेयक को अन्तिम रूप दिया गया है। यदि आगे चलकर और संशोधन की आवश्यकता हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरा इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि संयुक्त समिति ने मूल विधेयक में काफी सुधार किया है। अतः मैं इस वि`यक का समर्थन करता हूं।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनी विधेयक जो प्रवर समिति से संशोधित हो कर सभा में पेश किया गया है और जिसे वाणिज्य मंत्री जी ने पेश किया, उस के विषय में आज दो दिनों से विचार चल रहा है और उस पर खंडवार काफी विचार किया जा चुका। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में मैं ने चार धारायें देखीं जो सारे विधेयक में मौलिक महत्व की हैं। धारा ७० में जो विशेष लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है वह कम्पनियों के काम के लिये सब से उपयुक्त हैं। वैसे तो यह कम्पनी ऐक्ट हमारे देश में १०० वर्षों से लागू है परन्तु वह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और उस से हमारी कम्पनियों का काम नहीं चल सका। स्वतंत्रता के बाद सन् १९५६ में उस में परिवर्तन किया गया, और उस परिवर्तन के आधार पर भी कुछ काम चला। लेकिन जब सरकार को पता चला कि उस परिवर्तन से भी काम नहीं चल सकता तो उन्होंने बहुत सी धाराओं को फिर बदला, बहुत सी धाराओं को जोड़ा और बहुत सी धाराओं को हटाया। इस प्रकार से विधेयक को सुन्दर रूप में यहां पर लाया गया है —

लेखा परीक्षक की जो नियुक्ति हुई है वह सारे कम्पनियों के काम के सुधार के लिये बहुत अच्छा काम किया गया है। अभी तक कम्पनियों के ही लेखा परीक्षक होते थे, उन्हीं के हिसाब किताब करने वाले होते थे। सरकार की ओर से उस की कोई देख-रेख नहीं होती थी। अब इस नियुक्ति के हो जाने से सरकार का एक आदमी उस की अच्छी तरह से जांच करेगा और कम्पनी के हानि लाभ, उस की त्रटियां और कमियां जो होंगी उन को हमारे सामने लायेगा। यह परिवर्तन सब से बड़ा और सब से सुन्दर हुआ है जिस का सब को स्वागत करना चाहिये था, लेकिन इस का हमारे बहुत से साथियों ने विरोध किया है।

धारा ४४८ में कर्तव्य पालन न करने की स्थिति में मालिक को दंड देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक यह होता था कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर होता था एक

[श्री रा० स० तिवारी]

प्रकार से पूरे का पूरा हिसाब किताब की देख भाल करने वाला होता था, उस की आमदनी को हड़प करने में मालिक की मदद करता था। मान लीजिये कि किसी कम्पनी का २ लाख रु० हड़प कर लिया और बाद में वह पकड़ा गया। ऐसी अवस्था में केवल ५०० रु० तक का जुर्माना करने का क्लाज था। ५०० रु० जुर्माना दे कर उस का २ लाख रु० का लाभ हो गया। आज हमारी सरकार ने इस क्लाज में ५०० के बजाय १००० रु० जुर्माना रक्खा है और सजा का भी क्लाज साथ में है। जब सजा और जुर्माना दोनों होने लगेंगे तब मैं समझता हूं कि इस तरह की चोरी नहीं हो सकेगी।

खंड ६० के द्वारा धारा २१० में यह व्यस्था की गई है कि वित्तीय वर्ष का हिसाब करने के छः महीने पूर्व कम्पनी की जनरल मीटिंग बुलवाई जाय और जितने कम्पनी के शेअर-होल्डर्स हों, कम्पनी के अधिकारी हों, जो कि उस में हक़ लेने वाले हों, उन सब को साथ बुलाकर सारा हिसाब किताब मंजूर कराया जाय। जो प्रजातंत्र का उसूल है उसी ढंग का उसूल इस में भी रक्खा गया है।

मैं समझता हूं कि यह चार पांच बातें जो हैं वे इस विधेयक की जान हैं और उन के अन्तर्गत जितने मामले आते हैं उन को देखते हुए हम को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये था। आम तौर से लोगों ने स्वागत किया भी है, केवल दो चार आदमियों ने नहीं किया।

इस विधेयक में एक और क्लाज है जो महत्वपूर्ण है और वह यह है कि लाभांश बांटने से पूर्व बोनस या मजदूरों की मजूरी अदा कर दी जाय। यह सब से अच्छी चीज है इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस में यह उल्झन डाली है और इस का विरोध किया है कि राजनीतिक पार्टियां कम्पनियों से चन्दा लें। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां कम्पनियों से चन्दा न लें। यह बात उन्होंने विशेष कर कांग्रेस पार्टी को ले कर कहा है हालांकि सभी पार्टियां चन्दा लिया करती हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने उस क्लाज को नहीं देखा है जिस में यह कहा गया है कि जिस दिन वित्तीय वर्ष का अन्त हो उस के छः महीने के अन्दर सब खर्चा पास करा लेना चाहिये। उन लोगों ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्तिगत चन्दा दे सकता है। मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत चन्दा लेने में और कम्पनियों से चन्दा लेने में कोई अन्तर नहीं है जब कि कम्पनी का सारा खर्च छः महीने के अन्दर पास करा लिया जाना है। उस में वे खर्चे भी पास हो जायेंगे जो कि चन्दे में दिये गये हैं। इसलिये चन्दा देने का विशेष रूप से विरोध करना उचित नहीं है। जब राजनीतिक पार्टियां उन से वोट मांगने जाती हैं जिस वोट से शासन पद्धति बदल जाती है, शासन की कुर्सी बदल जाती है तो उन से चन्दा मांग कर लेना कोई पाप नहीं है या बड़ा दोष नहीं है। इसलिये इसका जो विरोध किया जाता है वह ठीक नहीं है। वास्तव में चन्दा कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सभी पार्टियां लेती हैं। पहले पाबन्दी उस चन्दे पर लगाई जानी चाहिये जो राजनीतिक पार्टियां विदेशों से लेती हैं और विदेशों में फंड जमा करती हैं तथा विदेशी राजनीति हमारे देश में चलाती हैं। इस जुर्म के लिये कोई नहीं कहता पर मैं कहता हूं कि सख्त सजा होनी चाहिये।

हमें इस बात को भी देखना है कि हमारे यहां तीन प्रकार के कारखाने हैं। एक कारखाने तो हैं, निजी, जो कि व्यक्तिगत आदमियों के हैं, दूसरे कारखाने

हैं पब्लिक सेक्टर के और तीसरे हैं सरकारी । यानी तीन प्रकार के कारखाने आपको चलाने हैं और वह लोगों की पूंजी है, निजी सम्पत्ति है । उन पर सरकार यकायक हमला नहीं कर सकती। अगर सरकार उन पर हमला करती है तो फिर सारा का सारा अपने हाथ में ले ले । अगर ऐसा नहीं करना है और व्यक्तिगत कारखानों को चलने देना है तो सरकार उन में केवल यही देख सकती है कि किसी गरीब को तो नहीं सताया जाता, या किसी आदमी को नुक्सान तो नहीं होता, इससे ज्यादा हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती।

तो यह जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है इसका मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं । और जो खामियां हैं वे भविष्य में दूर की जा सकती हैं। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनी ला अमेंडमेंट बिल की संयुक्त समिति का मैं भी एक सदस्य था । यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि संयुक्त समिति ने इस पर काफी विचार किया है और जो कुछ भी इस में गलतियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की है । लेकिन जिस बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य ने इस पर रोशनी डाली है, वह पोलीटिकल पार्टीज को चन्दा देने का सवाल है । मैं ने और कई सदस्यों ने संयुक्त समिति में इस के बारे में कहा था । दुर्भाग्य से हम ज्यादातर सदस्यों पर असर नहीं डाल सके । लेकिन मैं ने जो समिति के सामने कहा था उन्हीं बातों को यहां सदन के सामने रखना जरूरी समझता हूं ।

हमारी पार्टी के नेता, श्री अशोक मेहता जी ने, जो कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं और कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन के सामने एक बहुत अच्छी अपील रखी है । मैं भी अदब से उसी बारे में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं । आज जो प्राइवेट कम्पनियां या कारपोरेट बाडीज हैं इन से कंट्रीब्यूशन लेने का भारत में क्या असर होता है, इस के बारे में मैं कहने की कोशिश करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अवाम से दूर जा रही है । उसको अपनी फिलासफी को लोगों के सामने रखने में डर लगता है । गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस के नेता अवाम तक पहुंचे। अपनी पार्टी की जो पालिसी है उसको लोगों तक पहुंचाएं । इतना ही नहीं, कांग्रेस के आरगेनाइजेशन के लिए जितना भी साजो सामान लगती है, पैसा लगता है, वह कांग्रेस की मेम्बरशिप बढ़ाकर हासिल करें। लेकिन आज कांग्रेस के ऊपर हिन्दुस्तान में जो मालदार हैं, जो कैपीटलिस्ट है, उनका असर हो रहा है, इस बारे में अवाम को शक नहीं है । आजादी मिलने के पहले जब हमारे सामने हिन्दुस्तान से विदेशी लोगों के चले जाने की चर्चा होती थी उस समय गांधी जी के सामने बाहर के कुछ लोगों ने यही बात रखी थी। मैं एक किताब की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उसका नाम है—ए वीक विद गांधी जी —। लुई फिशर ने इस किताब को लिखा था। लुई फिशर सेवाग्राम में आठ दिन तक रहे और उन्होंने गांधी जी के साथ चर्चा की कि आप जो कहते हैं कि अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से चला जाना चाहिए यह बात तो मैं मानता हूं, लेकिन बाहर के लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस के इर्द गिर्द जो लोग आज बैठे हैं वे मालदार लोग हैं, कैपीटलिस्ट हैं। हिन्दुस्तान के बड़े बड़े

[श्री यादव नारायण जाधव]

सरमायेदार हैं । उनका गुट हमेशा कांग्रेस के इर्द गिर्द बैठा होता है । और उन्होंने कहा कि—मुझे शक है कि आजादी मिलने के बाद उन्हीं लोगों का कांग्रेस पर ज्यादा असर रहेगा ।

असर हो रहा है या नहीं यह तो आप जानते हैं। वैकुंठनाथ मेहता ने अम्बर चरखा के बारे में एक किताब लिखी है, उस के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि देश में कैपीटलिस्ट लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि औद्योगीकरण बढ़ाओ नहीं तो खत्म हो जाओगे । और जब उनकी तरफ से ऐसी आवाज उठती है तो कांग्रेस के सामने जो डिसेंट्रलाइजेशन आफ इंडस्ट्री का प्रोग्राम है, खादी को बढ़ाने का प्रोग्राम है, उन के पीछे वह नहीं लग सकती है । कैपीटलिस्टों को मालूम है कि कांग्रेस उनकी तरफ आती है और आएगी। जब इलेक्शन सामने आता है तो वह कांग्रेस को पैसा देते हैं और कांग्रेस को उनकी तरफ जाना पड़ता है । वह समझते हैं कि हम कांग्रेस को पैसा देते हैं और हम जो पालिसी चाहें कांग्रेस की तरफ से चलवा सकते हैं । इसका असर बहुत बुरा हो रहा है यह हमने देखा है ।

शुगर इंडस्ट्री को जो संरक्षण मिला, टैक्सटाइल इंडस्ट्री को जो संरक्षण मिला, स्टील की प्राइवेट इंडस्ट्री को जो संरक्षण मिला, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यकीनन आज की कांग्रेस के ऊपर ज्यादातर असर कैपीटलिस्ट लोगों का है और यह असर हमारे देश को नुकसानदेह होने वाला है । मैं तो इसको खुले तौर से करप्शन कहता हूं । आज इस करप्शन का असर हिन्दुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पर और एग्जीक्यूटिव मैशिनरी के ऊपर है । नीचे देहातों के अफसरों तक पर इसका असर है क्योंकि वह जानते हैं किया था राजा तथा प्रजा। अगर राजा करप्ट रहेगा तो उसकी मैशिनरी करप्ट रहेगी । आज सब तरफ बहुत करप्शन बढ़ चुका है। मैं मानता हूं कि जैसा कांग्रेस कहती है, वह डिमाक्रेटिक जमात है और नेशनलिस्ट जमात है । अगर इस जमात को करप्शन दूर करना है, तो उसे ऊपर से करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। अगर यह लीगलाइज्ड करप्शन कांग्रेस बन्द नहीं करेगी तो इस का असर एडमिनिस्ट्रेशन पर और एग्जीक्यूटिव मैशिनरी पर पड़ेगा । अगर मैं कांग्रेस का अच्छा कारकुन हूं तो मेरा असर मैशिनरी पर वैसा ही होगा। और अगर मैं करप्ट लीडर हूं किसी भी जमाअत का तो मैं अधिकारी के पास जाकर उस से अच्छा काम नहीं करवा सकता । आज देश के सामने एक बड़ी मुसीबत है, और अगर इस लीगलाइज्ड करप्शन को दूर नहीं किया गया तो देश का हित नहीं हो सकता । गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं और जो मालदार हैं वह ट्रस्टी के रूप में रहेंगे । यह उनकी खास इच्छा थी। लेकिन गांधी जी चले गए, उनकी फिलासफी चली गयी और उन के विचार भी चले गए । आजादी मिलने के पहले पंडित जी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद पहला काम वह यह करेंगे कि हिन्दुस्तान में जो लोग काला बाजार करने वाले हैं, उनको कोड़े लगवायेंगे। लेकिन यह कहां हो रहा है । आज वे लोग तो समाज के कोढ़ हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है ?

आज हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है, और उसका क्या असर होने वाला है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं । हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बम्बई में पार्टी के सालाना इजलास में कहा था कि हिन्दुस्तान में जो दूसरी सियासी

जमाअत है, जो डिमाक्रैटिक नहीं है, नेशनलिस्ट नहीं है, उन में आज एक चर्चा चल रही है । उन में से एक हिस्सा तो यह कहता है कि हम नेशनलिस्ट हैं और दूसरा हिस्सा कहता है कि हम चीनवादी हैं। उन्होंने इस पर अच्छी रोशननी डाली थी। उन्होंने कहा कि आज उस जमाअत में यह बहस चल रही है कि कौन नेश्नलिस्ट है और कौन चीनवादी है । ऐसा दिखायी देता है कि जो नेशनलिस्ट हैं, वह तो हिन्दुस्तान के साउथ में हैं और जो चीनवादी हैं वह सब बार्डर के पास हैं।

बंगाल में हैं, आसाम में हैं । जहां हमें खतरा है ऐसी जगह पर वे लोग हैं और इससे खतरा है कि नहीं वह इसको बखूबी जानते हैं । हम ऊपर ही ऊपर कितना भी कहें कि हमारे देश के ऊपर खतरा नहीं है और हम किसी भी खतरे का सामना करने को बिलकुल तैयार हैं लेकिन वास्तव में हमारी तैयारी है कितनी यह वह भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अन्दरूनी शत्रु हमारे देश में पैदा हो गये हैं । ऐसे वक्त में कांग्रेस जैसी जमात को जो कि खुद को डेमाक्रेटिक कहती है, नेशनलिस्ट कहती है, उसको अपने अमल से भी इस चीज को सिद्ध करना चाहिए और अच्छे ढंग से हिन्दुस्तान में राज्य करने की कोशिश करनी चाहिए ।

कांग्रेस शासन को यदि जनता का सहयोग अपेक्षित है तो उसको जनता के पास मासेज के पास जाकर एप्रोच करना होगा । चन्दा मांगना है तो उसे लोगों के पास जाना होगा और आज हकीकत यह हो गई है कि कांग्रेस शासन जनता के पास जाने में और चन्दा मांगने में हिचकता है क्योंकि उसको डर है कि अगर वह गये तो जनता उनसे कैफियत तलब करेगी कि इस १३ साल की आजादी के जमाने में तुमने हमारे वास्ते क्या काम किया है ? वे हमसे सवाल करेंगे कि क्या करप्शन मिटा है ? आज भी स्थिति यही है कि जनता को रोज की आवश्यक चीजों के लिये रोना पड़ता है और उसको कठिनाई अनुभव होती है । कोई भी छोटी सी छोटी चीज को प्राप्त करने के लिये लोगों को दफ्तरों के ५०, ५० दफे चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी हालत के रहते वे आम जनता के पास छोटे लोगों, मिडिल क्लास के लोगों और कर्मचारियों से चन्दा मांगने से कतराते हैं क्योंकि उनको वहां से चन्दा नहीं मिल पायेगा उलटे उनकी लानत मलामत ही की जायगी। इसके अतिरिक्त उनको तो पैसा एकदम से चाहिये और मोटी मोटी रकमें उनको कारपोरेट बौडीज से मिल जाती हैं और अगर एक कम्पनी से दो लाख रुपया मिलता है तो दूसरी कम्पनी से ५ लाख मिल जाता है और काफी मोटर्स हो जाती हैं । लेकिन जो कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरी सियासी जमातें हैं उनको यह नसीब नहीं है । काफी लोगों ने कहने की कोशिश की क्योंकि अपने ऊपर का जो इल्जाम है उसको हटाने के लिये कह देना चाहिये कि कांग्रेस को ही क्यों दूसरी सियासी जमातों को भी पूंजीपतियों से और कम्पनियों से पैसा मिलता है । कांग्रेस के एक प्रमुख मेम्बर साहब ने कहा कि हमें ही नहीं दूसरे लोगों को भी पैसा मिलता है डोनेशन मिलता है । क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं ? तो उन्होंने एक पिछला जो जातिवाद का झगड़ा था उसके बारे में कह दिया । मैं तो यह ऐलान करना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य यहां पर खड़े होकर यह कहे कि कम्पनीज या जो कारपोरेट बौडीज हैं उनकी तरफ से दूसरी सियासी जमातों को चन्दा या डोनेशन मिला है। उनको मिल ही नहीं सकता है क्योंकि यह पूंजीपति लोग जानते हैं कि पैसा कहां लगाना चाहिये और विरोधी पार्टियों को पैसा देकर उनके पैसे का क्या उपयोग हो सकता है । उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी हिफाजत करने के लिये अपोजीशन पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं ? वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

यह जो लीगलाइज्ड करप्शन है इस करप्शन को मिटाने के लिये मैं स्पीकर साहब, आपकी मार्फत श्री लाल बहादुर शास्त्री से पुरजोर अपील करना चाहता हूं । आज हमारे पास एक बहुत

[श्री यादव नारायण जाधव]

बड़ा नेता है। कांग्रेस उनके ऊपर नाज करती है और भारत क्या दुनिया को उनके ऊपर नाज है लेकिन मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके हट जाने के बाद हिन्दुस्तान में क्या होगा ? हिन्दुस्तान में नेशनलिज्म जिन्दा रखना है, सोशलिज्म जिन्दा रखना है, डेमोक्रेसी जिन्दा रखनी है और सोशलिज्म लाना है तो क्या इसी तरीके हम सोशलिज्म लायेंगे ? आप देश में इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ायेंगे नहीं तो आप कैसे इस देश में सोशलिज्म ला सकेंगे ? अभी कल ही पार्लियामेंट में एक सवाल आया था कि लोगों को काम देने के लिये हमारे पास पायलेट प्रोजेक्ट्स हैं। जब मैंने उस स्टेटमेंट को पढ़ा तो मुझे हंसी आई और मैं समझता हूं कि उसको पढ़ कर हर एक आदमी को हंसी आ सकती है। एक एक स्टेट में पायलेट प्राजेक्ट निकलेगा २, २ लाख उसके ऊपर खर्च होंगे और कितने लोगों को काम मिलेगा ? आज लोगों को काम *मिलता* नहीं है इसलिये उसका असर यह होता है कि वह नाजायज कामों को करके पैसा *कमाना शुरू कर* देते हैं। आपकी प्राहिब्शिन पालिसी की बलिहारी है कि लेबर ने आज काम ढूंढ लिया है और धड़ल्ले से गांवों में दारू बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। वे कष्ट का काम करने को तैयार नहीं होते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात के ऊपर एक पार्टी के नजरिये से मत देखिये बल्कि हिन्दुस्तान में अच्छा राज्य हमें बनाना है, सोशलिज्म हमें लाना है, नेशनलिज्म हमें कायम करना है और डेमोक्रेसी हमें कायम रखनी है तो इसके लिये आपको यह बात जरूर करनी पड़ेगी कि यह जो लीग्लाइज्ड करप्शन है इसको खत्म करना पड़ेगा।

मैं और अधिक न कहते हुये और जो नोट आफ डिस्सेंट मैंने दिया है उसकी ओर *पुनः* ध्यान दिलाते हुये मुझे यही अर्ज करना है कि इस करप्शन को हमें जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिये और चुनाव लड़ने के लिये हम अवाम के पास चन्दा मांगने जायें जैसे कि अन्य जाते हैं। हम भी चुनाव लड़ने के हेतु अवाम के पास जाते हैं और हमको रुपया, दो दो रुपया और पांच पांच रुपया उनसे चन्दा मिलता है लेकिन आप तो जनता के पास जाने को तैयार नहीं हैं और उनके पास जाने से आप डरते हैं। अगर आप उनके पास जायेंगे तो सारी पिक्चर आपके सामने साफ तौर से आ जायगी। चुनाव में उनका परसेंट देखें तो हिन्दुस्तान की पूरी तस्वीर आपके सामने आ जायगी। बस इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त समिति से प्रतिवेदित रूप में विधेयक को सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। यह बात काफी सन्तोषजनक है कि समस्त सभा इस प्रकार की सहमति प्रदान करे।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि विधेयक के सारे पहलुओं के अध्ययन के लिये और समय चाहिये था। उन्होंने यह ठीक कहा है कि विधेयकों के पारित होने के बाद उनकी त्रुटियों का ज्ञान होता है। परन्तु यह चीज केवल इसी देश में नहीं होती। अन्य देशों में भी जब न्यायालय त्रुटियां ढूंढ निकालते हैं तो कानूनों का संशोधन होता है। पर यह भी संभव है कि हम स्वयं गलतियां भी करते हों। यह विधेयक भी सभा में १ मई १६५६ को पेश किया गया था। एक सप्ताह या दस दिन के बाद इसे संयुक्त समिति को सौंपा गया था। समिति के पास यह विधेयक एक वर्ष ४ मास तक रहा। समिति ने विधेयक पर विस्तृत रूप से विचार किया। अतः सभा में लाये जाने से पूर्व इस विधेयक पर बहुत गहन विचार हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त समिति के समक्ष अनेक व्यक्तियों ने साक्ष्य दिया। लगभग १००० पृष्ठ तक के विभिन्न ज्ञापन समिति के सामने आये। समिति के सदस्यों ने साक्षियों से हर पहलू पर जिरह की और उनके अनुभव का पूरा लाभ प्राप्त किया। उन लोगों की सलाह तथा अन्य लोगों की मंत्रणा से इस विधेयक को शुद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया है। हां, जहां तक इस विधेयक के प्रारूप का संबंध है, मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है। किन्तु जहां तक विधेयक का संबंध है, इसमें हमने वे सभी मूल्यवान रायें समाविष्ट करने का प्रयास किया है जो हमें विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुई हैं।

श्री मसानी ने कहा कि संभव है यह विधेयक देश की आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधास्वरूप उपस्थित हो और इसकी कुछ एक धाराओं से औद्योगिकों का साहस डिग जाय। मैं यह कहने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं करता कि उनकी इस इच्छा से सरकार पूर्णतया सहमत है कि देश में उद्योगों का विकास हो और उद्योगपतियों का साहस बढ़े। किन्तु हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि नियमरहित विकास कई बार बर्बादी का कारण बन जाता है। इस कारण हम श्री मसानी की बातों से पूर्णतया सहमत नहीं हैं।

यह सच है कि आगामी वर्षों में देश के अन्दर अनेक समवाय बनेंगे। क्या यह संभव होगा कि ये समवाय अपने काम का विनियमन स्वेच्छा से कर लेंगे? मैं तो समझता हूं कि दुनिया भर में कोई भी देश ऐसा नहीं जहां समवायों के विनियमन की व्यवस्था न हो।

श्री मसानी ने न्यास संबंधी बात कही। किन्तु न्यास प्रणाली का अर्थ यह नहीं कि उसे अपने आप किसी प्रकार का विनियमन हो जायगा। किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखना अत्यावश्यक होता है। मुझे खुशी है कि श्री मसानी इससे सहमत हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप पसन्द नहीं है। किन्तु बात यह है कि हमारे देश की परिस्थितियां अन्य सभी देशों से अलग हैं और हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही काम चलाना पड़ता है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हमें सब से पहले तो प्रबन्धकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की रोकथाम करनी है और दूसरे शेयर होल्डरों ने जो भरोसा उनमें किया है उसका संरक्षण करना है, तीसरे ज्वायंट स्टाक समवायों को अवांछनीय तत्वों से बचाना है और चौथे हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि कम्पनियों के संचालन से न केवल कुछ ही लोग लाभान्वित हों वरन् देश को सामूहिक रूप से भी लाभ पहुंचे।

श्री मसानी ने कई देशों के उदाहरण दिये। परन्तु हमारे देश में अलग वातावरण है। अमरीका, इंग्लैंड, जापान तथा पश्चिमी जर्मनी में दूसरे हालात हैं। हमारे देश में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं हो पाया है, न्यास की भावना ने अभी जड़ें नहीं पकड़ी हैं; यहां पर सुसंगठित वित्तीय संस्थायें नहीं हैं जो जनता की स्थायी रूप से सेवा करती आ रही हों, अमरीका आदि देशों में ऐसे संगठन हैं। इसके अलावा इस देश में कम्पनी विषयक मामलों में संगठित जनमत नहीं है। प्रबन्धक वर्ग का भी अभी विकास नहीं हो पाया है।

अभी तक सुयोग्य प्रबन्धकों की हमारे यहां काफी कमी है। बहुत सी कम्पनियों के लिये दक्ष सचिव भी नहीं मिलते। हम योग्य सचिवों को प्रशिक्षित कराने का पूरा पूरा यत्न कर रहे हैं। मुख्यतया यह अन्तर है हमारे देश में तथा विदेशों में। हाल ही में हमारे मंत्रालय ने अमरीका

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

आदि देशों में अपना एक शिष्टमंडल भेजा था। शिष्टमंडल में समवाय प्रशासन विभाग के सचिव श्री मजूमदार भी शामिल थे उन्होंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं दी थी पर मैंने उनसे परिस्थितियों के मुख्य अन्तर अवश्य पूछे थे। मैं उनके टिप्पण से कुछ जरूरी चीजें पढ़कर सुनाता हूं :

"निगमों तथा निगमन क्रिया पर अमरीका में काफी नियंत्रण है। यद्यपि उस नियंत्रण की व्याप्ति तथा उसका स्वरूप विभिन्न प्रकार का है, तथापि, अनेक विनियमक आयोगों, निगमों संबंधी कानूनों जिनमें प्रसिद्ध न्यास-विरोधी विनियम शामिल हैं तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों से अमरीका के निगमों पर इस प्रकार का नियंत्रण हो जाता है जो भारत में अज्ञात है; इन सब के अलावा रूजवेल्ट शासनकाल के 'न्यू-डील' योजना के अन्तर्गत बने नियम और भी प्रभावपूर्ण हैं।"

उदाहरण स्वरूप, सिक्योरिटीज एक्ट के अधीन वहां पर रजीयन विवरणों का समर्थन करना पड़ता है और कम्पनियों के व्यापार को प्रकट करना पड़ता है। सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज कमिशन द्वारा जारी किये नियमों तथा विनियमों के अनुसार बहुत सी जानकारी समवायों को देनी पड़ती है। अनेक विधियों पर आधारित फेडरल व्यापार आयोग की कार्यवाहियां, न्याय विभाग के न्यास-विरोधी डिवीजन का काम, कम्पनियों के प्रशासन पर काफी नियंत्रण कर लेता है और मेरे विचार में इन सब कानूनों, नियमों, विनियमों का प्रभाव उतना ही है जितना कि हमारे अपने कानूनों का हमारी कम्पनियों पर है।"

इसी प्रकार मैं इंग्लैंड की स्थिति भी उन्हीं के शब्दों में बताना चाहता हूं :—

"यह सच है कि इंग्लैंड में तुलनात्मक दृष्टि से कम नियंत्रण है; परन्तु स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रभाव से कम्पनियों में इतना अनुशासन आ जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उनके समान संस्थायें कायम करना भी कठिन है। ऐसा करने में अभी हमें काफी देर लगेगी।"

मेरा विचार है कि श्री मसानी ने लार्ड जेन्किन्स समिति द्वारा जारी की गई तत्सम्बन्धी प्रश्नावलि का अवश्य अवलोकन किया होगा और उन्होंने यह भी देखा होगा कि समवाय व्यवस्था के क्षेत्र में वहां भी अनेक अव्यवस्थित विषय हैं जिनसे वहां के सूझ बूझ वाले लोगों को काफी चिन्ता हो रही है और वे लोग उन तरीकों में सुधार करना चाहते हैं। आगे चल कर उन्होंने कहा है :

"इंग्लैंड में प्राईवेट तथा पब्लिक कम्पनियों के पारिस्परिक सम्बन्धों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की समस्याओं, शेयरहोल्डरों के विशिष्ट वर्गों के संरक्षण की समस्याओं, निरीक्षकों की नियुक्ति की समस्या, स्वामित्व घोषित करने की बात आदि का काफी महत्व है। कम्पनी के आचरण के अलावा वहां की कम्पनियों पर इतने नियंत्रण हैं जिन्हें इस देश में कोई जानता नहीं। उदाहरणस्वरूप वस्तुओं के विक्रय के लिये वहां अन्तस्समवाय स्तर पर व्यवस्था हो जाती है। ऐसे करारों की शर्तों आदि को काफी हद तक विनियमित किया जाता है; यह समस्यायें यहां के विक्रेता अभिकरणों की समस्याओं से काफी मिलती जुलती हैं।"

खैर समिति अब भी बैठी हुई है और हम अनेक समस्याओं पर वहां भी विचार कर सकते हैं।

मैं पश्चिमी जर्मनी का ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा परन्तु वहां भी पश्चिमी जर्मनी समवाय विधि के अन्तर्गत उनके अपने प्रबन्ध बोर्ड तथा निरीक्षक बोर्ड हैं ।

इसलिए यह कहना उचित न होगा कि हमारे अपने कानून पुराने प्रकार के हैं । मैं तो सदैव यही कहता रहा हूं कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ऐच्छिक नियंत्रण होने चाहिएं । इस दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश हुई है परन्तु ज्यादा प्रगति नहीं हुई है । यदि इस दिशा में ज्यादा कोशिश न होगी तो शेयरहोल्डरों के हितों की रक्षा के लिये हमें क्षेत्र में कूदना ही पड़ेगा ।

श्री मुकर्जी ने कहा कि इस बिधेयक द्वारा धन संचय की समस्या का हल नहीं हो पायेगा अतः उन्हें इस बात का दुख हुआ । मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतनी निराशा क्यों हैं ; उन्हें समझना चाहिये कि अकेले समवाय विधि से इस दिशा में स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं हो सकती परन्तु यह काम समूची सरकार को करना है और समवाय विधि प्रशासन उसी समस्त व्यवस्था का एक छोटा अंग है ।

श्री त्यागी जी कह रहे हैं कि इस दिशा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी तो हैं परन्तु वह स्वयं वित्त मंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता होना चाहिये कि इस मामले में वित्त मंत्रालय का भी कम दखल नहीं है । स्टाक एक्सचेंज तथा पूंजी निर्गम आदि सभी चीजों पर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण है । किन्तु सरकार के रूप में इन सभी मंत्रालयों के काम में समन्वय स्थापित करने का काम भी सरकार ही का है ।

श्री मुकर्जी के उत्तर में, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । धारा ३२२ द्वारा यह काम किया जा रहा है कि १५ अगस्त, १६६० के बाद कोई भी प्रबंध अभिकर्ता दस से ज्यादा समवायों का प्रबन्ध न करेगा । इस धारा में व्यवस्था भी है कि इस उपबन्ध के अधीन कौन कौन लोग प्रबन्धक माने जायेंगे । वे देखेंगे कि खंड १२० द्वारा तत्सम्बन्धी धारा में संशोधन करने जा रहे हैं ताकि एक ही वर्ग के प्रबन्धक चालाकी से दस से ज्यादा समवायों का प्रबन्ध कार्य न संभाल बैठें । धारा ३७२ में भी खंड १३६ द्वारा संशोधन किया जा रहा है । इसके अनुसार किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कम्पनी को दूसरे किसी निगम में, बिना सरकार की अनुमति के एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने की अनुमति न होगी । इस संशोधन का उद्देश्य केवल यही नहीं कि कम्पनियों की निधियां ठोस हों बल्कि यह भी है कि एक कम्पनी दूसरे समवाय पर नियंत्रण न कर पाये और इस तरह आर्थिक सत्ता का एकाधिकार कोई भी प्राप्त न कर सके । परन्तु हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अकेला समवाय विधि अधिनियम ही सब कुछ कर सकेगा ।

श्री मुकर्जी ने कहा कि हमने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के विरुद्ध ठोस कार्यवाही नहीं की । मैं मानता हूं कि हम इस प्रणाली का उत्सादन नहीं कर पाये और न ही ऐसा करना आवश्यक समझते हैं । किन्तु मुकर्जी जानते ही हैं कि हमने पिछले दिनों में क्या कुछ किया है । जो नियंत्रण हमने प्रबन्धकों पर लगाये हैं वे प्रभावपूर्ण सिद्ध हुये हैं । उनसे इस व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है । जहां तक प्रबन्धक अभिकर्ता, निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक का सम्बन्ध है, उस दिशा में हमने खंड प्रणाली लागू की है । हमने पांच वर्ष की अवधि भी निश्चित की है जिसकी समाप्ति पर प्रबन्ध अभिकर्णों के नवीकरण की समस्या पर विचार करना होता है । पहले दस वर्ष का समय रखा गया था । अब भी कुछ मामलों में हम इस अवधि को बढ़ा कर दस वर्ष तक की कर देते हैं । उदाहरणार्थ इस्को तथा टिस्को के बारे में । ये कम्पनियां बहुत विस्तार कर रही हैं और वाकबद्धतायें बढ़ रही हैं । ऐसे मामलों में इनको अधिक लम्बी अवधि तक मौका देना ही वांछनीय है ताकि स्थिर चित्त होकर ये काम चला सकें । सामान्य रूप से हम इस सिद्धान्त में ढिलाई नहीं करते । पारिश्रमिक भी निर्धारित कर दिया गया है । प्रबन्ध अभिकरण के गठन में कोई परिवर्तन तब तक नहीं

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

हो सकता जब तक उसकी मंजूरी सरकार से न ले ली जाय। मैं समझता हूं कि हमें धीरे धीरे ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उत्सादन हो जाय। आप नये आंकड़ों को देखिये। नये ४३५६ समवायों में से, ३१०५ के ७१ प्रतिशत समवायों का प्रबन्ध सीधे निदेशक बोर्ड करेंगे और ११८२ का प्रबन्ध निदेशकों द्वारा होगा। केवल ५० समवायों ने प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पक्ष में मत दिया। यह हितकारी प्रवृत्ति है। यह प्रणाली सदा नहीं रहनी चाहिये। जहां पर विशेष निपुणता या अन्य कारणों से इसकी आवश्यकता हो, वहां पर हमें व्यर्थ ही में इस प्रणाली पर कुठाराघात भी नहीं करना चाहिये। यदि हम नये उद्योगों का विकास चाहते हैं तो हमें इसे भी सहन करना होगा।

श्री अशोक मेहता ने पारिश्रमिक की बात कही। इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि पारिश्रमिक की प्रत्येक याचिका पर समवाय विधि मंत्रणा आयोग विचार करता है और वह निकाय संविहित निकाय है। कुछ एक मामलों को छोड़ कर हमारी नीति यही रही है कि अधिकांश मामलों में हम आयोग की बात मान लें। आयोग के ५ सदस्य हैं और उसका अध्यक्ष उच्च-न्यायालय का एक भूतपूर्व न्यायाधीश है। मद्रास का एक अर्थ-शास्त्र का प्राध्यापक भी इसका सदस्य है। श्रम और उद्योग का भी एक एक प्रतिनिधि वहां है। श्रम का प्रतिनिधि संसद का भी सदस्य है। एक वरिष्ठ चार्टर्ड लेखापाल भी आयोग में है। मैं समझता हूं कि आयोग स्वतंत्रता से काम करता रहा है। निःसंदेह हम उन्हें अपनी नीतियों से अवगत करते रहे हैं, उदाहरणार्थ हमने उन्हें खंड प्रणाली के बारे में बताया और उन्होंने तदनुसार ही पारिश्रमिक को निर्धारित कर दिया। सामान्य रूप से सिद्धान्त यही है कि किसी भी व्यक्ति को १.२० लाख प्रति वर्ष या १०,००० मासिक से अधिक न दिया जाय। देश की सामान्य स्थिति को देखते हुये यह पारिश्रमिक काफी ज्यादा है। किन्तु आपको यह भी तो देखना चाहिये कि पहले वे कितना देते रहे हैं। आज भी कम्पनियां विशाल वेतन पेश करती हैं। किन्तु हम समझते हैं कि वेतन, भत्ते और मानदेय आदि मिला कर १.२० लाख रुपये से अधिक नहीं होने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस क्षेत्र में कोई वर्ग हैं या एक ही सा काम है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : एक श्रेणी बद्ध स्तर है परन्तु उसकी अधिकतम सीमा भी निश्चित है। यदि वह हमारे द्वारा निश्चित श्रेणी को स्वीकार नहीं करते तो हमने अधिकतम सीमा निश्चित कर रखी है। उससे ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता।

यह पारिश्रमिक शुद्ध लाभ का १० प्रतिशत बैठता है। अधिकतम पारिश्रमिक में गारंटी कमीशन भी शामिल करना होता है। यह भी एक नयी चीज है। उन्होंने उन ऋणों आदि पर पृथक कमीशन की मांग की थी जो उन्हें उनके द्वारा प्राप्त होता है। किन्तु हमने कहा कि इसे अधिकतम सीमा में ही शामिल करना होगा; इसकी व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४८ में की गयी है। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था यह भी है कि सामान्य रूप से गारंटी कमीशन की मात्रा, अन्यथा देय पारिश्रमिक के दसवें भाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसमें उनके कर्मचारियों का व्यय भी सम्मिलित है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीमान्, यह गारण्टी कमीशन है। मैनेजिंग एजेंट उद्योग अथवा व्यापार संस्था के लिए ऋण लेते हैं और चूंकि वे उस समवाय के लिए ऋण का प्रबन्ध कर सकते हैं, वे उनके लिए गारण्टी देते हैं और जोखिम उठाते हैं, इसलिए वे कुछ कमीशन चाहते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। वे इसका भुगतान उस ० प्रतिशत शुद्ध लाभ के अतिरिक्त चाहते थे जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था। परन्तु हमने य निर्णय किया है कि वह इस १० प्रतिशत में ही सम्मिलित करना होगा।

श्री अशोक मेहता ने एक परिनियत निकाय तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना की बात कही। संभवतः इस मामले पर संसद् में पहले भी चर्चा हो चुकी है जब १९५६ में मूल विधेयक पर विचार किया गया था। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के परिनियत निकाय की स्थापना सर्वथा ठीक होगी। समवायों का प्रबन्ध व उनका संचालन सरकार की आर्थिक नीति से इतनी निकटतया संबद्ध है कि मैं समझता हूं कि सरकार के लिए अपनी शक्तियां किसी पृथक अथवा स्वतंत्र निकाय में विनिहित करना वांछनीय नहीं होगा। अन्य चीजों के लिए परिनियत निकाय हैं। परन्तु जहां तक समवाय सम्बन्धी मामलों का प्रश्न है, जैसा कि मैं कह चुका हूं, वे अत्यावश्यक मामलों, अत्यावश्यक नीतियों से सम्बन्धित है और इसलिए वैसा करना वांछनीय नहीं होगा मैं उसे सर्वथा गलत तो नहीं कहता परन्तु उसे वांछनीय नहीं समझता हूं। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के समवाय विधि विशेषज्ञ श्री कोहेन ने भी एक बार अपने विचार व्यक्त किए थे। म आगे चल कर उनके कथन में से कुछ पंक्तियां उद्धृत करूंगा। मैं आशा करता हूं कि श्री अशोक मेहता इसके सम्बन्ध में अग्रेतर विचार करेंगे। परन्तु इस समय मैं इस मामले में उनके विचारों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं।

जहां तक प्रशासकीय न्यायाधिकरण का प्रश्न है, श्री मसानी तथा कुछ अन्य मित्र ऐसे भी हैं जो उसका विरोध करते हैं। जब श्री अशोक मेहता बोल रहे थे तभी श्री मसानी उसके प्रति विरोध करते हुए अपने स्थान पर उछल रहे थे। मैं प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में उनकी आपत्ति को भली प्रकार समझता हूं। ऐसी परिस्थिति में इस मामले को समवाय विधि प्रशासन विभाग के हाथों में ही रखना ठीक होगा। इसी सम्बन्ध में मैंने श्री कोहेन का उल्लेख किया था कि उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए थे। पिछले अवसर पर श्री देशमुख ने इस विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए श्री कोहेन के कथन को उद्धृत किया था। उन्होंने कहा था कि समवाय विधि की आधुनिक प्रणालियों का संतोषजनक प्रशासन केवल एक सुदृढ़ असैनिक सेवा द्वारा ही किया जा सकता है। यदि श्री मसानी बुरा न मान तो मैं यह भी कह दूं कि यह विचार किसी समाज-वादी द्वारा नहीं व्यक्त किया गया है।

श्री मुकर्जी ने असार्वजनिक तथा लोक समवायों का निर्देश किया।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या लेखापरीक्षकों की तरह संयुक्त स्कन्ध समवायों के मैनेजरों के लिए भी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव है ताकि सम्बन्धियों एवं अन्य योग्य व्यक्तियों को नियुक्त न किया जा सके?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जहां तक लेखापरीक्षकों का संबंध है वे तो चार्टर्ड एकाउन्टेंट होते हैं। परन्तु मैनेजरों की नियुक्ति समवायों के विवेक पर छोड़ दी गई है। यदि वे अयोग्य व्यक्तियों को रखेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। अभी तक हमने मैनेजरों के लिये कोई योग्यतायें निर्धारित नहीं की हैं। वास्तव में सत्य यह है कि यदि किसी कारखाने में १००० मजदूर और ५० या ६० अधिकारी हों तो निदेशक अथवा मैनेजिंग एजेंट के एक दो सम्बन्धियों का नियुक्त किया जाना बहुत स्वाभाविक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। चूंकि लोक संयुक्त स्कन्ध समवायों में जनता का धन रहता है इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति इतनी योग्यता रखते हों कि अधिनियम की ६०० विभिन्न धाराओं को समझ सकें। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार नहीं किया है कि प्रबन्ध योग्य व्यक्तियों के हाथों में रहे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्रीमान्, विधेयक में सम्मिलित किए गए कुछ उपबन्ध इस सम्बन्ध में सहायक होंगे। मैनेजरों की नियुक्ति करते समय अनेक बातों का विचार करना होता है। कभी कभी उच्च प्रविधिक योग्यता वाला व्यक्ति भी समवाय का प्रबन्ध संभालने में असमर्थ रहता है चाहे वह प्रविधिक पहलू को भले ही संभाल ले। मेरा अपना अनुभव यह है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं में असैनिक अधिकारी अधिक सफल सिद्ध हुए हैं। यदि हम सम्पूर्ण प्रबन्ध को लें तो उसके हरेक पहलू को देखना होगा—प्रविधिक, प्रशासकीय, विपणन सम्बन्धी तथा अन्यान्य।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई प्रविधिक योग्यता वाला व्यक्ति प्रबन्ध संभालने में असमर्थ है तो क्या बिना किसी प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति उससे अच्छा रहेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं प्रत्येक मैनेजर के बारे में वैसा नहीं कह रहा हूं। परन्तु सामान्यतः यह समवायों के ही हित में है कि कुशल व्यक्ति ही मैनेजर रखे जायें और मैं अनेक समवायों के मैनेजरों को जानता हूं जो वास्तव में बड़े योग्य हैं। वास्तव में उन में से कुछ सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं में आ गए हैं और वे अत्यन्त सफल रहे हैं। जब कि श्री मसानी इस सम्बन्ध में समवायों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं आप उनके लिए योग्यता निर्धारित करने का सुझाव दे रहे हैं और संभवतः यह भी चाहते हैं कि हम आगे चल कर समवायों के मैनेजरों और मैनेजिंग डायरेक्टरों की नियुक्ति भी करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जानते हैं कि अनेक सरकारी कर्मचारी सेवाकाल में ही समवायों के साथ समझौता कर लेते हैं और सेवा-निवृत्त होते ही जनरल मैनेजर बना दिए जाते हैं। फिर आप उनके लिए योग्यतायें क्यों नहीं निर्धारित करते हैं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : इस में एक कठिनाई है। उदाहरण के लिए रेलवे के जनरल मैनेजरों को ले लीजिए। वे सामान्यतः प्रविधिक योग्यता वाले होते हैं। रेलवे संगठन ऐसा है कि प्रविधिक व्यक्ति को ही उसका पर्यवेक्षण करना पड़ता है। जनरल मैनेजरों को हजारों कर्मशालाओं और कर्मचारियों दोनों की ही देखभाल करनी होती है। हमने देखा है कि हमारे सरकारी उद्योग क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रमों में रेलवे अधिकारी बड़े अच्छे सिद्ध हुए हैं। मैंने रेलवे के आधा दर्जन प्रविधिक योग्यता वाले अधिकारी लिए हैं फिर भी वे प्रशासकीय क्षेत्र में अत्यन्त योग्य सिद्ध हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में हमें अनेक अनेक बातों का विचार करना होता है।

मैं लोक तथा असार्वजनिक समवायों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि श्री हीरेन मुकर्जी तथा कुछ अन्य मित्रों ने गत एक या दो वर्षों में असार्वजनिक समवायों में विनियोजनों के जो आंकड़े दिए हैं वे सर्वथा ठीक नहीं हैं। सरकारी समवायों का १९५६–५७ का विनियोजन ५३.७ करोड़ रुपए है, १९५७–५८ का २३८.८ करोड़ रुपए और १९५८–५९ का ४०५.१ करोड़ रुपए अनेक सरकारी समवाय, केन्द्रीम तथा राज्यों के, क्षेत्र में आ गए हैं। जहां तक गैर-सरकारी समवायों का सम्बन्ध है मैं सभा के समय की बचत की दृष्टि से केवल १९५८–५९ के विनियोजन के आंकड़े दूंगा। १९५८–५९ में गैर सरकारी समवायों में विनियोजन की राशि ३२०.६ करोड़ रुपए है जब कि सरकारी समवायों में विनियोजन की राशि ४०५.१

†मूल अंग्रेजी में।

करोड़ रुपए है। यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि असार्वजनिक सीमित समवायों के अन्तर्गत कुछ सरकारी समवाय भी पंजीबद्ध हैं। इस लिए इसमें कुछ अस्पष्टता है। मैंने यह आंकड़े इस लिए दिए हैं कि कुछ पत्रों में असार्वजनिक समवायों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है वे वास्तव में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के ही समवाय नहीं हैं वरन् सरकारी उद्योग क्षेत्र के समवाय भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस अस्पष्टपता को दूर करने के लिए आप 'प्राईवेट कम्पनी (गवर्नमेंट) लिमिटेड' क्यों नहीं कहते हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पहले हम 'गवर्नमेंट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी' कहा करते थे। परन्तु उसमें भी अस्पष्टता रह जाती थी। इसलिए हमने सभा पटल पर एक अधिसूचना रखी है जिसके द्वारा हम प्रत्येक सरकारी समवाय से 'प्राईवेट' शब्द निकाल देना चाहते हैं।

सोल सेलिंग एजटों के विषय पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि उसके सम्बन्ध में खण्डों पर विचार के समय फिर चर्चा होगी। इसलिए उसको मैं अभी छोड़ देता हूं।

श्री मसानी इस विधेयक में रखेगए विशेष लेखापरीक्षण के उपबन्ध से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का दिमाग खराब हो गया है। कम से कम मैं तो होश में हूं और आशा करता हूं कि विभाग के अधिकारी भी सर्वथा ठीक हैं। श्री मसानी जानते हैं कि यह नया उपबन्ध है जो संयुक्त समिति में रखा गया था। मैंने इस संशोधन पर भली प्रकार विचार किया है और मैं समझता हूं कि देश में समवायों की साख बनाए रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में मेरे लिए उन मिलों का निर्देश करना आवश्यक नहीं है जो पिछले दो वर्षों में बन्द हो गए हैं। उनके सम्बन्ध में केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा ही नहीं वरन् एक समिति द्वारा भी जांच की गई है जिसमें एक सरकारी अधिकारी, एक स्वतंत्र व्यक्ति और एक उद्योग का प्रतिनिधि था और मेरे पास उनका सर्वसम्मत प्रतिवेदन है जिसमें यह कहा गया है कि मिलों के बन्द होने का कारण कुप्रबन्ध और जालसाजी है। किसी एक मामले में ही ऐसा नहीं है वरन् हमने अनेक मामलों में ऐसा पाया है कि प्रबन्ध की खराबी के कारण समवाय बन्द हो गए तथा परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई तथा बहुत से लोग रोजगार से वंचित हो गए। अतः ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए।

हम जानते हैं कि एक समवाय के संचालन में गड़बड़ी है परन्तु फिर भी हमें चप बैठे रहना पड़ता है और हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि मिल अथवा कारखाना बन्द हो जाये। मैंने महसूस किया कि वर्तमान स्थिति में सुधार के लिये यह आवश्यक है कि किसी प्रकार के विशेष लेखापरीक्षण का उपबन्ध किया जाय। मेरा विचार है कि यह उपबन्ध व्यापार संस्था अथवा उद्योग के हित में है क्योंकि यदि हम स्थिति खराब होने के समय ही हस्तक्षेप कर सकें तो उससे उद्योग का भला होगा और कर्मचारियों तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा भी होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक है।

श्री मसानी ने कहा कि वह कुछ परिमाण रखना चाहते हैं जिनमें से एक यह होना चाहिये कि जांच किये जाने के पूर्व हमें आरोपों की पूर्व सूचना देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा करना सरल नहीं होगा क्योंकि कभी कभी आरोप बड़ी गम्भीर प्रकृति के होते हैं और यदि वे उन्हें बता दिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बह दुर शास्त्री]

जायेंगे तो दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जायेगा अथवा हटा दिया जायेगा और वह जांच व्यर्थ जायेगी। अत: ऐसी परिस्थितियों में वैसा कदम उठाना वांछनीय नहीं होगा परन्तु सामान्यत: हमारी नीति संबंधित पक्षों से आरोपों के संबंध में उत्तर मांगने की है और यदि उनके उत्तर से विभाग को सन्तोष हो जाता है तो उसके संबंध में विभाग कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करता है। परन्तु यदि उत्तर सन्तोषजनक नहीं होता है तो अभी भी निरीक्षकों द्वारा जांच की जाती है। इस प्रकार का विशेष लेखापरीक्षण निरीक्षकों के लेखापरीक्षण से अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होगा। यह ठीक है कि हमें बहुत से समवायों के संबंध में जांच नहीं करनी चाहिये। सर्वोत्तम मार्ग यह है कि दो तीन समवायों को छांट लिया जाय जिनकी स्थिति वास्तव में बहुत खराब हो और समवाय विधि प्रशासन विभाग के पास कोई निश्चित प्रमाण हो जिसके आधार पर वह जांच आवश्यक समझता हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही में अन्य उद्योग स्वयं अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का संबंधित पक्षों को दिये जाने का प्रश्न है, उसमें भी उसी प्रकार के खतरे का सामना करना होगा। यदि छोटी मोटी गलतियां अथवा अनियमिततायें हैं तो समवाय को निश्चय ही सूचित किया जा सकता है। परन्तु जहां बड़े आरोप हों और व प्रथम दृष्टि में ही ठीक मालूम होते हों तो प्रतिवेदन की प्रति समवाय को देना वांछनीय नहीं होगा। वह मामला न्यायालय में पेश किया जायेगा और संबंधित पक्ष न्यायालय में मुकदमा लड़ने का हकदार होगा। हमने यह उपबन्ध भी रखा है कि यदि विभाग प्रतिवेदन पेश किये जाने के बाद चार महीने के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उस प्रतिवेदन की प्रति उद्योग, मिल अथवा व्यापार संस्था को दे दी जायेगी और उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का प्रत्येक अवसर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैंने समवायों की जांच के लिये एक विशेष दल रखने का जो सुझाव दिया था उसके संबंध में माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि श्री माथुर के सुझाव से और भी जटिलतायें उत्पन्न होंगी। यदि हम इस सुझाव को स्वीकार कर लें तो उससे वास्तव में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी क्योंकि बहुत से समवाय ऐसे हैं जो इस समय बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और जिनका प्रबन्ध ठीक है। यदि एक दल नियमित रूप से उनकी जांच करने जाता है तो मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं होगा वरन् जो समवाय ठीक चल रहे हैं वे उसका विरोध ही करेंगे। इसलिये ऐसा करना उचित नहीं होगा।

श्री मसानी ने कहा कि समवाय विधि मंत्रणा आयोग द्वारा धारा ४०८ और ४०९ के अन्तर्गत जिन शिकायतों पर विचार किया जाता था उनमें से कुछ को हमने कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि परिसीमित समवायों से इन शक्तियों का ले लिया जाना ठीक नहीं है। मेरे विचार से श्री मसानी द्वारा इस प्रकार की आलोचना की जानी उचित नहीं है क्योंकि वे संयुक्त समिति के सदस्य रहे हैं। उन्हें याद होगा कि इस मामले पर संयुक्त समिति में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी और हमने यह स्वीकार किया था कि विभाग द्वारा केवल साधारण प्रकृति के मामलों पर विचार किया जायेगा क्योंकि विभाग को सैकड़ों शिकायतें प्राप्त होती हैं और यदि प्रत्येक शिकायत को विभाग द्वारा बिना छानबीन के समवाय विधि मंत्रणा आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा तो उसका कार्य बहुत बढ़ जायेगा और वह आवश्यक कार्य की ओर ध्यान नहीं दे पायेगा। इसलिये हमने यह निर्णय किया कि साधारण प्रकृति की

†मूल अंग्रेजी में

शिकायतों पर विभाग द्वारा ही, बिना समवाय विधि मंत्रणा आयोग को निर्दिष्ट किये, विचार कर लिया जायेगा। फिर हमने यह उपबन्ध भी रखा है कि उन मामलों में भी विभाग द्वारा अन्तरिम आदेश ही जारी किये जायेंगे और अन्तिम आदेश समवाय विधि मंत्रणा आयोग से मंत्रणा किये जाने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि मजदूरों के लिये पूर्वाधिकार दावों की सीमा बढ़ाने के लिये धारा ५३० में संशोधन किया जाना चाहिये। उस उपधारा में लगभग सात पूर्वाधिकार दावे हैं। उन सात दावों में से पांच मजदूरों के लाभ के लिये हैं और शेष दो राज्यों के दावे हैं। इसलिये श्री रामसिंह भाई वर्मा के सुझाव को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : परन्तु मूल अधिकतम सीमा तो १००० रुपये थी और उसे बढ़ाया नहीं गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** श्री तंगामणि संयुक्त समिति में थे और उन्होंने अपना मत बड़े जोरदार शब्दों में व्यक्त किया था परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था। यदि माननीय सदस्य वसा चाहते हैं तो वह उस खंड पर विचार के समय पुनः इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा कि धारा २५० के अन्तर्गत सरकार को प्रदान की जाने वाली शक्तियां पहली बार में एक वर्ष के लिये सीमित कर दी जानी चाहिये और बाद में उन्हें न्यायालय के अनुमोदन से तीन वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकेगा। मैं नहीं जानता कि श्री भरूचा ने वैसा सुझाव क्यों दिया क्योंकि संयुक्त समिति में हमने यह निर्णय किया था कि जब सरकार आदेश जारी करेगी तो जहां तक अंशों के जड़ीकरण आदि का संबंध है, संबंधित पक्ष न्यायालय में अपील कर सकता है। हमने इस आशय का उपबन्ध कर दिया है और हमने इतना ही कहा है कि समवाय विधि विभाग के प्रतिनिधियों को सुने जाने का अवसर केवल न्यायालय दे सकेगा और न्यायालय जो कुछ भी निर्णय करेगा वह सरकार को स्वीकार्य होगा। इसलिये ऐसी परिस्थिति में एक वर्ष की छोटी सी अवधि निश्चित करना वांछनीय नहीं होगा। जहां तक गलत ढंग के अन्तर्समवाय विनियोजनों और अंशों के हस्तान्तरण का संबंध है हमें कड़ाई ही बरतनी चाहिये और ऐसी परिस्थिति में मैं उस अवधि को एक वर्ष के लिये सीमित कर देना वांछनीय नहीं समझता हूं।

श्री भरूचा ने प्रवर्तकों को भुगतान के संबंध में भी असन्तोष व्यक्त किया। मैं नहीं जानता कि उनका संकेत किस ओर था परन्तु यह सही है कि हाल में कुछ समवायों के मामलों में बहुत अधिक -अधि-प्रार्थन हुआ है। हमें जिस प्रश्न पर अभी विचार करना है वह यह है कि वे उस समवाय विशेष के प्रवर्तन कार्य के लिये प्रवर्तन शुल्क अथवा कमीशन की मांग भी करते आये हैं। विभाग ने इस मामले पर विचार किया था और हमने यह निर्णय किया है कि इन प्रार्थनापत्रों का निर्णय करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये और उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिये। वे सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हमें यह देखना चाहिये कि क्या प्रवर्तकों अथवा उनके संबंधियों अथवा अन्य मिलने वालों को समवाय अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत मैनेजिंग एजेंट अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है। मैनेजिंग एजेंटों के प्रबन्धाधीन समवायों के मामले में कुल प्रवर्तन व्यय परियोजना के ध्यानपूर्वक तैयार किये गये प्रतिवेदनों पर आधारित अनुमानित व्यय के १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रबन्धित समवायों के मामले में प्रवर्तन व्यय परियोजना के अनुमानित व्यय के २ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि प्रवर्तन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

व्यय इन सीमाओं के अन्दर भी हो तब भी सरकार को आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी मामले में अधिकतम सीमाओं का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिये जब तक कि प्रवर्तक तथ्यों और आंकड़ों द्वारा यह साबित न कर दें कि सीमा से अधिक व्यय समवाय के हित के लिये आवश्यक था।

इसलिये प्रारम्भ निस्सन्देह अच्छा है। अब हमें देखना है कि वह क्रियान्वित कब तक होता है। मैं यह और बता देना चाहता हूं कि यह निर्णय किया गया था कि पूंजी निर्गम नियंत्रक को उपर्युक्त मत की सूचना दी जानी चाहिये और उससे यह कहा जाना चाहिये कि भविष्य में ऐसे सब मामलों में विभाग से परामर्श करे।

हमने इसके बारे में वित्त मंत्रालय को भी लिखा था। अब यह निर्णय लगभग हो ही चुका है कि दस लाख रुपये या इससे अधिक पूंजी का कोई भी समवाय तब तक चालू नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पूंजी निर्गम नियंत्रक से उसकी अनुमति न ले ली जाये। और, पूंजी निर्गम नियंत्रक से यह तय कर लिया गया है कि वे ऐसे समवायों को अनुमति देने से पहले उनकी विवरण पत्रिकायें समवाय विधि प्रशासन के पास भेजकर उसकी राय ले ली जायेगी। तब कहीं पूंजी निर्गम की अनुमति दी जायेगी। लेकिन रोकथाम का यह काम तभी अच्छी तरह किया जा सकेगा जब विभिन्न सरकारी विभागों में सहकार्य हो। हमें इसके लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच और अधिक सहकार्य पैदा करना पड़ेगा।

श्री खाडिलकर ने कहा है कि बम्बई में कुछ समवाय चालू किये गये थे और उनके शेयरों के लिये अपेक्षित राशि से कहीं अधिक राशि जमा हो गई थी। यह तभी होता है जब समवायों को विदेशी सहयोग प्राप्त हो। लोग सोचते हैं कि विदेशी सहयोग है इसलिये समवाय का काम अच्छा चलेगा और मुनाफा भी काफी होगा। हम समझते हैं कि ऐसे मामलों के बारे में भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये। इसके बारे में वित्त मंत्रालय से बात चीत हुई है और हम कुछ निर्णय भी किया है। श्री खाडिलकर ने कहा है कि ऐसे कुछ समवायों को शुरू करने वालों ने शेयरों के प्रार्थनापत्रों के साथ भेजी जाने वाली राशि, असफल प्रार्थियों को काफी देर से लौटाई और उस राशि को अपनी आवश्यकताओं के लिये प्रयुक्त किया। मैं पहले बता चुका हूं कि इस के बारे में वित्त मंत्रालय से सलाह ली गई थी और उस ने हमें बताया था कि स्टाक एक्सचेंज डिवीजन स्टाक एक्सचेंजों की अपेक्षाओं की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में संशोधन करने की सोच रहा है, और साथ ही उससे सम्बन्धित संविहित नियमों में भी संशोधन किया जायेगा। जो भी समवाय स्टाक एक्सचेंज की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहे, उसे अपने शेयरों का आवंटन ३ महीने की अवधि में पूरा कर देना पड़ेगा। या फिर अपेक्षा से अत्यधिक संख्या में शेयरों के प्रार्थना-पत्र आ जाने पर सरकार से अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त कर लेनी होगी। सामान्यतया अवधि ३ महीने की ही रहेगी। आर्थिक कार्य विभाग प्रतिभूति संविदा विनियम नियम, १९५७ में संशोधन करने की सोच रहा है।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : यह तो अच्छा है। लेकिन क्या समवायों के प्रारम्भिक काल में कुछ वर्षों के लिये शेयरों के हस्तांतरण पर कोई रोक लगाई जा सकती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं अभी इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकता। माननीय सदस्य का सुझाव मान लेने पर, उस के अन्य कई उपलक्षण भी होंगे। इसलिये उसकी ठीक ढंग से परीक्षा करनी पड़ेगी।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं और उनके द्वारा प्रबन्धित समवायों के सम्बन्ध में कई नई बातें सामने आई। १० समवायों का प्रबन्ध संभालने वाले प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की संख्या हमारे यहां ७ से अधिक नहीं है, ९ समवायों का प्रबन्ध करने वाले प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की संख्या ६ है, ८ समवायों का प्रबन्ध करने वालों की संख्या २ है; और २ समवायों का प्रबन्ध करने वाले प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं की संख्या ६५ है। एक समवाय का प्रबन्ध संभालने वाले प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की संख्या ७७६ है, अर्थात उनकी कुल संख्या की ८४.३ प्रतिशत। इससे पता चलता है कि सम्पदा और शक्ति का विकेन्द्रीकरण किस तरह हो रहा है।

लगभग सभी सदस्यों ने समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों के बारे में कुछ न कुछ कहा है। समझ में नहीं आता कि इस पर इतना विवाद क्यों उठ खड़ा हुआ है। यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि यह धारा पहले से मौजूद थी, और हमने तो केवल इतना किया है कि एक ऐसी व्यवस्था उस में जोड़ दी है जो सभा के अधिकांश सदस्यों को स्वीकार्य हो। हमने केवल यही नयी बात उस में जोड़ी है कि समवायों को अपने ऐसे चन्दे लेखों में प्रकाशति करने चाहिये। फिर भी इसका काफी विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में एक गैर-सरकारी विधेयक भी रखा गया था, कुछ संकल्प भी रखे गये थे, फिर भी विवाद चल ही रहा है।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि समवाय कोई जीवित व्यक्ति तो होते नहीं, और उन के पास न अंतःकरण होता है और न सोचने-विचारने की क्षमता। मैं नहीं कह सकता कि उन की बात कहां तक ठीक है। मेरा अपना ख्याल है कि समवाय काफी जीवित होते हैं और उन में शक्ति भी होती है। समवाय काफी बड़े-बड़े काम करते हैं। वे केवल अपनी व्यावसायिक संस्थाओं को नहीं चलाते, वे साथ में अन्य समवायों में विनियोजन भी करते हैं, अपने कारखानों का प्रसार करते हैं और नये उद्योग भी खड़े करते हैं। इस तरह वे काफी जीवित होते हैं, और उन की अपनी भावनायें भी होती हैं। वे जब और बड़े-बड़े काम करते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते, लेकिन वे जब किसी राजनीतिक दल को चन्दा देते हैं अपने शेयरधारियों की अनुमति से तब आप कहने लगते हैं कि समवायों के पास उन का अपना अन्तःकरण नहीं होता, उन में जीवन नहीं होता। यह कैसे माना जा सकता है? मैं तो समझता हूं कि उद्योगपति लोग राजनीतिक विषयों के बारे में संसद्-सदस्यों से कुछ कम विचार नहीं करते। उन के अपने राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं और यदि वे अपने समवायों के शेयरधारियों की आम सभा बुलाकर, उनकी राय से कुछ राजनीतिक दलों को चन्दा देने का निर्णय करते हैं, तो उस से हमें कोई चिन्ता क्यों हो? मुझे तो लगा कि श्री मसानी ने वास्तव में एक सिद्धान्त के रूप में इसे मान लिया है।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : जी, नहीं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : एक तरह से मान ही लिया है। मैं ने जब उन से पूछा कि असल में समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जब ज्ञापन या संस्था के नियमों को बदला जाता है। तो शेयरधारी उस का पूरा महत्व नहीं समझ पाते, इसलिये उसे बीचों बीच में, इतने काल के बाद नहीं बदला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

जाना चाहिये । इस पर मैंने उन से पूछा था कि मान लीजिये कि ज्ञापन या संस्था के नियमों में शुरू से यह व्यवस्था है, इस पर उन्होंने कहा था कि तब उस की पूरी जिम्मेदारी शेयरधारियों पर ही होगी ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैंने सिर्फ यही कहा था कि उस सूरत में शेयरधारियों को कोई शिकायत नहीं रहेगी । लेकिन और भी कारण हैं जिन को देखकर यह अनुचित होगा कि उन को देश के राजनीतिक वातावरण को भ्रष्ट करने की अनुमति दी जाये । मैं ने इस सिद्धान्त को कभी नहीं माना । हां, इतना अवश्य कहा था कि तब शेयरधारियों को कोई शिकायत नहीं रहेगी ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: मैं अभी केवल इसी पहलू को लेना चाहता हूं । इस विषय में, इस से आगे मैं खण्डवार विचार के समय कहूंगा, क्योंकि उस समय सभी माननीय सदस्य अपना अपना दृष्टिकोण फिर से रखना चाहेंगे, या कहिये कि दोहराना चाहेंगे । इस सम्बन्ध में उस अवस्था पर ही मेरे लिये कुछ कहना ज्यादा अच्छा रहेगा ।

मैं संयुक्त समिति में ही कह चुका हूं कि समिति के सदस्य स्वयं अपने निर्णय करेंगे । अपने निर्णय करने का काम मैं उन पर ही छोड़ दूंगा । चूंकि समिति की कार्यवाही गुप्त नहीं होती, इसलिये मैं ने अपना मत नहीं डाला मेरे सहयोगी, श्री कानूनगो ने भी अपना मत नहीं दिया था । इसलिये कि मैं एक राजनीतिक दल विशेष का कार्यकर्त्ता हूं और मुझे एक विशिष्ट हित वाला व्यक्ति समझा जायेगा । इसी कारण, इस विषय में मेरी अपनी एक स्पष्ट राय होते हुए भी, मैंने उसे व्यक्त नहीं किया । लेकिन मैं इस विषय में न्यायाधीश तेन्दुलकर का एक उद्धारण आपके सामने रखता हूं । यह उद्धारण मैं इसलिये रख रहा हूं कि न्यायाधीश छागला का एक उद्धरण इस से पहले दिया जा चुका है । इसलिये एक दूसरे न्यायाधीश की राय जान लेना भी अच्छा रहेगा । न्यायाधीश तेन्दुलकर ने, अन्य कई बातों का हवाला देते हुए कहा है: "प्रत्यक्षतः, शेयरधारी स्वयं ही अपने हितों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और ऐसे मामलों में न्यायालय की ओर से कोई भी हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब न्यायालय को इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिल जाये कि शेयरधारियों की अल्प संख्या के साथ कोई ज्यादती की गई है ।" न्यायाधीश ने यह शब्द शायद टाटाज समवाय के उस मुकदमे के बारे में कहे थे, जिसमें आरोप था कि उन्होंने ज्ञापन में रद्दोबदल करने की मंजूरी के लिये एक संकल्प पारित कराया था, जो निर्विरोध रूप से पारित हुआ था । इस के बाद, न्यायाधीश तेन्दुलकर ने बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में यह कहा था: "आज भारत में जैसा लोकतांत्रिक राज्य है, ऐसे बालिग मताधिकार प्राप्त राज्य में, किसी राजनीतिक दल को चन्दे के रूप में दी जाने वाली राशियों को गुप्त न रखा जाये, उन को प्रकाशित किया जाये, यही अपेक्षित है; और मुझे लगता है कि इस पर यही एक विनियम लागू होना चाहिये । और, कम्पनी की ओर से उपस्थित होने वाले श्री सीरवाई ने तो इस बात को स्वीकार किया ही है कि चन्दों का ऐसा प्रकाशन काफी ठीक रहेगा, साथ ही याचिकाकारों ने भी यह वचन दिया है कि ज्ञापन में की गई रद्दोबदल की परिपुष्टि हो जाने पर वे हर वर्ष अपने लाभ हानि के लेखे में राजनीतिक दलों को प्रयत्क्ष या परोक्ष रूप में दिये जाने वाले प्रत्येक चन्दे की राशि अलग से दिखाया करेंगे । यदि कम्पनी ने चन्दे की राशि को प्रकाशित करने के इस दायित्व को स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर न लिया होता, तो मैं उसे परिपुष्टि के लिये एक शर्त के रूप में रख देता; हां यदि इस ज्ञापन की रद्दोबदल की परिपुष्टि न करने का कोई और उचित कारण न होता । लेकिन इस बात के अतिरिक्त भी," (उनके शब्दों पर ध्यान दीजिये) "मैं यह मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं कि राजनीतिक दलों को दान या चन्दा देने की शक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

मात्र ही देश के राजनीतिक जीवन को इतना भ्रष्ट बना सकती है, लोक-जीवन को इतनी हानि पहुंचा सकती है कि उसे लोक नीति के विरुद्ध कहा जाये ।" न्यायाधीश तेन्दुलकर ने अन्य देशों का, विशेषकर अमरीका का, हवाला देते हुए कहा था : "विधि के अनुसार, अन्य चन्दों की राशियों को अनिवार्यतः प्रकाशित करना पड़ता है, शायद इस आधार पर कि जनता को मालूम हो जाये कि उन के राजनीकि दलों का खर्च कौन उठा रहा है, जिससे कि वह स्वयं निर्णय कर सके कि वह अपनी ऐसी निर्भरता के लिये कोई कीमत अदा कर रही है या नहीं । १६४० के एक अधिनियम के जरिये ऐसे प्रत्येक चन्दे के लिये ५०० डालर की एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी ।

"१६४६ में प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स) की एक प्रवर समिति, जो बुकानन समिति के नाम से प्रसिद्ध है, ने बाद में जांच करके पता लगाया कि इस विनियम विशेष का काफी व्यापक रूप से उल्लंघन किया जाता है । इंगलैंड में राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों को विनियमित करने के जो कई प्रयास किये गये, उनमें से एक लेबर पार्टी द्वारा प्रणीत एक संकल्प था जो १६४६ में पार्लियामेन्ट ने पारित किया था । उस में सिफारिश की गई थी कि सभी राजनीतिक दलों को अपने लेखे प्रकाशित करने चाहियें, लेकिन अभी तक कम से कम कन्जरवेटिवों ने तो उस पर अमल नहीं किया ।"

न्यायाधीश तेन्दुलकर ने अमरीका और इंगलैण्ड के बारे में यही कहा था । यह एक न्यायाधीश की राय है । उन की राय स्पष्ट है । मुझे तो एक न्यायाधीश के इस सुझाव को देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे चन्दों का मामला उच्च-न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिये और उच्च-न्यायालय यह निर्धारित करे कि किस दल का कितनी राशि दी जाये । बड़ा विचित्र सा सुझाव है । मैं तो समझता हूं कि सभा का कोई भी सदस्य इतने ऊंचे स्तर के एक न्यायिक निकाय को ऐसे मामलों में जाना पसंद नहीं करेगा ।

यह बात एक न्यायाधीश ने कही थी । हर प्रश्न के दो पहलू होते हैं । उन के बारे में लोगों की अलग अलग रायें होती हैं । मैं अपनी राय आज व्यक्त नहीं करना चाहता । कुछ और भी सुझाव आये हैं । उन सभी पर खण्डवार विचार की अवस्था पर विचार किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १६५६ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकहत्तरवां प्रतिवदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १६ नवम्बर, १६६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १६ नवम्बर, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा नौवहन के लक्ष्य के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह द्वारा ३ सितम्बर, १९६० को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम शिपिंग मिनिस्टर श्री राज बहादुर जी और शिपिंग के डाइरेक्टर जनरल श्री नागेन्द्र सिंह जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष रिकार्ड कायम किया है जहां तक कि शिपिंग के टनेज का सम्बन्ध है । इस वर्ष उन्होंने १९ जहाज करीब १,४२,००० टन के हिन्दुस्तान की जहाजरानी में और जोड़ दिए हैं । इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हम केवल पंचवर्षीय योजना के टारजेट (लक्ष्य) को ही पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा हम करेंगे । यह सब से बड़ी बात इस साल हुई है ।

१९५४ में पहले पहल शिपिंग (नौवहन) के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया था और आज करीब ६ वर्ष के पश्चात् सन् १९६० में पुनः इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हैं । उस के दो तीन कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि यह सब से अच्छा समय है कि हम शिपिंग की उन्नति की ओर ध्यान दें, दूसरा कारण यह है कि नेशनल शिपिंग बोर्ड ने, जिसकी स्थापना इस संसद् के कानून के अनुसार हुई है, यह प्रस्ताव पास किया है कि कम से कम ५ लाख टन तीन वर्षों में होना चाहिए । तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि शिपिंग का टनेज शीघ्रातिशीघ्र से अधिक अधिक होना चाहिए । कांग्रेस पार्टी का यह प्रस्ताव है और कांग्रेस की ही यह सरकार है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ।

पहली योजना में शिपिंग के वास्ते २६ करोड़ रुपया दिया गया था । और २,९०,००० टन हमने ऐड किया । दूसरी योजना में ५४ करोड़ रुपया दिया गया और ३,२५,००० टन शिपिंग में ऐडीशन हुआ, तीसरी योजना में शिपिंग के वास्ते ५५ करोड़ रुपया दिया गया है जिस से १,९०,००० टन ऐडीशन होगा । आप चूंकि मैरीटाइम स्टेट के रहने वाले हैं इसलिए आप इस बात में विशेष दिलचस्पी रखते होंगे । आप देखें कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जितना टारजेट रखा गया उस से कम तीसरी योजना में रखा गया जब कि तीसरी योजना के काल में हमारी ट्रेड ६० पर सेंट ज्यादा होने वाली है । मेरा कहना है कि जब हमारी ट्रेड ६० पर सेंट बढ़ने वाली है तो हमारा शिपिंग भी ६० पर सेंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने शिपिंग बोर्ड बनाया है, और आप हमेशा हाउस में कहते हैं कि हम एक्सपर्ट की ओपीनियन मानते हैं। ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं मालूम होता कि आप नेशनल शिपिंग बोर्ड का सुझाव क्यों न स्वीकार करें। नेशनल शिपिंग प्लानिंग कमेटी ने तीसरी योजना के लिए १६ लाख टन का टारजेट रखा था, यानी वह ६ लाख टन और ऐड करना चाहता था। शिपिंग बोर्ड के सामने जब यह सुझाव गया तो उस ने १४,२२,००० टन का टारजेट रखा यानी वह ५,२० टन और ऐड करना चाहता था, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात गयी तो उन्होंने ११ लाख टन का टारजेट रखा यानी वह १,६०,००० टन का ऐडीशन करना चाहते हैं। अगर हम इस नीति पर चलेंगे तो हमारा भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। आप देखें कि इजराइल जो एक छोटा सा देश है, उसने १० लाख टन का अपना टारजेट रखा है, तैवान यानी फारमोसा ने, जो कि एक छोटा सा टापू है, सात हजार टन प्रतिवर्ष का अपना टारजेट रखा है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने दो शिपिंग कारपोरेशन बनाए हैं, प्लान इसलामिक शिपिंग कारपोरेशन और आरिएंटल शिपिंग कारपोरेशन, जिनके हैड आफिस कराची में हैं। अगर हम शिपिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो पाकिस्तान हम से शिपिंग में ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप पाकिस्तान की एअर फोर्स को देखें, वह हम से ज्यादा नहीं है तो हमारे बराबर तो आ गयी है।

आप देखें कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पेज ३६ पर यह कहा गया है कि यह लक्ष्य अपर्याप्त है और इसकी आगे चलकर परीक्षा की जायेगी। इसका मतलब है कि हमारा शिपिंग का टारजेट बहुत कम है। जिस वक्त यह ड्राफ्ट बना था उस वक्त हमारे सामने अमरीका के गेहूं का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आज अमरीका के गेहूं का सवाल है, इसलिए हमको अपना टारजेट कम से कम उतना तो रखना ही चाहिए जितना कि शिपिंग बोर्ड का सुझाव है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शिपिंग बोर्ड रखने का क्या फायदा। बोर्ड को तोड़ दीजिए, डाइरेक्टर जनरल आफ शिपिंग को हटा दीजिए और जो काम आपके मन में आवे कीजिए, आपको न एक्सपर्ट की जरूरत है और न बोर्ड की जरूरत है। लेकिन अगर आप ने नेशनल शिपिंग बोर्ड बनाया है तो आपको उस के सुझाव को मानना चाहिए और अगर नहीं मानते हैं तो उसका कारण देना चाहिए कि आप उसके सुझाव को क्यों नहीं मानते। लेकिन इसका कोई कारण नहीं दिया गया है।

मैं बम्बई पोर्ट को लेता हूं। बम्बई पोर्ट में जो कारगो आता है उस में आप देखें कि हमारा परसेंटेज क्या है। बम्बई पोर्ट में जो कारगो आते-जाते हैं तो विभिन्न देशों के कारगो का परसेंटेज जो आया है उसके मुताबिक इंडिया ६—५ परसेंट है, य० के० २६ परसेंट है, नार्वे १४ परसेंट है, अमरीका १०—४ परसेंट है, पनामा ६—६ परसेंट है और लाइबेरिया ६—६ परसेंट है। इस से जाहिर होता है कि हमारे मुकाबले में हम से कहीं छोटे छोटे देशों के कारगो का परसेंटेज हम से काफी बढ़ा चढ़ा हुआ है। अपने देश में ही अपने घर में ही बम्बई पोर्ट में हमारा परसेंटेज केवल ६—५ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। अब और ज्यादा सोते रहने का वक्त नहीं है और उनको निद्रा का त्याग कर के उठ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि अगर आप अब भी नहीं जागे तो इस में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान ही नहीं अन्य छोटे-छोटे मुल्क भी इस सम्बन्ध में आप से आगे हो जायेंगे।

[श्री रघुनाथ सिंह]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने शिपिंग के वास्ते ५५ करोड़ रूपया रक्खा है और पोर्ट के वास्ते ८५ करोड़ रुपया रक्खा है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिस जहाज से आपको आमदनी होने वाली है उस में तो आपने केवल ५५ करोड़ रक्खा है और जिस से कि कोई आमदनी होने वाली नहीं है उस के वास्ते ८५ करोड़ आपने क्यों रक्खा । यह पोर्ट हारबर से फायदा किस को होगा ? फारेन शिपर्स का उस से फायदा होने वाला है क्योंकि हमारी ट्रेड है ही कितनी । हमारा व्यापार संसार के व्यापार का केवल ५ प्रतिशत है । ओवरसीज ट्रेड हमारी ५ पर सेंट है तो हम इस में गेन कितना करेंगे ? विदेशी राष्ट्र जो कि हिन्दुस्तान के साथ व्यापार कर के ९५ परसेंट फायदा करते हैं उन के वास्ते हमने यह ८५ करोड़ रुपया रक्खा है । पोर्ट हारबर अच्छा रहेगा तो उनको लोडिंग अनलोडिंग में बड़ा सुभीता होगा और उन को वेट नहीं करना पड़ेगा । लेकिन जिस जहाज से कि आपको पैसा मिलने वाला है, आमदनी मिलने वाली है । उसके लिए आपने बहुत कम पैसा रक्खा है . . .

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : अंग्रेजी में बोलिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : अब तो मैं ने हिन्दी में शुरू कर दिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर अंग्रेजी में बोल सकें तो अच्छा है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : ठीक है, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं ।

नौवहन के विकास के लिये हमें विदेशों से कोई सहायता नहीं मिल रही है । दूसरे देश यह नहीं चाहते कि हमारे नौवहन का विकास हो, क्योंकि उस से उन के व्यापार को धक्का लगेगा । वे हमारे पत्तनों और बन्दरगाहों के विकास के लिये ऋण देने को इसलिये तैयार हैं कि उस से उन को लाभ होगा ।

जहाज बनाने के कारखाने, नौप्रांगण की यह हालत है कि जहां सारे संसार के जहाजों में ९० लाख जी० आर० टी० (शुद्ध पंजीबद्ध टनभार) की वृद्धि हुई है, वहां हमारे देश में हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने केवल १६,१४५ जी० आर० टी० एक जहाज तैयार किया है । योजना में जहाज बनाने के कारखानों के लिये कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । न तीसरी योजना में दोनों शिपयार्डों के लिये कोई राशि ही आवंटित की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कल बताया था कि दूसरा शिपयार्ड बनने वाला है ।

†श्री राज बहादुर : उसे उद्योगों की श्रेणी 'ग' में सम्मिलित किया गया है । श्रेणी 'ग' में वे उद्योग हैं जिन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध अभी करना बाकी है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : उस का कोई भी लक्ष्य क्यों निर्धारित नहीं किया गया? उस के लिये राशि क्यों आवंटित नहीं की गई ? इन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड हर वर्ष २।। से ३ तक जहाज तैयार करता है, जब कि कैसर शिपयार्ड ने ४ दिन और १५ घंटे में एक जहाज तैयार कर दिया था । दूसरी ओर हमारा विजगापट्टम शिपयार्ड वैसे ही जहाज ५ महीने में तैयार करता है ।

†मूल अंग्रेजी में

उस शिपयार्ड पर हम ने अभी तक कुल ५४७ लाख रुपये खर्च किये हैं, जब कि पिछले दस वर्ष में हम ने जहाज खरीदने के लिये विदेशी नौवहन समवायों को ५० करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। ५० करोड़ रुपये की राशि से अपने देश में कई शिपयार्ड खड़े किये जा सकते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का क्या उत्तर है ?

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि विदेशी नौवहन समवायों को जब जहाज खरीदने के लिये हमने इतनी राशि दी है, तो उस का आधा भाग भी अपने ही शिपयार्डों पर क्यों खर्च नहीं किया गया ? हम ने अपने ही देश में जहाज निर्माण का प्रयास क्यों नहीं किया ? क्या हमारे देश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो पत्तनों का विकास तो चाहते हैं पर जहाज-निर्माण उद्योग को पनपने नहीं देना चाहते ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं अपना उत्तर देते समय इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पिछली बार, खाद्यान्नों संबंधी वाद-विवाद के समय कहा गया था कि कुछ पुराने जहाज खरीद लिये जायें। सरकार ने अमरीका से खाद्यान्न लाने के लिये संसार भर की फर्मों से टेंडर मांगे थे। पिछली बार बताया भी गया था कि अमरीका से गेहूं लाने के लिये टी--२ टैंकर लिया जा रहा है। लेकिन बाद में, अमरीका से गेहूं लाने के लिये ८० करोड़ रुपये खर्च किये गये। उस में से भारत को कुल ५ करोड़ रुपये ही मिले। अमरीका अपने देश से हमारे यहां गेहूं भेजने के लिये हमसे १० डालर प्रति टन खर्च ले रहा है, और अपने नौवहन समवायों को अपनी ओर से १५ डालर प्रति टन दे रहा है। अमरीका इस प्रकार अपने नौवहन समवायों को सहायता कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार देश के नौवहन समवायों को क्या सहायता दे रही है ?

अमरीका से गेहूं लाने के लिये हमारी सरकार भारतीय नौवहन समवायों को सहायता नहीं दे सकती। इसलिये कि मान लीजिये यदि हमारी सरकार भारतीय नौवहन समवायों को ३ डालर प्रति टन की सहायता देगी, तो अमरीका हम से १३ डालर में १५ डालर प्रति टन जोड़ कर कुल २८ डालर प्रति टन व्यय लेने लगेगा। लेकिन भारतीय नौवहन समवायों की सहायता करने का एक दूसरा रास्ता है। हमारी सरकार भारतीय नौवहन समवायों के समुद्रीय मीलों के आधार पर आर्थिक सहायता दे सकती है। अन्य देश इस आधार पर अपने देश के नौवहन समवायों को आर्थिक सहायता देते हैं। और तभी हमारे नौवहन समवाय अन्य देशों के नौवहन समवायों से प्रतियोगिता कर सकेंगे। फ्रांस अपने नौवहन समवायों को ऐसी सहायता देता है। हमारी सरकार को भी प्रति समुद्रीय मील ०.०२५ सेंट की आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

हम अमरीका से खाद्यान्न लाने के लिये जहाज भाड़े के रूप में ८० करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। उस राशि को बचाने के लिये, हम खाद्यान्न लाने के लिये निजि नौवहन समवायों से किराये पर जहाज ले सकते हैं। अभी इस समय संसार में ६० लाख टन की क्षमता के जहाज बेकार पड़े हैं। हम उन को सस्ती दर पर किराये से लेकर भारतीय नौवहन समवायों को दे सकते हैं। इस तरह हम विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं।

हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर बड़ा दबाव पड़ यहा है। १९६०--६१ के आय-व्ययक में हमारे कुल राजस्व की राशि की लगभग चार गुनी राशि विदेशी ऋणों की है। हमें, ४,०२३ करोड़ रुपयों के विदेशी ऋणों पर १०० करोड़ रुपये ब्याज के रूप में अदा करने पड़ते हैं। निर्यात के मुकाबले, हमारे आयात ४०० करोड़ रुपये अधिक के बैठते हैं। २०० करोड़ रुपये हम विदेशी समवायों को जहाज-भाड़े के रूप में अदा कर रहे हैं। कुल मिला कर हम विदेशों को ७००

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रघुनाथ सिंह]

करोड़ रुपये अदा कर रहे हैं, जब कि हमारा कुल राजस्व ९८८ करोड़ रुपये का है। ऐसी दशा में हमारा देश कैसे विकास कर सकेगा ? विदेशों को अदा किये जाने वाले ७०० करोड़ रुपयों का ३० प्रतिशत भाग विदेशी नौवहन समवायों को दिया जा रहा है ।

१९५९–६० के पहले छः महीनों में हमारा आयात ४७३.१ करोड़ और हमारा निर्यात २८५.८ करोड़ रुपये का था । एक मोटे तौर पर पूरे एक वर्ष में ४०० करोड़ रुपये का अन्तर हुआ दोनों के बीच । यदि हम भारतीय नौवहन का विकास कर लें, तो कम से कम ३० प्रतिशत व्यय की तो बचत की ही जा सकती है ।

लेकिन, भारतीय नौवहन के विकास के लिये धन कहां से आयेगा ? १६ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा तो हमारे नौवहन समवायों की आय है । १६२ करोड़ रुपये सीमा शुल्कों से मिलते हैं । लेकिन इतनी आय होने पर भी हम अपने नौवहन पर केवल ११ करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं । दूसरी ओर डाक तार विभाग तथा रेलवे से कुल आमदनी १०.२ करोड़ रुपये होने पर भी, उन पर कहीं अधिक खर्च किया जाता है । नौवहन उद्योग में हमारा कुल विनियोजन ११० से १२० करोड़ रुपये का है, लेकिन उस से हमें प्रति वर्ष १६८.६ करोड़ की आमदनी होती है । दूसरी ओर रेलवेज पर हमारा विनियोजन १५०० करोड़ रुपये का है ।

प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी, नौवहन का विकास अत्यावश्यक है । हम देश की प्रतिरक्षा पर अपने आय-व्ययक का लगभग ३५ प्रतिशत व्यय करते हैं ।

हमारे देश में १९५२ में जहाजों की कुल लदान २२० लाख टन और १९५६–५७ में ३७० लाख टन थी । अब तृतीय योजना का लक्ष्य उसे ४५० लाख टन तक बढ़ाने का है । अर्थात् उस में ६० प्रतिशत वृद्धि की जायेगी । समूचे संसार के समुद्रीय व्यापार में भारतीय नौवहन का भाग कुल १.५४ प्रतिशत है । उसे ६० प्रतिशत बढ़ाने पर, वह २.४ प्रतिशत हो जायेगा । यह बिल्कुल ही अपर्याप्त है ।

हमारे यहां केवल लदान के माल लादने के जहाज हैं । हमारे पास न अच्छे यात्री जहाज हैं और न तेल वाहक जहाजों का कोई बेड़ा । भारतीय तेल-परिस्करिणियां भी भारतीय तैल-वाहक जहाजों का उपयोग नहीं करती ।

संसार के नौवहन में, तेल-वाहक जहाजों का भाग ३० प्रतिशत है । हमारे देश में भी उन का वही अनुपात रखना चाहिये ।

अन्त में, मुझे यही कहना है कि संसार में केवल उन देशों ने ही तरक्की की है और अपने को बड़ा बनाया है, जिन्हों ने अपने नौवहन को विकसित किया है । जर्मनी, इटली, जापान और अमरीका के उदाहरण हमारे सामने हैं ।

फ्रांस और इंगलैंड इसीलिये प्रथम श्रेणी से गिर कर द्वितीय श्रेणी के देश बन गये हैं कि वे नौवहन के मामलों में अन्य देशों से पिछड़ गये हैं ।

यदि हम अपने देश को महान् बनाना चाहते हैं तो हमें अपने नौवहन को काफी विकसित करना और शक्तिशाली बनाना चाहिये । भारतीय करदाताओं का रुपया विदेशी नौवहन समवायों की जेब में नहीं जाना चाहिये । इस संकल्प में इसी भावना को व्यक्त किया गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्रीमती इला पालचौधरी (नवदीप) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करती हूं ।

†डा० सामन्त सिंहार (भुवनेश्वर) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि ५ लाख टन भार और जोड़ दिया जाये । उस के लिये १०४ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया है । यह समझ में नहीं आता कि योजना आयोग ने नौवहन सम्बन्धी हर चीज में काट छांट क्यों कर दी है । योजना की रूप रेखा के मसौदे में इस विषय पर एक संक्षिप्त सा पैरा ही है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भारत जैसे निर्धन देश के लिये ऐसे उपक्रमों में ही धन लगाना चाहिये जो कि उत्पादनशील हों । नौवहन सभी उपक्रमों में अधिक उत्पादनशील है । इस से विदेशी विनिमय काफी मात्रा में अर्जित किया जा सकता है । एक जहाज खरीदने में जो कुछ देना होता है उसे सात वर्षों से कम में ही भुगताया जा सकता है । हमारे भारतीय नौवहन समवायों ने इस दिशा में बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर के अपनी श्रेठता सिद्ध कर दी है । यदि नौवहन का विकास किया जाना है तो यह कार्य दोनों ही क्षेत्रों में किया जाना चाहिये । नौवहन के विस्तार से जहां देश की समृद्धि में वृद्धि होती है वहां देश का गौरव भी बढ़ता है । पुराने समय भी भारतीय जहाज दूर दूर तक विदेशों में जाते थे । इस साधन द्वारा ही हमारे देश की वीरता तथा संस्कृति की धाक विदेशों में जम सकी थी । हमें अपने पत्तनों का विकास करना चाहिये उस से हमें ही लाभ पहुंचेगा । केवल कलकत्ता पत्तन द्वारा जो भी विदेशी विनिमय हम प्राप्त करते हैं वह हमारे सारे विदेशी विनिमय का ५० प्रतिशत के लगभग होता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि हाल्दा तथा कलकत्ता पत्तनों के विकास के लिये जितना भी धन व्यय किया जा सके वह करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से केवल भारतीय नौवहन का ही लाभ नहीं होगा बल्कि इस से बंगाल का भी लाभ होगा और सारे भारत का लाभ होगा ।

इस दिशा में एक बात और हमें याद रखनी चाहिये कि हम जो भी धन खर्च करें, उसके अतिरिक्त भी हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके काफी अंश को नाविकों के कल्याण एवं जहाजों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के कल्याण पर भी खर्च किया जाय । जहाज चलाने वाले लोगों के कल्याण की बात हमें नहीं भूलनी चाहिये । साथ ही यह भी बड़े खेद की बात है कि अनेक भारतीय नाविक पाकिस्तान में बेरोजगार कर दिये गये हैं और उनके स्थान पर पाकिस्तानी नाविकों को रखा गया है । हमें अपने नाविकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिये ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

आशा करनी चाहिये कि हमारे नौवहन का भविष्य काफी गौरवपूर्ण होगा । इससे देश के भाग्य और समृद्धि में काफी वृद्धि होगी ।

†डा० सामन्त सिंहार : यह बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे नौवहन की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया । हमारी अर्थ और प्रतिरक्षा व्यवस्था में नौवहन का बड़ा महत्व है । कृषि के बाद इसी का दर्जा है । पिछली दो योजनाओं में हमने देखा है कि कृषि और उद्योग को ही सामने रखा गया है । इन्हीं के लिये धन की भी विशेष व्यवस्था की गई है । अब

†मूल अंग्रेजी में

[डा० साम त सिंहार]

समय आ गया है कि जब योजना आयोग और मंत्रिमंडल को भारतीय नौवहन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण बात की ओर और अधिक उदासीन रहना ठीक नहीं।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : यह ठीक ही है कि नौवहन की ओर सरकार अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाई। निस्सन्देह हमारी अर्थ और प्रतिरक्षा व्यवस्था में नौवहन का बड़ा ही महत्व है। उस महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय नौवहन की मांगें बिल्कुल ही कम हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। सरकार २०० करोड़ रु० वार्षिक खर्च कर रही है जब कि उसके लिये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की यह मांग स्वीकार नहीं कि तीसरी योजना में १०० करोड़ इसके लिए और अधिक खर्चा किया जाय। अब तक देश में जहाज बनाने वाले दूसरे कारखाने की रूपरेखा तक भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाई है। पाकिस्तान इस दिशा में काफी प्रगति कर रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुंत अधिक दबाव भी पड़ता हो तो भी हमें इस दिशा में उदासीन नहीं रहना चाहिये। जल्दी ही देश में दूसरे शिपयार्ड की स्थापना का कार्य पूरा किया जाना चाहिये।

यह तो सर्वविदित है कि हमारे देश के जहाज सारी दुनिया में घमा करते थे। उस समय भारत एक समृद्ध राष्ट्र था और हमारी संस्कृति का सन्देश दूर दूर तक फैल रहा था। परन्तु अब हमारी स्थिति वह नहीं रही। अपने माल के लिये विदेशी जहाज़ों को किराये पर लेने के सम्बन्ध में सरकार ने जो कारण बताया है वह केवल आर्थिक लाभ की बात है। यह समझ में नहीं आता कि सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि भारतीय जहाजों को कुछ अधिक भाड़ा दे कर भी राष्ट्रीय नौवहन उद्योग को प्रोत्साहन देना अधिक अच्छा होगा। यह समय कि हम अपने नौवहन का अच्छे ढंग से विस्तार करें। योजना आयोग को यह अनुभव करना चाहिये कि वह एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन रही है। सरकार को संसार के बेकार खड़े जहाज़ों का लाभ उठाना चाहिये और उनको रियायती दरों पर किराये पर ले लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की ५ लाख टन के अतिरिक्त नौवहन के विकास की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये।

अंत में मैं श्री रघुनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा रखता हूं कि इसे स्वीकार कर सरकार नौवहन के विस्तार के कार्य को आगे बढ़ायगी।

सेठ अचल सिंह (आगरा) सभापति महोदय, हमारे साथी श्री रघुनाथ सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि थर्ड फाइव इयर प्लान में १०० करोड़ रुपये और ५ लाख टन जहाज की मंजूरी होनी चाहिए तो मैं उसका समर्थन करता हूं। जो हमारा थर्ड फाइव इयर प्लान है उसमें चहुंमुखी तरक्की की व्यवस्था की गई है। इसलिये कोई वजह नहां है कि जहाजरानी के व्यवसाय में यह प्रगति क्यों न की जाय और इजाफा क्यों न किया जाय ?

आज हम यह देखते हैं कि ट्रान्सपोर्ट का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रेलों के जरिये, ट्रकों के जरिए और जहाजों के जरिये विदेशों से हमारे भारतवर्ष को लाखों टन गल्ला लाया जाता है। इनके अलावा मशीनरीज और तमाम दीगर सामान भी लाया जाता है। जाहिर है कि उस तमाम माल को लाने के वास्ते अगर अपने जहाज हों तो हमारे देश का काफी पैसा विदेशों में जाने से बच सकता है और देश को काफी लाभ प्राप्त हो सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

यह ठीक है कि आजकल लड़ाई की हवा सामने आती है लेकिन हमें विश्वास है कि आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है जिसमें संसार में युद्ध होने की संभावना कम हो गई है। अभी हाल में जो अमरीका में चुनाव हुए हैं और उनके फलस्वरूप जो वहां पर नये प्रेसीडेंट चुने गये हैं उनकी कोशिश यही है कि संसार में युद्ध न हो। इसलिये हमें लड़ाई के वास्ते तो ज्यादा जहाज़ों की जरूरत नहीं है लेकिन अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाने के लिये काफी संख्या में नये जहाज़ों की जरूरत है ताकि वे हमारे यहां का सामान विदेशों में ले जा सकें और वहां का माल इधर ला सकें।

हमारे भारतवर्ष का सी शोर कई हजार मील लम्बा है और उचित व्यवस्था न होने से कलकत्ता और बम्बई में सामान लाने में दिक्कत होती है। अगर जहाजों की कमी पूरी हो जाय तो यह ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दूर हो सकती है और माल ढोने लादने में सहूलियत हो सकती है। थर्ड फाइव इयर प्लान में इसके वास्ते आवश्यक प्राविजन किया जाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे अवश्य स्वीकार करेंगे और प्लानिंग कमिशन को इस सम्बंध में उचित सिफारिश करेंगे।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्री रघुनाथ सिंह ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रक्खा है मैं मानता हूं कि दोनों मंत्री महोदय उससे सहमत हैं और मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति की यह दिली ख्वाहिश नहीं हो सकती कि इस देश का जहाजरानी व्यवसाय तरक्की करे और देश में जहाजों की संख्या में वृद्धि हो और उनकी सख्या ५ लाख टन ही नहीं १० लाख टन तक अगर बढ़ जाय तो अच्छा है और १०० करोड़ के बजाय अगर २०० करोड़ रुपया भी मिले तो उनकी ख्वाहिश होगी कि इस व्यवसाय को और अधिक जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो मिले। अब सवाल यह आता है कि आया यह हो सकता है कि नहीं। मैं तो उन सदस्यों में से हूं जो कि यह मानते हैं कि हमारे देश के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि १०० करोड़ रुपया फौरन एक्सचेंज देना मुश्किल नहीं है। यह मैं जानता हूं और मानता हूं कि १०० करोड़ रुपये का फौरेन एक्सचेंज आज की प्लांड ऐज के अन्दर थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर निकालना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जहां मैं इससे इंकार नहीं करता वहां मैं यह भी मानता हूं कि अगर हम इस अपने थर्ड फाइव इयर प्लान में सोच समझ कर अदला बदली करें तो ५ लाख टन के जहजों को बढ़ाना तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कोई मुश्किल बात नहीं है। आप को मालूम है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जीप्स के वास्ते अंदाज़न चार करोड़ रुपया रखा गया और उस में फ़ौरेन एक्सचेंज खर्च किया गया। आप जानते हैं कि १९४७ से पहले इस देश में ज़िलों में सरकारी जीपें अव्वल तो थी नहीं और अगर कहीं थीं भी, तो वे आज की तादाद से बहुत कम थीं। मुझे याद है कि मेरे ज़िले में १९४७ से पहले शायद ही कोई सरकारी जीप हो, लेकिन आज तो वहां कम से कम बीस सरकारी जीपें हैं। इन जीपों की फौज को बढ़ाने के लिये दूसरी योजना में अन्दाज़न चार करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के तौर पर खर्च किया गया। इसी तरह से तीसरी योजना में इस के लिये पांच करोड़ रुपया तो कम से कम होगा और शायद दस बारह करोड़ रुपया हो। इस दफा अच्छे ढंग से बांट कर नहीं बताया गया है कि तीसरी योजना में कम्युनिटी प्रोजेक्टस के लिए ४०० करोड़ रुपये के बजट में से कितना रुपया बाहर से जीपें मंगवाने पर खर्च होगा। मैं समझता हूं कि हम यह दस बारह करोड़ रुपया खर्च किये वगैरह भी गुज़ारा कर सकते हैं। जो नए ब्लाक बनने हैं, उनके लिए जीपों का एक पूल बना दिया जाये, या यह निश्चय कर दिया जाये कि हम जीप्स नहीं लेंगे और समुद्री जहाज़ लेंगे। इस काम के लिये दरअस्ल हम को १०० करोड़ रुपये की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डेफ़र्ड पेमेंट्स के ऊपर जहाज़ लें, तो मेरे ख्याल में शायद

[श्री० रणवीर सिंह]

२० करोड़ रुपये में ही पांच लाख टन के जहाज़ बढ़ाये जा सकते हैं। १० करोड़ रुपये तो हम को कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स से मिल जायेंगे और बाकी के पांच, सात, इस करोड़ रुपये का इंतजाम हो सकता है। जैसा कि अन्दाज है, हम बाहर से अनाज मंगाने के लिये २०० करोड़ रुपए के करीब किराये की शक्ल में जहाज़ों को देंगे, जिस में से १०० करोड़ तो उन जहाज़ों को दिया जायेगा, जो हिन्दुस्तानी जहाज़ हों, या जिन का हमारे देश के लोगों के साथ पार्टिसिपेशन हो, या जो हमारे देश में रजिस्टर्ड हुई कम्पनियों के जहाज़ हों। बाकी १०० करोड़ रुपया किराये के शक्ल में देने के बारे में हम यह शर्त रख सकते हैं कि इस बारे में हम उस कम्पनी से बात करेंगे, और माल लायेंगे जो डेफ़र्ड पेमेंट के ऊपर या जो किश्त की पहली रकम को भी डेफ़र्ड कर दे। अगर हमारी सरकार इस नीति से दुनिया की मुख्तलिफ जहाज़ी कम्पनियों से बात करे, तो सरकार पांच, सात, दस करोड़ रुपये की फौरेन एक्सचेंज हासिल कर सकती है। डिफेंस के नाते तो हम कभी भी इस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस में आमदनी और घाटे का सवाल नहीं होता और इस प्रकार का सोच-विचार भी नहीं होता, लेकिन कामर्शल जहाज़रानी को बढ़ाने का जैसा अवसर आज है, वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे प्लान के दौरान में हम बाहर से अनाज मंगाने में २०० करोड़ रुपये का भाड़ा देंगे और इस तरह अपने जहाज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरे प्लान के बाद उन के लिये यह प्रलोभन नहीं होगा। उसके बाद जो नई कम्पनियां मैदान में आयेंगी, उन को हम सब्स्टैंशल हेल्प नहीं दे सकेंगे, उन के जहाज़ों के लिये हम सरकारी माल लाने के भाड़े की आमदनी की गारण्टी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सरकार के पास अपना माल लाने के लिये नहीं रह जायगा और वह इसलिये कि हम ने प्रोग्राम बनाया है कि अनाज हम अपने देश में पदा करेंगे। हमारे मंत्रालय को इस तरफ़ बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये कि आज हमारे सामने सुनहरी मौका है। यह हो सकता है कि आज से कुछ साल पहले डेफ़र्ड पेमेंट के ऊपर जितनी आसानी से या कम किश्त देने पर डेफ़र्ड पेमेंट पर जहाज़ मिल सकते थे, शायद आज न मिलें और आगे शायद और ज्यादा मुश्किल हो। उस नुक्ता-ए-निगाह से भी शायद यह ज़रूरी है कि तीसरे प्लान में हम इस तरफ़ कोशिश करें।

जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक ख्वाहिश का ताल्लुक है, मंत्री महोदय की ख्वाहिश हम में से किसी से भी कम नहीं है और उन का जोश भी हम में से किसी से कम नहीं है। यह ठीक है कि कम्यूनिटी प्राजेक्ट के मंत्रालय पर उन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन उस में वह प्लानिंग कमीशन की मदद से खर्च में कमी करवा सकते हैं। हां, विदेशी कम्पनियों के जहाजों पर वे यह ज़रूर शर्त लगा सकते हैं कि व किराये पर माल उनको दगे जो खरीदने की पहली किश्त भी डेफ़र्ड कर दें। इस के अलावा और भी तजवीज़ें हो सकती हैं। जोश तो उन के दिल में है लेकिन उनको यह ख्याल हो गया है कि प्लानिंग कमीशन मंज़ूरी नहीं देगा। एक दफ़ा जब इन्सान में कमज़ोरी आ जाती है, तो वह समझता है कि मैं अकेला ही हूं। लेकिन मैं उन को बताना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य उन के साथ हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि अनाज इस देश में ही पैदा किया जा सकता है और इस सदन के सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर देश को गेहूं न मिले, तो देश ज्वार, बाजरे और मोटे अनाज की रोटी खा लेंगे, लेकिन हम ने इस देश की जहाज़रानी की तरक्की करनी है, ताकि हमारे देश का ब्यापार जहाज़ों का बेड़ा बढ़ और साथ ही साथ हमारे देश के डिफेंस की नींव भी मज़बूत हो सके और मुश्किल वक्त में हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह, ने शिपिंग में पांच लाख टन बढ़ाने के लिए एक सौ करोड़ रुपया रखने की जो मांग की है, मैं उस का समर्थन करता हूं। वस्तुतः हमारे देश की जहाज़रानी

की जो स्थिति है, वह इतनी अच्छी नहीं है, जितनी दुनियां के और मुल्कों की है। कोई समय था कि हिन्दुस्तान की जहाजरानी इतनी अच्छी थी कि इस देश के जहाज़ सारी दुनियां में जाते थे और सारी दुनियां के साथ हमारा व्यापार होता था। यह तथ्य है कि अंग्रेज़ों ने शिपिंग के द्वारा सारी दुनियां में अपना व्यापार फैलाया और साथ ही संसार के एक बड़े भाग पर कब्जा भी कर लिया। इस दृष्टि से शिपिंग को बढ़ाने में अपने देश को कोई घाटा नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, पहली और दूसरी योजनाओं में सरकार ने, या प्लानिंग कमीशन ने, काफ़ी रुपया दिया। उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि पहली योजना में २६ करोड़ रुपए, दूसरी योजना में ५४ करोड़ रुपए और तीसरी योजना में सिर्फ ५५ करोड़ रुपए रखे गए हैं, जोकि पर्याप्त नहीं हैं। माननीय सदस्य ने बहुत से आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि हमारे देश का रुपया दूसरे देशों से अन्न या मशीनों के कल-पुर्जे के मंगाने में किराये के रूप में ही चला जाता है। उन्होंने वह रकम एक अरब रुपए के लगभग बताई है इतनी बड़ी रकम यदि बच जाए और इसके द्वारा यदि हम किसी तरह से तीसरी योजना में कुछ जहाजों का निर्माण कर लें और दूसरे देशों से हम सामान लायें और अपना सामान दूसरे देशों में ले जायें तो फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी और हमारा जहाजरानी का बिजिनेस भी बढ़ेगा।

दूसरी एक बात यह भी है कि रेल के द्वारा, ट्रकों के द्वारा हमारे देश में जो माल आता जाता है वह इतना अधिक फायदेमन्द नहीं होता है जितना अधिक फायदेमन्द और इकोनोमिकल वह जहांजों के द्वारा आ जा कर हो सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश का समुद्री किनारा हजारों मीलों में फैला हुआ है और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश का समुद्री किनारा ज्यादा अच्छा भी है जिससे शिपिंग के व्यापार को बहुत अच्छे रूप में बढ़ाया जा सकता है।

इस पर जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने मंत्रालय से इस ओर ध्यान देने को कहा है कि तीसरी योजना में शिपिंग के लिए आपने जो पैसा रखा है वह पर्याप्त नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिये। सरकार ने जितना पैसा इस काम के लिए पहली और दूसरी योजना में दिया है उसके लिए तो वह धन्यवाद की पात्र है लेकिन अब हम यह चाहते हैं कि तीसरी योजना में जो टारगेट्स रखे हैं, वे भी पूरे होने चाहियें। हमें चाहिये कि तब तक हम ११ लाख टन जहाज़ बनाने में सफल हो और जैसा कि नैशनल शिपिंग बोर्ड ने सुझाव दिया भी है कि १०४ करोड़ रुपया मिलना चाहिये, उसको मान लिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो ११ लाख टन की जो योजना है वह पूरी हो सकेगी। ये टारगेट तभी पूरे हो सकते हैं यदि मंत्री महोदय और सरकार इस ओर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्री रघुनाथ सिंह ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रालय उधर ध्यान देगा।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : हम सब श्री रघुनाथ सिंह के आभारी है कि उन्होंने देश का और इस सदन का ध्यान बड़े महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट किया है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि मुगल बादशाहों ने हमारी जहाजरानी की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया था। यही कारण था कि वे विदेशियों का ठीक ढंग से मुकाबला न कर सके और देश गुलाम हो गया। आश्चर्य इस बात का भी है कि अब भी हमारे नौवहन उद्योग की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। दुनियां भर के विषयों की ओर योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० कृ० नायर]

आयोग का ध्यान चला गया परन्तु यह इतना महत्वपूर्ण मामला उसकी नजरों में नहीं आया। यह बात खोज करने वाली मालूम होती है। श्री रघुनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करके मंत्रालय और योजना आयोग को हिला दिया है। निश्चय ही वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं। उन्हें अब इसकी गम्भीरता का पता लग जायेगा नौवहन मंत्रालय को भी इस दिशा में स्थिति का अध्ययन करना होगा और देश और आयोग के समक्ष आंकड़े रखने होंगे। अब समय आ चुका है कि हमें इस उद्योग की उपेक्षा न कर इस प्रयोजन के लिए अधिक धन व्यय करना चाहिए। अब इसके प्रति अधिक उदासी न रहने का समय नहीं रह गया है।

हम अपना परिवहन व्यापार विमानों, रेलों अथवा ट्रकों द्वारा नहीं चला सकते। हमें अपने नौवहन का विकास करना होगा। इन शब्दों से मैं श्री रघुनाथ सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वह श्रीमती इला पालचौधरी का संशोधन स्वीकार करलें। मुझे आशा है कि सरकार भी इसे स्वीकार कर लेगी।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** सभापति महोदय, मैं माननीय सभासदों, विशेषतया श्री रघुनाथ सिंह का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने नौवहन मंत्रालय से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण विषय में इतनी दिलचस्पी ली है। मैं तीसरी योजना में नौवहन के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा आवंटनों के बताये जाने के बारे में सभासदों की उत्सुकता समझता हूं। दूसरी योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में जो प्रगति हुई है उसको सभा में बताने में हमें प्रसन्नता ही होगी।

दूसरी योजनावधि में हमने ९००,००० टन का नौवहन का लक्ष्य रखा है। १-१०-१९६० को हमारा संचालित टनभार ८,३१,४५२ जी० आर० टी० था। हम ११,९६२ जी० आर० टी० पहले ही अर्जित कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस प्रकार १–१०–१९६० को कुल टनभार ८४३,४१४ हो जाता है तो हमारे लक्ष्य से केवल ५६,५८४ टन ही कम है। इसके अतिरिक्त हमारा अनुमान है कि दूसरी योजनावधि के अन्त तक हमारे २०,००० जी० आर० टी० बेकार हो जायेंगे। इसका मतलब हुआ कि ७६,५८४ जी० आर० टी० की कमी पूरी करनी होगी। हमारे ४६,०५० जी० आर० टी० के जहाज़ बन रहे हैं और लगभग ५०,००० जी० आर० टी० के बारे में बातचीत हो रही है। हमें आशा है कि हम यह टनभार पूरा कर लेंगे और योजनावधि की समाप्ति से पूर्व हम अपने लक्ष्य पूरे ही नहीं कर लेंगे अपितु कुछ हजार टन अधिक ही कर लेंगे।

नौवहन के बारे में चर्चा के समय माननीय सदस्यों को इस ऐतिहासिक तथ्य को समझना चाहिए कि विदेशी शासनकाल में हमारा नौवहन, जोकि हमारे पुराने इतिहास के अनुसार बहुत स्मृद्ध था; नष्ट भ्रष्ट हो गया था। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका विकास कार्य १२५,००० टन भार से आरम्भ किया। यदि मैं पिछले तीन वर्षों के नौवहन टनभार के आंकड़ों को सभा में बताऊं तो संभवतया माननीय सदस्यों को याद आ जाये कि हमने अपना नौवहन टनभार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में ६०,१५० की वृद्धि हुई; ३१ मार्च १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में ६०,१६१ की वृद्धि हुई; ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में १२८,९८२

†मूल अंग्रेजी में

की वृद्धि हुई। इन आंकड़ों में इस वर्ष किए जाने वाले अतिरिक्त अर्जन को भी जोड़ा जा सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब प्रत्येक वर्ष हम जितने टन भार की वृद्धि करने जा रहे हैं, वह उससे कहीं ज्यादा है जिससे हमने शुरू किया था।

मैं बड़े विनम्र भाव से यह बताना चाहता हूं कि नौवहन के महानिदेशक और इस मंत्रालय को जो भी काम सौंपा गया उसको इन्होंने पूरा कर दिया है। जो काम हमने किया है मैं समझता हूं कि हम उससे अच्छा नहीं कर सकते थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की पूर्ति का सवाल है हमारा ख्याल कुल संचालित टन भार की ओर इतना नहीं था। संचालित टन भार लगभग १५०,००० टन था। जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि वर्ष की समाप्ति तक हम अपने लक्ष्य पूरे कर लेंगे।

जहां तक राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, कांग्रेस दल तथा अन्य संस्थाओं के संकल्पों का प्रश्न है, उनसे पता लगता है कि यह सभी नौवहन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इसके विकास के लिए उत्सुक हैं। मैं भी आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में अथवा इस सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नौवहन के महत्व को नहीं समझता हो। हम सभी चाहते हैं कि हमारा नौवहन बढ़े और हमारी विदेशी मुद्रा का व्यय कम हो जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** आप नौवहन के लिये १०० करोड़ रुपया क्यों नहीं मांगते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं तो चाहूंगा कि मेरे साथ माननीय मित्र भी योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से इसके लिये अनुरोध करें। परन्तु वह यह भी जानते होंगे कि देश के विस्तार और विकास के कार्यक्रम में जो हमारी योजनाओं में दिये हुये हैं जो प्राथमिकतायें निश्चित की गई हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें खाद्य पादर्थों की आवश्यकता है और उनके लिए हमें अपनी खेती का विकास करना है। खेती के लिए सिंचाई और उर्वरक आदि चाहिए। उनकी व्यवस्था करनी है और प्राथमिकता देनी है। हमें अपनी पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था सुधारने के लिये देश का औद्योगीकरण करना है। उद्योगों के लिये बिजली और इस्पात चाहिये। इन सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई है। फिर सामाजिक विकास तथा सामाजिक कल्याण का प्रश्न भी सामने है। हमारी योजना के प्रारूप के पहले अध्याय में एक वाक्य है जो इस विषय को स्पष्ट करता है। उसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि हमारे आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों में कई मामलों में एक प्रकार का संघर्ष सा होगा और प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि हमें सामाजिक उद्देश्यों की कार्यान्विति को प्राथमिकता देनी चाहिये अथवा आर्थिक उद्देश्यों की कार्यान्विति को। यदि कुछ समय के लिये सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास तथा पिछड़े वर्गों को सहायता देना बन्द कर दिया जाये तो उद्योग, बिजली, नौवहन, संचार आदि के आवंटनों में वृद्धि करना संभव हो सकेगा। परन्तु आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों में कुछ सन्तुलन रखना जरूरी है। हमें खेद है कि ऐसा करने से नौवहन पर असर पड़ा है। परन्तु इसको इस के महत्व के अनुसार प्राथमिकता अवश्य मिली है।

देश को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिये और योजना के लिए कुल धनराशि जुटानी चाहिए। योजना के प्रारूप पर सभा में चर्चा हो चुकी है। मुझे यह भी पता लगा है कि संसद् की एक समिति—समिति 'बी' ने भी परिवहन तथा संचार के लिये विभिन्न आवंटनों पर विचार किया है। मैं इस समिति की बैठक में भाग नहीं ले पाया क्योंकि मुझे बैठक की सूचना बहुत देर से मिली

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

थी। लेकिन मुझे विश्वसत रूप से पता लगा है कि समिति में एक भी संसद् सदस्य ने नौवहन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। माननीय सदस्यों ने इस विषय को जो महत्व आज दिया है उसकी मुझे खुशी है; मैंने श्री नायर द्वारा कही गई बात पर भी ध्यान दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री महोदय इस मामले को योजना आयोग के सामने उतने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाये होंगे जितने प्रभावपूर्ण ढंग से उन्हें प्रस्तुत करना चाहिये था। मेरा नम्र निवेदन है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके प्रयत्न से सब ठीक हो सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय का इतनी उदारता से समर्थन किया है। परन्तु हमें योजना के विभिन्न विषयों और उसकी विशालता का भी ध्यान रखना है और उसे देखते हुये अधिक आवंटन की मांग करनी है। मैं समझता हूं कि श्री रघुनाथ सिंह ने इस बात को जितनी अच्छी तरह सभा के सामने रखा उससे अधिक योग्यता से मैं उसे यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

†**श्री पलनियाण्डि** (पेरम्बलूर) : अब भी इस पर २०० करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा है।

†**डा० भा० श्री० अणे** (नागपुर) : समिति कब नियुक्त की गई थी और उसके क्या निर्देश पद थे ?

†**श्री राज बहादुर** : वह सामान्यतः योजना के आवंटनों पर चर्चा कर रही थी। नौवहन के लिए आबंटन भी विभिन्न आबंटनों में आ जाते हैं और उस समय समिति में इस की ओर ध्यान दिलाया जा सकता था।

योजना के प्रारूप में नौवहन के बारे में अन्तिम वाक्य यह है :

> "नौवहन के लिए अतिरिक्त आवंटन करने के प्रश्न पर योजना को अन्तिम रूप देने से पहले विचार किया जायेगा।"

योजना आयोग तथा संसद् ही निर्णय करने के लिये अन्तिम अधिकारी हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या मंत्रालय ने योजना आयोग के सामने प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : अवश्य। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने मंत्रालय के पास अपनी सिफारिश भेजी थी; मैं उन आंकड़ों को दोहराऊंगा नहीं। वह इसमें ५१८,००० की स्पष्ट वृद्धि चाहता था पुरानों के स्थान पर नये जहाजों के रखे जाने के आंकड़े १७२,००० जी आर टी थे। इस प्रकार उसने ६९०,००० जी आर टी की वृद्धि की सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें १४,२२,००० जी आर टी का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। मंत्रालय ने इन आंकड़ों को ठीक समझा और इसीलिये इन सिफारिशों का पूरी तरह समर्थन किया और उनको योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को भेज दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया, योजना आयोग ने अन्य मदों को दी गई विभिन्न प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुये सोचा कि नौवहन के लिये २००,००० टन अथवा या ठीक ठीक १८०,००० टन का लक्ष्य ठीक होगा। गृह मंत्रालय अन्दमान और निकोबार सर्विस के लिये दो और जहाज़ खरीदेगा

---

†मूल अंग्रेजी में

और तब लक्ष्य २००,००० टन हो जायेगा। इस प्रकार हमारे सामने कुल नौवहन-लक्ष्य ११००,००० टन हैं। कुल आवंटन ५५ करोड़ रुपये है। इस धन में नौवहन विकास निधि में दिए जाने वाले ४ करोड़ रुपये तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले ७ करोड़ रुपये और जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार यह धनराशि ६६ करोड़ रुपये हो जाती है। इसमें से ३.५० करोड़ रुपये प्रशिक्षण संस्थाओं, नाविक कल्याण, पाल वाले जहाज़ों आदि के लिए निकालने होंगे। इस तरह नौवहन के लिए ६२.५० करोड़ रुपया होगा। इसमें गृह मंत्रालय से मिलने वाला २ करोड़ रुपया और जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि मंत्रालय जो कुछ कर सकता था उसने वह सभी कुछ किया है।

अब मैं श्री रघुनाथ सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दूंगा। उन्होंने आंकड़ों की बौछार लगा दी; यह संभव नहीं है कि मैं उनके आंकड़ों का उत्तर आंकड़ों में ही दूं। मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि हमने सभी आवश्यक आंकड़े बता दिए हैं। हम बता चुके हैं कि विदेशी भाड़े के रूप में हम लगभग १५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं।

यह कहा गया कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के विचारों या सिफ़ारिशों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं उन्हें पूरी तरह से आश्वासन दिलाता हूं कि हम उनकी सिफारिशों का अत्यधिक आदर करते हैं परन्तु देश के उपलब्ध साधनों के आधार पर ही उनकी सिफारिशों पर विचार किया जाता है। इस लिए उनकी सिफारिशों में कुछ रूप भेद किया गया है।

उन्होंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि तीसरी योजना में दूसरे शिपयार्ड के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। मेरी राय में यह शिकायत ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे शिपयार्ड के लिए २० करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। हां यह व्यवस्था अवश्य की गई है कि इसको श्रेणी 'ग' में रखा गया है अर्थात् इसके लिए विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ेगी। हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए भी योजना आयोग ने १० करोड़ रुपया आवंटित किया है; जिसमें से ८ करोड़ रुपया सहायता के रूप में और २ करोड़ रुपया विकास के लिये दिया जायेगा। शिपयार्ड की सूखी गोदी के लिये भी २ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का उपबन्ध किया गया है और उसके लिए भी ऋण की व्यवस्था की जायेगी।

दूसरी बात यह कही गई कि विश्व में बहुत सा टन भार बेकार पड़ा हुआ है और हम उसका लाभ उठा कर अपना टन भार बढ़ा सकते हैं। यह बात अमरीका से खाद्यान्नों के लाने के बारे में कही गई थी। इसके बारे में मैं सभा को आश्वासित कर देना चाहता हूं कि हम खाद्यान्नों को ढोने में भारतीय नौवहन को मिल रहे अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक बार सभा में बता चुका हूं कि हम कुछ ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा के अपने साधनों पर दबाव डाले बिना हम अतिरिक्त नौवहन की व्यवस्था किस प्रकार कर सकते हैं।

इस समय मैं भारतीय नौवहन से एक अपील करना चाहता हूं कि उन्हें इस अवसर विशेष से लाभ उठाना चाहिये। आजकल हमारे पास लदान के लिये माल है और वह चार वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त हम इटली, रूमानियां और जापान के लिये लौह अयरक का निर्यात बढ़ा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी दस से बीस वर्ष तक हमारे नौवहन के लिये निश्चय ही आवश्यकतानुसार माल मिलता रहेगा। इसके अलावा हमारा निर्यात और आयात भी बढ़ रहा है। १९५७ में, जो कि संभवतया हमारा सर्वोत्तम वर्ष था, बन्दरगाहों से भेजने के लिये हमें सबसे अधिक माल मिला। ऐसा संभवतया स्वेज़ नहर के बन्द होने तथा बाद में खुलने के कारण हुआ। परन्तु इस वर्ष फिर हमारे बन्दरगाहों द्वारा बहुत यातायात किया गया। बम्बई से १३०

[श्री राज बहादुर]

लाख टन माल भेजा। कलकत्ते से भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक माल भेजा गया। अतः हमारा यातायात बढ़ रहा है और हमारा व्यापार बढ़ रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के भारतीय नौवहन समवायों को विश्वास रखना चाहिये कि उनका भविष्य उज्जवल है। अब उपयुक्त समय है जब कि उन्हें कुछ खतरा भी उठाना चाहिये, यदि उन्हें इसमें कोई खतरा भी दिखाई देता है तो वह खतरा भी उठाना चाहिये और नौवहन टन भार बढ़ाने के लिये अपने सभी साधनों का उपयोग करना चाहिये।

जहां तक बेकार पड़े टन भार और खाद्यान्नों के जहाजों के चलाये जाने का सम्बन्ध है; मुझे ऐसा मालूम होता है कि श्री रघुनाथ सिंह यह कहना चाहते हैं कि हम १८ करोड़ रुपये जो व्यय कर रहे हैं उसको अपना टनभार बनाने के लिये क्यों व्यय नहीं करते। हमें आगामी चार वर्षों तक प्रति वर्ष लगभग १८ करोड़ रुपये खाद्यान्नों के आयात पर व्यय करने होंगे। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि भाड़े का भुगतान तो हमें अवश्यमेव करना पड़ता है। क्योंकि खाद्य पदार्थ तो दैनिक आवश्यकता की वस्तु है। यदि हम मकान बनाने या ज़ेवरात खरीदने के लिये धन इकट्ठा करने के कारण उस खाद्यान्न को बचाना चाहते हैं तो हमें भूखे मरना पड़ेगा। इसलिये जब तक हमें कहीं से ऋण नहीं मिल जाता तब तक हमें इस भाड़े का तो भुगतान करना ही होगा।

श्री रघुनाथ सिंह ने दूसरी बात यह कही थी कि इस खाद्यान्नों के माल के द्वारा हम अपने नौवहन समवायों को सहायता दे सकते हैं। हमारे सामने बड़ी कठिन स्थिति है। यदि हम अपने नौवहन समवायों को ऊंची दरें देते हैं तो हमारा भाड़े का बिल अधिक हो जायेगा। आप जानते हैं कि ऐसा होने पर लोक लेखा समिति और सभा के माननीय सदस्य कहेंगे कि हमने कम से कम दरों पर खाद्यान्नों का परिवहन क्यों नहीं किया। इस बात को सभी जानते हैं कि अमरीकी सरकार अपने जहाज़ों को सहायता देती है। परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यह प्रयत्न करेंगे कि विदेशी अथवा भारतीय दोनों में से कहीं के जहाजों को खाद्यान्नों के ले जाने के लिये चुनते समय हम अपना टन भार किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। भाड़े की दर तो हमें वही रखनी पड़ेगी जो बाज़ार में प्रचलित होंगी।

एक बात यह कही गई थी कि हमने जहाज़ खरीदने के लिये १५ करोड़ रुपयों का भुगतान तो कर दिया परन्तु एक नया शिपयार्ड नहीं बना पाये। मैं बताना चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड अवश्यमेव बनेगा। उसके निर्माण के बारे में हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। जमीन ली जा रही है और हमने केरल सरकार से भी इसके बारे में कहा है। इसका प्रबन्ध करने के लिये हमने अभी एक पदाधिकारी कोचीन भेजा भी था। हम आशा करते हैं कि इस शिपयार्ड के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस आश्वासन से डा० सामन्त सिंहार की जिज्ञासा का समाधान हो जायेगा और वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

मैं श्री रघुनाथ सिंह से उनके मूल संकल्प के बारे में यही अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को समझें कि हम भारतीय नौवहन के विकास के लिये किए गए उनके प्रयत्नों की सराहना करते हैं। और हम उतनी शीघ्रता से जितनी कि वह चाहते हैं इसका विकास केवल इस कारण नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। कुछ सीमित साधनों के बावजूद भी हम तीसरी योजनावधि में अपना नौवहन टन भार बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हम खाद्यान्नों तथा लौह अयस्क

निर्यात का पूरा लाभ उठायेंगे । अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें । मैं आशा करता हूं कि श्रीमती इला पालचौधरी भी अपना संशोधन वापस ले लेंगी ।

चौ० रणवीर सिंह ने भी नौवहन के विकास का ज़ोरदार शब्दों में समर्थन किया है । मैं उन्हें बधाई देता हूं । उन्होंने कहा कि नौवहन का विकास करने के लिए वह मोटा अनाज अर्थात् ज्वार, बाजरा भी खाने को तैयार हैं जिससे कुछ धन की बचत हो जाये । चौ० रणवीर सिंह ने एक नया नारा बुलंद किया है कि मोटा अनाज खा कर हमें नौवहन का विकास करना चाहिये । मैं सभा की भावनाओं को तथा उत्सुकता को समझता हूं और उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि यह मंत्रालय हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा है । हम भी इस प्रश्न को आगे बढ़ाने का सफल एवं भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु इसके साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि जब आप समितियों में बैठ कर प्रस्तावों की जांच करें तो हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें । अन्यथा परिवहन मंत्रालय को जो कि एक नया मंत्रालय है उन कठिनाइयों न सामना करना पड़ेगा जो कभी-कभी आरंभ में नई संस्थाओं को करनी पड़ती है । हमारी ओर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है । विदेशी नौवहन समवायों की भी हमारे बारे में यह धारणा हैं कि हमको और परियोजनाओं के लिए जितना ऋण मिल रहा है उतना जहाज़ निर्माण के लिये नहीं मिल पा रहा है ।

†**श्री प्रभात कार :** आपने टैंकरों के बारे में कुछ नहीं बताया ।

†**श्री राज बहादुर :** हमारे पास तीन टैंकर हैं जिनको हमने तटीय व्यापार के लिए लगाया हुआ है । हम बहुत ही उत्सुक हैं कि कच्चे तेल का आयात करने के लिये हमारे पास महासागर में चलने वाले टैंकर हों । हम तेल मंत्रालय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनकी सहायता भी हमें मिल रही है । मैं सभा में बताना चाहता हूं कि दो समवायों ने अब हमें टैंकर देना स्वीकार कर लिया है । जिनको इस समय हमने किराये पर ले रखा है । अपने टैंकरों के द्वारा इन समवायों ने बहुत सा पैसा कमा लिया है । हम इन समवायों से जितनी जल्दी सौदा करना चाहते थे इन समवायों ने उतनी जल्दी नहीं की । हमने इनके सामने तीन विकल्प रखे थे कि हम से टैंकर लेलें या अपना एक टैंकर हमें बेच दें अथवा वे अपरिवर्तनीय रुपयों में हमसे भुगतान लें । उन्होंने दूरा विकल्प स्वीकार किया । बर्माशैल तथा स्टैनवैक समवायों ने भी इस सम्बन्ध में हमसे बातचीत की है । इस वर्ष अथवा जितना शीघ्र संभव होगा उतना शीघ्र हमें दो टैंकर और मिल जायेंगे । मैं समझता हूं कि तीसरा समवाय काल्टैक्स भी ऐसा ही काम करेगा और उसकी सूचना भी मैं सभा को बता दूंगा ।

सभा ने जो नौवहन के लिये जोर दार समर्थन किया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । और श्री रघुनाथ सिंह से अपील करता हूं कि वह कृपा करके अपना संकल्प वापस ले लें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** सभापति महोदय , मैं डा० सामन्त सिंहार, श्री राधारमण, चौ० रणवीर सिंह, सेठ अचल सिंह, श्री नरदेव स्नातक का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया । नौवहन के बारे में आज सभा में उसी प्रकार का मतैक्य था जैसा हाउस आफ कामन्स में वैदेशिक नीति के विवाद के समय होता है । इसीलिये , मैं आशा करता हूं कि नौवहन मंत्रालय योजना आयोग पर अब दबाव डाल सकेगा कि उसको कम से कम १०० करोड़ रुपया इसके विकास के लिये दिया जाये और इसके लक्ष्य ५ लाख टन बना दिए जायें । हम तो इससे भी अधिक चाहते हैं । हम चाहते हैं कि संसार के प्रत्येक भाग में हमारे जहाज़ जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहती हूं ।

†**डा० सामन्त सिंहार** : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं

†**सभापति महोदय** : क्या सभा संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : जी हां ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये ।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा श्री रघुनाथ सिंह को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : जी हां ।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरग के बारे में संकल्प

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।"

मैं एक उद्देश्य विशेष से इस संकल्प को प्रस्तुत कर रहा हूं . . . .

†**श्री प्रभात कार** : श्रीमान ५ बज चुके हैं । सभा में वैसे ही बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं इसलिये को सभा अब स्थगित कर दिया जाना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा की ऐसी इच्छा है कि सभा को स्थगित किया जाये ।

†**माननीय सदस्य** : जी हां ।

इस के पश्चात्, लोक-सभा सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०]
[२७ कार्तिक, १८८० (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४९९—५२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१०.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए वाइकाउन्ट	४९९—५०२
२११.	प्लास्टिक के थैले	५०२
२१२.	हल्दिया बन्दरगाह	५०३—०५
२१३.	उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का निर्यात	५०५–०६
२१४.	सेतुसमुद्रम् परियोजना. . .	५०७–०८
२१५.	सहकारी ऋण सम्बन्धी समिति .	५०८—११
२१६.	टेलीप्रिंटर का कारखाना .	५१२—१४
२१८.	विमानों का निर्माण . .	५१४–१५
२१९.	डीज़ल इंजन	५१५–१६
२२०.	पूर्व रेलवे उपनगरीय मार्ग को क्षति .	५१६—१८
२२१.	विमान सेवाओं का समुच्चय . . .	५१८—२२
२४१.	रेलवे में आम हड़ताल . .	५२२
२४४.	रेलवे में आम हड़ताल . . .	५२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५२५—८१
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१७.	डाक तथा तार वर्दी समिति	५२५
२२२.	मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति . . .	५२५
२२३.	कोयला क्षेत्रों का निरीक्षण	५२५–२६
२२४.	फतेहपुर-चुरू लाइन पर भाड़ा . .	५२६
२२५.	थाईलैंड से चावल की खरीद . .	५२६
२२६.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सन्स्था . . .	५२६–२७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

२२७.	दक्षिण अफ्रीकी अश्व रोग	५२७—२८
२२८.	दिल्ली में बड़े पैमाने पर मछलियों का मरना	५२८
२२९.	घी में मिलावट	५२८—२९
२३०.	वन गवेषणा संस्था, देहरादून	५२९
२३१.	मंगलौर पत्तन	५२९—३०
२३२.	नागार्जुन-सागर परियोजना के लिये राशि	५३०
२३३.	बारासात्त-बसिरहाट लाइन	५३०
२३४.	नमक	५३१
२३५.	कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग	५३१
२३६.	नंगल की सुरंग को क्षति	५३२
२३७.	सुलतानपुर, दिल्ली में कच्चा कुआं	५३२
२३८.	ग्राम सड़क विकास सहकारी योजना	५३३
२३९.	पार्सल और माल यातायात में पारगमन विलम्ब	५३३
२४०.	टिकटों का न मिलना	५३३—३४
२४२.	भांडागार निगम	५३४
२४३.	परादीप से जापान को लोह अयस्क का निर्यात	५३४
२४५.	दिल्ली में चिड़िया-घर	५३४—३५
२४६.	रेलवे पटरी पर बम विस्फोट	५३५
२४७.	डीजल रेलकारें	५३५
२४८.	कोनार बांध	५३५—३६
२४९.	दुर्गापुर के निकट गाड़ी की टक्कर	५३६
२५०.	दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी का सम्भरण	५३६
२५१.	यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद	५३७
२५२.	हुगली में नदी नियंत्रण प्रयोग	५३७
२५३.	दिल्ली में डी—लक्स टूरिस्ट टैक्सियां	५३७—३८
२५४.	हैदराबाद-विशाखापटनम विमान सेवा	५३८
२५५.	उड़ीसा में संचार साधन	५३९
२५६.	इंजनों का निर्यात	५३९
२५७.	दिल्ली में संतति निरोध तथा परिवार नियोजन	५३९—४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५८	भारत-अमरीका विधान वार्ता	५४०
२५९	खाद्यान्नों का आयात	५४०

तारांकित
प्रश्न संख्या

३१३	जनकदेईपुर स्टेशन	५४१
३१४	उड़ीसा में कृषि कालेज	५४१–४२
३१५	उड़ीसा में चिकित्सा की देशी पद्धतियां	५४२
३१६	बटाला स्टेशन पर शिकायतें	५४२–४३
३१७	कलकत्ता पत्तन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	५४३
३१८	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये मकान	५४३
३१९	हिमाचल प्रदेश में कुक्कुट पालन	५४३–४४
३२०	ब्रिटेन के पर्यटक	५४४
३२१	पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का सम्भरण	५४४
३२२	बिजली	५४४–४५
३२३	यात्री—यातायात	५४५–४६
३२४	माल—यातायात	५४६–४७
३२५	राष्ट्रीय राजपथ	५४७–४८
३२६	पक्की सड़कें	५४८
३२७	आन्ध्र प्रदेश में तिलहन अनुसन्धान केन्द्र	५४९
३२८	त्रिपुरा और मनीपुर के जंगल	५४९
३२९	मनीपुर और त्रिपुरा में फल परिरक्षण	५५०
३३०	पंजाब में मैडिकल कालेज	५५०–५१
३३१	पंजाब में वन विकास	५५१
३३२	दिल्ली का चिड़ियाघर	५५१–५२
३३३	पंजाब में मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनायें	५५२
३३४	बिहार में चीनी मिलें	५५२
३३५	कानपुर में मेडिकल कालेज	५५३
३३६	कोलनगोड़ में रेलवे स्टेशन	५५३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३३७	उड़ीसा में बाढ़	५५३
३३८	सिंचाई सुविधाओं का उपयोग	५५४
३३९	किसानों का बैंक	५५४
३४०	सिगनल और दूर संचार वर्कशाप	५५४–५५
३४१	पूर्वोत्तर रेलवे पर नया स्टेशन	५५५
३४२	अपैंडिक्स के कार्यो सम्बन्धी अनुसन्धान	५५५–५६
३४३	लद्दाख जिले में पन-बिजली	५५६
३४४	योगाभ्यास	५५६
३४५	रेल गाड़ियों में प्रसारण	५५६–५७
३४६	चत्रा नहर परियोजना	५५७
३४७	गाड़ी में हुई हत्या की जांच	५५७
३४८	ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा सम्बन्धी कार्यशालायें	५५७–५८
३४९	पर्यटक	५५८
३५०	रेहड़ा में तारघर	५५८
३५१	राष्ट्रीय राजपथ	५५९
३५२	कर्मचारियों की सेवा भंग होना	५६०
३५३	सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग	५६०
३५४	युवक किसानों का प्रशिक्षण	५६१
३५५	जन्म निरोध के लिये औषधि	५६१
३५६	राजस्थान नहर	५६१–६२
३५७	दिल्ली में स्वास्थ्य सम्बन्धी संग्रहालय	५६२
३५८	बहुप्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर	५६२–६३
३५९	खड़गपुर रेलवे स्कूल	५६३
३६०	रेलवे उच्चतर माध्यमिक स्कूल, खड़गपुर	५६३
३६१	मनमद के लिये संयुक्त जल सम्भरण	५६३–६४
३६२	डाक तथा तार कर्मचारी	५६४
३६३	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर	५६४–६५
३६४	भारतीय और विदेशी जहाजों में आयात किये गये माल का भार	५६५–६६
३६५	त्रिपुरा में ढोरों का मरना	५६६
३६६	लेडी हार्डिंग मेडिकल, कालेज, नई दिल्ली	५६६–६७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

३६७	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली . . .	५६७
३६८	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली .	५६८
३६९	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली . . .	५६८
३७०	सड़क परिवहन उद्योग . . .	५६९
३७१	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी . .	५६९
३७२	दिल्ली में बाढ़ उपकर . .	५७०
३७३	भाखड़ा में विद्युत् एकक	५७०
३७४	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी .	५७०
३७५	शोरानूर-कोचीन रेलवे लाइन को दोहरा करना	५७०–७१
३७६	गन्ने का मूल्य . .	५७१
३७७	महोबा स्टेशन	५७१
३७८	गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच लाइन को दोहरा करना	५७२
३७९	भूमिहीन कृषि श्रमिकों का पुनर्वास	५७२
३८०	त्रिपुरा में डाक तथा तार भवन	५७२
३८१	पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण	५७३
३८२	पश्चिम रेलवे के पुल	५७३
३८३	रतलाम और नागदा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करना	५७३
३८४	अमरीका से ज्वार बजारे का आयात . .	५७४
३८५	दिल्ली में एकीकृत मैडिकल पाठ्य क्रम . . .	५७४
३८६	मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति	५७४–७५
३८७	स्टेशनों पर रेलवे पुलिस	५७५
३८८	दिल्ली में भूमिगत पानी	५७५–७६
३८९	आसाम रेलवे लाइन	५७६
३९०	होगनक्कल योजना	५७६
३९१	दक्षिणी जोन की विद्युत् विकास समिति . . .	५७६–७७
३९२	अस्थायी "वर्क मैन" . .	५७७
३९३	वालटेयर रेलवे जंक्शन	५७८
३९४	वैस्ट पटेल नगर (दिल्ली) के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का औषधालय	५७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३६५	बिजली की एक रूप दरें . .	५७८
३६६	जलढाका परियोजना . . .	५७६
३६७	चक्रवात में फंसे भारतीय जहाज . .	५७६
३६८	नागपुर को रात्रि कालीन हवाई डाक सेवा . .	५७६
३६९	रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलें . .	५८०
४००	दिल्ली के बाहर मेडिकल कालेज . . .	५८०
४०१	पशुओं के मेले	५८०—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १६४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३० जुलाई, १६६० के हिमाचल प्रदेश प्रशासन गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच (टी) १४–७८७/५८ की एक प्रति।

(२) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १६५६ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २६ अक्तूबर, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७० की एक प्रति।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५८२

धार्मिक न्यास विधेयक, १६६० सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापना का समय २८ फरवरी, १६६१ तक बढ़ा दिया गया।

विधेयक—पुरःस्थापित . . . . ५८२—८५

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक। विधेयक को पुरःस्थापन करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में १७५ ; विपक्ष में ५८। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक

विधेयक—विचाराधीन . . . . ५८५—६०६

समवाय (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही और समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विषय पृष्ठ

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ६०६–१०

इकहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

ग़ैर सरकारी सदस्यों का संकल्प––वापिस लिया गया . . . ६१०––२६

नौवहन के लक्ष्य सम्बन्धी संकल्प पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

ग़ैर-सरकारी सदस्य का संकल्प––विचाराधीन . . . ६२६

श्री त० ब० विट्ठल राव ने सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २१ नवम्बर, १६६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक पर विचार और उसका पारित किया जाना और इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1334 (Ai) LSD—6-12-60—115.